खण्ड-344, अंक-8
सोमवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1902
(4 अगस्त, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	599–603
प्रश्नोत्तर	603–618
भूतपूर्व सदस्य, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह के निधन पर शोकोद्गार	618–620
भूतपूर्व सदस्य, श्री गणेशदत्त बाजपेयी के निधन पर शोकोद्गार	620–622
चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में दो अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस, उरई द्वारा खींच ले जाने तथा मारने-पीटने की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	623
सीतापुर जिले में भयंकर बाढ़ से क्षति तथा आर्थिक सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	623–624
नैपाल–उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुलिस की सांठ-गांठ से तस्करी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	624
आजमगढ़ जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	624–625
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	625
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	625
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	625–626
स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	626
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	626
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	626
उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 (विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश सहित वापसी की सूचना)	626
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	626
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	627
राज्यपाल के अभिभाषण के लिए विधान सभा द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर श्री राज्यपाल द्वारा आभार प्रदर्शन ..	627
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	627
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधयक, 1980 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	627
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	627–628
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	628

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	628
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा, ...	628
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं ..	628–629
श्री रविशंकर त्रिपाठी, सी० ओ० पुलिस, खैरागढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	629–630
पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	630
श्री राम सिंह खन्ना, स्वायत्त शासन मन्त्री के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	630–631
हरदोई के शहर कोतवाल श्री महेन्द्र कुमार व अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	631–632
विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की सूचना	632
अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा	632
राज्य निराश्रित सहायता समिति में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन तिथि की घोषणा	633
श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा को शोषित समाज दल के सदस्य के रूप में स्वीकृति दिए जाने की सूचना	633
उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	633–634
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना	634–640
1980–81 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	640–674
बागपत काण्ड के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन	674
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	675
लखनऊ नगर के कैन्टूनमेन्ट क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	675–677
नत्थी	678

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 4 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—368

अकबर अहमद, श्री .. नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री .. मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री .. गोण्डा
अजहर इमाम, श्री .. मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री .. कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री .. मेरठ
अनवार मुहम्मद खां, श्री .. फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री .. आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री .. फतेहपुर
(उर्फ अनिल सिंह)
अमर सिंह, श्री .. सहारनपुर
अम्बा प्रसाद, श्री .. बरेली
अम्बिका सिंह, श्री .. बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री .. सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी .. बस्ती
अशफाक अहमद, श्री .. बरेली
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री .. आगरा
इन्द्रजीत, श्री .. फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री .. गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री .. इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री .. शाहजहाँपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री .. गोण्डा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी एटा
ऊदल, श्री .. वाराणसी
ए० सी० ग्राइस, श्री .. कानपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री .. आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री .. मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री .. लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती कानपुर
कमला देवी, श्रीमती .. हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री .. जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती .. बस्ती
कल्यान सिंह, श्री .. बरेली
कल्लू राम, श्री .. मिर्जापुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री .. हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री .. चमोली
कुबेर, श्री .. देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री रायबरेली
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) फतेहपुर
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री .. इलाहाबाद
कृष्ण मगन सिंह, श्री .. बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर आगरा
केदार, श्री .. आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री .. गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री .. जौनपुर
केशीराम, श्री .. बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री .. एटा
कैलाश टण्डन, श्री .. वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री .. गोरखपुर
खरपत, श्री .. वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री .. देवरिया
खुर्शीद अहमद, श्री .. मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री .. बहराइच
खुशहाल सिंह राँगड़, श्री .. टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री .. आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री .. अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री .. इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री .. बाराबंकी
गया सिंह, श्री .. उन्नाव
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री .. नैनीताल
गुलाब सिंह, श्री .. देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री .. आगरा
गुलाम नबी, श्री .. आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती .. बस्ती

गोपाल राम दास, श्री अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री .. उन्नाव
गोरे लाल शाक्य, श्री .. इटावा
गोवरधन, श्री .. अल्मोड़ा
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री .. इटावा
चंचल सिंह, श्री .. रामपुर
चन्द्रप्रकाश शर्मा, श्री .. बाँदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री .. आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री पौडी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री .. लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री मेरठ
चेतराम गंगवार, श्री .. बरेली
छेदा लाल चौधरी, श्री .. खीरी
छेदी लाल, श्री .. गोंडा
जंग बहादुर, श्री .. जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री .. इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री .. शाहजहाँपुर
जटा शंकर सिंह, श्री .. बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री .. गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री .. खीरी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री .. अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री .. मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री फैजाबाद
जैराज सिंह मौर्य, श्री .. मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री .. सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री .. मेरठ
झिलमिट राम, श्री .. गाजीपुर
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री .. खीरी
तेज बहादुर, श्री .. जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री .. पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री .. आजमगढ़
थम्मन सिंह, श्री .. बिजनौर
दयालकृष्ण, श्री .. मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री .. जालौन
दल सिंगार, श्री .. आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री .. मेरठ
दीपक, श्री .. मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थो, श्री गोण्डा
दीपू, श्री .. आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री .. देवरिया
दूधनाथ, श्री .. आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री .. बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री .. सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री .. कानपुर

द्वारिका नाथ धवन, श्री .. देहरादून
धनेश्वरी देवी, श्रीमती .. वाराणसी
धरमपाल, श्री .. बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर .. अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री .. मेरठ
धर्म सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
धुप राय, श्री .. देवरिया
नकली सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री .. हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री .. देवरिया
नन्द राम, श्री .. बरेली
नरेन्द्र सिंह मण्डारी, श्री .. पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री .. पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र, श्री .. हरदोई
नियाज हसन खां, श्री .. प्रतापगढ़
निर्मल कुमार, श्री .. फैजाबाद
नेपाल सिंह, श्री .. एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी .. इलाहाबाद
पंचानन, श्री .. आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री .. गोरखपुर
परमाई लाल, श्री .. हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री .. बस्ती
परवीन कुमार, श्री .. बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री सीतापुर
पहलवान, श्री .. जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती .. बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री .. मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री .. अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री .. बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री .. प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री .. जौनपुर
प्रियदर्शी जेतली, श्री .. फैजाबाद
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती .. लखनऊ
फखरे आलम, श्री .. बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
बंशीधर, श्री .. रामपुर
बच्चा पाठक, श्री .. बलिया
बदन सिंह, श्री .. आगरा
बनवारी राम, श्री .. वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री .. बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री इटावा
बलवीर सिंह, श्री .. फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री .. रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री .. उत्तरकाशी

बाबू राम, श्री .. पीलीभीत
बाबू लाल, श्री .. गोंडा
बाबू लाल, श्री .. हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री .. अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री .. नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री .. फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
बृज किशोर, श्री .. देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती .. झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री .. लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री .. बदायूं
ब्रह्म दत्त, श्री .. देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
भागीरथ, श्री .. झांसी
भानुप्रताप सिंह, श्री .. बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री .. देवरिया
भीखा लाल, श्री .. उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री .. कानपुर
भूपसिंह केन, श्री .. गाजियाबाद
भृगुनाथ, श्री .. गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री .. बलिया
मण्डलेश्वर सिंह. श्री .. आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री .. बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री .. मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फशबरोज) गोंडा
महाराज सिंह, श्री .. आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती .. इटावा
महश उपाध्याय, श्री .. आगरा
महेश प्रसाद, श्री .. देवरिया
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री .. बस्ती
माधव प्रसाद, श्री .. फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री .. गोण्डा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री .. गोरखपुर
मित्रसेन, श्री .. फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री .. बदायूं
मुईद अहमद, श्री .. सुल्तानपुर
मुखतार अनीस, श्री .. सीतापुर
मुंशी लाल, श्री .. मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री .. गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री .. रामपुर
मोती लाल देहलवी, श्री .. कानपुर
मोहन लाल, श्री .. हमीरपुर

मोहन सिंह, श्री .. देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर .. गोण्डा
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद वसीम हाजी, श्री .. रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री वाराणसी
यशपाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री .. सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) .. गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर .. फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री .. वाराणसी
रईसेउद्दीन वारसी, श्री .. मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोण्डा
रघुबीर सिंह यादव, श्री .. मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री .. झांसी
रती राम, श्री .. बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री .. इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री .. रायबरेली
राज किशोर राव, श्री .. बहराइच
राज कुमार राय, श्री .. आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती .. सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री .. देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री .. झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री .. सीतापुर
राजन्द्र त्रिपाठी, श्री .. इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री .. अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री .. फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री .. इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री .. फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री .. बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री .. बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री .. हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री .. हरदोई
राम करन, श्री .. वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री .. आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री .. सीतापुर
राम कृष्ण, श्री .. जौनपुर
राम कृष्ण, श्री .. मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री .. बलिया
राम चन्द्र, श्री .. वाराणसी
राम चरण, श्री .. मिर्जापुर
राम जनम, श्री .. वाराणसी
रामजी राम, श्री .. फैजाबाद

राम धनी, श्री	. . गाजीपुर
राम नरायन, श्री	. . गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	. . प्रतापगढ़
रामपाल सिंह, श्री	. . मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	. . फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	. . जालौन
राम प्रसाद, श्री	. . मुजफ्फरनगर
राम यश सिंह, श्री	. . सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री	. . सीतापुर
राम लाल, श्री	. . सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	. . हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	. . जौनपुर
राम समुझावन, श्री	. . जौनपुर
राम सागर, श्री	. . बाराबंकी
राम सिंह, श्री	. . सहारनपुर
राम सिंह, श्री	. . सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	. . बरेली
राम सिंह रावत, श्री	. . एटा
राम सेवक, श्री	. . सुल्तानपुर
राम स्वरूप, श्री	. . सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	. . कानपुर
राम हर्ष, श्री	. . गाजीपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	. . बहराइच
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	. . बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	. . बाँदा
रिजवानुर्रहमान, श्री	. . बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	. . मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	. . देवरिया
रूप राम, श्री	. . शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	. . सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री	. . एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	. . मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	. . प्रतापगढ़
लालसा, श्री	. . आजमगढ़
लोकपति, श्री	. . मिर्जापुर
लोकमणि, श्री	. . मथुरा
बासुदेव सिंह, श्री	. . प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	. . लखनऊ
विजय पाल, श्री	. . गाजियाबाद
विजययशंकर सिंह, श्री	. . गाजीपुर
विद्या भूषण, श्री	. . मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी-गढ़वाल
विनोद कुमार, श्री	. . पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	. . फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	. . सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	. . बिजनौर
विश्राम दास, श्री	. . इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	. . मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	. . गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	. . सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	. . गाजियाबाद
वृद्धि नरायन, श्री	. . वाराणसी
शम्भू नाथ, श्री	. . आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	. . मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	. . बाँदा
शिव दर्शन, श्री	. . रायबरेली
शिव नरेश, श्री	. . बाँदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	. . उन्नाव
शिव प्रताप सिंह, श्री	. . बाँदा
शिव बालक, श्री	. . रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	. . मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	. . अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी-गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	. . फैजाबाद
शोनाथ सिंह, श्री	. . बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	. . बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	. . बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	. . बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	. . वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	. . सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	. . वाराणसी
संजय सिंह, श्री	. . सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री	. . बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	. . उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	. . खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सन्त बक्स रावत, श्री	. . लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	. . बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	. . प्रतापगढ़
साहब सिंह, श्री	. . गाजीपुर
सीताराम निषाद, श्री	. . फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	. . इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	. . गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	. . देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री	. . ललितपुर

सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली	स्वामी नेमपाल, श्री	.. बुलन्दशहर
सुनील शास्त्री, श्री	.. गोरखपुर	स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	.. हमीरपुर
सुन्दर सिंह, श्री	.. बहराइच	हंसराज सिंह वर्मा, श्री	.. एटा
सुरेन्द्र कपिल, श्री	.. सहारनपुर	हर गोविन्द वर्मा, श्री	.. सीतापुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद	हरदेव, श्री	.. बलिया
सुरेंन्द्र प्रताप नारायण, श्री	.. बस्ती	हर नरायन सिंह, श्री	.. रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह, श्री	.. गाजीपुर	हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	.. बांदा
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	.. अलीगढ़	हरिद्वार पाण्डेय, श्री	.. गोरखपुर
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	.. जालौन	हरि प्रसाद, श्री	.. उन्नाव
सुल्तान सिंह, श्री	.. मुरादाबाद	हरिवंश सहाय, श्री	.. देवरिया
सूबेदार सिंह, श्री	.. मैनपुरी	हरि सिंह, श्री	.. बुलन्दशहर
सूरजभान, पंडित,	.. अलीगढ़	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	.. जौनपुर	हरीशंकर, श्री	.. हरदोई
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री	.. मेरठ	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
सोमांश प्रकाश, श्री	.. मुजफफरनगर	हेमचन्दनिमेष, श्री	.. मेरठ
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ		

नोट--मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 4 अगस्त, 1980

तारांकित प्रश्न

*1--श्री भगवती सिंह विशारद--

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

*2--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर हटाया गया।]

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय की सेवा नियमावली

*3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फल उद्योग तथा फल उपयोग (हार्टिकल्चर तथा फ्रूट यूटिलाइजेशन) विभाग को खुले 30 वर्ष हो गये परन्तु उसके कर्मचारियों के सेवा नियम अभी तक नहीं बने हैं ? यदि हाँ, तो क्यों और उक्त विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं इस समय किन नियमों के अधीन चल रही हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय, कृषि विभाग से अलग होकर वर्तमान रूप में 1974 में गठित हुआ। उसी समय से सेवा नियमावलियों के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उद्यान विभाग एवं फल उपयोग विभाग को समेकित किया गया है। इनके भिन्न-भिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की सम्मिलित सेवा शर्तें बनाने में अनेक जटिल प्रशासनिक प्रश्न सन्निहित होने के कारण अभी तक सेवा नियमावलियों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये शासनादेशों, एम0जी0ओ0, वित्तीय नियम संग्रह, कृषि सेवा नियमावलियों और लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित तदर्थ सिद्धान्तों के आधार पर कार्य-संचालन किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

कृषि उत्पादन मण्डी समिति के कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने के सम्बन्ध में 3 महीने की अवधि का आश्वासन दिया गया था, तो क्या इसके बारे में भी कोई समयबद्ध अवधि बतायेंगे कि इस समय में यह नियमावली उनके लिए बन जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह बनाई जा रही है, लेकिन इसके लिए समय देना मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि यह नियमावली बनाने में भी शीघ्रता की जाएगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सन् 74 में इस निदेशालय का गठन हुआ, उससे सन् 80 तक इसमें जो नियुक्तियाँ हुई हैं, वह कितनी हुई हैं और किस सेवा शर्तों के अनुसार हुई हैं ? कृषि विभाग के सेवा शर्तों के अनुसार हुई हैं या अन्य किसी प्रकार से ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कृषि विभाग के नियमों के अनुसार तथा लोक सेवा आयोग के जो सर्कुलर होते हैं और जो अन्य शासनादेश हैं, उनके जरिए से अभी तक कार्य चलाया गया है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन यह है कि आज यहाँ पर 2 प्रश्न उपस्थित हुए हैं। एक प्रश्न तो यह है कि विभागों में सेवा करने वाले कर्मचारियों की सेवा नियमावली नहीं बनी है। मेरी निश्चित् जानकारी है कि ऐसे अनेक विभाग हैं, जिसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की कोई सेवा नियमावली नहीं बनी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी नीति निर्धारित करेगी, जिसमें उनके यहाँ जिन विभागों में सेवा नियमावली नहीं बनी है, वहाँ के लिए कोई समय निर्धारित करके उनको तैयार करा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

अन्य विभागों के बारे में कृषि मन्त्री जी क्या उत्तर देंगे ? यह तो एक नीति निर्धारित करने का प्रश्न है कि एक निश्चित समय में सेवा नियमावली तैयार होगी। आप इस प्रश्न से सम्बन्धित ही प्रश्न कीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जिन नियमों के अधीन उनकी सेवाओं को विनियमित कराया जा रहा है, उसका आधार क्या है और क्या विभाग में कोई वरिष्ठता कार्य-सूची तैयार हो गयी है ? यदि नहीं, तो ऐसी सूची न बनने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जब नियमावली बन कर आई, तो विभाग में कोई सिनियोरिटी लिस्ट बनी या नहीं ? सबसे बड़ा झगड़ा विभाग में इस बात पर है कि प्रोमोशन्स और नियुक्तियाँ, बिना किसी आधार के, अधिकारियों के स्वविवेक के आधार पर हो रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाग में कोई वरिष्ठता की सूची बनी है या नहीं ? यदि नहीं, तो विभिन्न कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने का आधार क्या है ? मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें संरक्षण दें और इस प्रश्न का पुनः उत्तर दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का उत्तर कि उक्त विभाग के कर्मचारियों की सेवायें इस समय किन नियमों के अधीन चल रही हैं, प्रश्न के मूल उत्तर में है। उन्होंने कहा है कि "फिलहाल राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये शासनादेशों, एम0जी0ओ0, वित्तीय नियम संग्रह, कृषि सेवा

नियमावलियों और लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित तदर्थ सिद्धान्तों के आधार पर कार्य संचालन किया जा रहा है।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा प्रश्न केवल यह है कि क्या विभाग में कोई वरिष्ठता की सूची बनी है ?

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट एवं कई अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कितने लोग एक साथ बोलेंगे ? जिस माननीय सदस्य का यह प्रश्न था, वे सदन में मौजूद नहीं थे। इसके बाद इस सम्बन्ध में माननीय ओझा जी और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने दिलचस्पी दिखायी। माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने प्रश्न पूछ लिया, अब माननीय ओझा जी प्रश्न करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस मूल प्रश्न की मंशा यह थी कि विभाग में नियमानुसार काम नहीं हो रहा है, कोई वरिष्ठता की सूचा नहीं बनी है। माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया कि सूचना की आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना है कि आप हमें संरक्षण दें, यह पूरे कृषि विभाग का प्रश्न है। आप इसे इस समय स्थगित कर दें और दुबारा इसे ले लें अन्यथा कर्मचारियों का संरक्षण कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न में यह निहित नहीं है। इसमें आपने यह नहीं पूछा था कि वरिष्ठता की कोई सूची बनी या नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपने हमारे सवाल को ग्राह्य कर लिया, मन्त्री जी का उत्तर आ गया। मैं कमेन्ट तो नही कर सकता, लेकिन अब अगर हमारे सवाल पर. . . .

श्री अध्यक्ष--

मैंने जो कहा है वह बता रहा हूं। आपने दो प्रश्न पूछे थे, एक का उत्तर मैंने दे दिया कि आपके प्रश्न का उत्तर इसमें दिया हुआ है, दूसरे के लिए आप अगर जानकारी चाहते हैं, तो फिर से अलग से प्रश्न पूछ लें। वह इससे सम्बन्धित नही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि वहां पर बिना किसी नियमों के और बिना किसी आदेश के मनमाने तरीके से नियुक्तियां सन् 1974 से हो रही हैं। क्या मन्त्री जी उनकी स्क्रूटनी कराकर सीनियारिटी लिस्ट तैयार करवायेंगे ? और जब तक सेवा शर्तें नहीं बनती हैं, तब तक कृषि सेवा नियमावली के अन्तर्गत काम करने के आदेश देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह विभाग पहले कृषि विभाग के ही अन्तर्गत था, लेकिन 1974 में इसको अलग से निदेशालय का रूप दे दिया गया। जो नियुक्ति वगैरह होती हैं, वे कृषि विभाग की नियमावली जो हैं, उसी के अनुसार होते हैं, क्योंकि इसकी अलग से कोई नियमावली नहीं है अभी। प्रोन्नति के बारे में अगर कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत है, माननीय सदस्य की जानकारी में तो वे मुझे कृपया बतावें, मैं उसको दिखवा लूंगा और आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

मण्डी परिषद् के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*4--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1979 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री रणवीर सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री बतान

का कष्ट करेंगे कि सेवा नियमावली के प्रकाशन परीक्षण के उपरान्त परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का जो आश्वासन दिया था उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा मण्डी समिति की नियमावली एवं उनकी केन्द्रीय सेवा नियमावली के प्रकाशन का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मण्डी परिषद् के कर्मचारियों के सेवा विनियम मण्डी परिषद् द्वारा बना लिए गये हैं और उनका विधीक्षण मण्डी परिषद् के विधि परामर्शी द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के अधीन बनाई गयी नियमावली का भी विस्तृत परीक्षण कर आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका विधीक्षण विधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। मण्डी परिषद् के कर्मचारियों के सेवा विनियम विधीक्षित होने के उपरान्त केन्द्रीय सेवा नियमावली तैयार कर परिषद् के आदेशार्थ रखी जायगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी इसकी कोई निश्चित तिथि की घोषणा कर सकते हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, निश्चित तिथि की घोषणा करना तो बहुत मुश्किल है। वैसे मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि कुछ दिन पहले हमारे पास मण्डी परिषद् के कर्मचारी व परिषद् के अधिकारीगण आये थे तो उनसे विस्तार से मेरी वार्ता हो चुकी है और मैंने उनसे कहा था कि तीन महीने के अन्दर हमारा प्रयास होगा कि उनकी जो नियमावली है, उसको अन्तिम रूप दे दिया जाय।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् के कर्मचारियों द्वारा चलाए गये आन्दोलन में, आपने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें सभी पूरी कर दी जायेंगीं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि परिषद् के कर्मचारी हमारे पास आए थे और उनसे विस्तार से सारी बातें हो गयी हैं। उनकी जो मांगें थीं, उन पर शासन ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था और उन्होंने खुश होकर कहा था कि हम लोग आपकी राय से सहमत हैं और मैंने जैसा कि पहले बताया कि 3 महीने के अन्दर जो उनकी मांगें हैं, उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करने का आश्वासन दे दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी नियमावली बन गई है और नियमावली बनाने के बाद उसको विधि निरीक्षण के लिए किस-किस के पास भेजा गया और उसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मण्डी परिषद् के जो विधि परामर्शी हैं, उनके पास पत्रावली भेजी गई है निरीक्षण के लिए, और जैसा मैंने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अन्दर हमारा प्रयास होगा कि यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाय, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए निश्चित तिथि बताना मुश्किल बात है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, विधि परामर्शी के पास पत्रावली कब भेजी गयी है ? उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, तारीख बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा मैटीरियल प्रश्न नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजना

*5--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश में पेय-जल संकट को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेय-जल संकट निवारण हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय-जल संकट निवारण हेतु प्रदेश द्वारा सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं :--

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पेय-जल संकट से प्रभावित 35,506 ग्रामों में पेय-जल सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्य कराए जा रहे हैं और अभी तक 7,001 ग्रामों में पेय-जल व्यवस्था की जा चुकी है। वर्ष 1980-81 में इस योजना के अन्तर्गत 32.25 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है, जिसके द्वारा लगभग 900 ग्रामों में वर्ष 1980-81 में पेयजल उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के मैदानी जिलों की ग्रामीण हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में पेय-जल कूप, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में हैण्ड पम्प और पर्वतीय जिलों की ग्रामीण हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में डिग्गियों का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के प्रथम 4 माह के व्यय के लिए प्रदेश के सूखा प्रभावित 19 मैदानी जिलों को रु0 58,33,330 कूप निर्माण हेतु आवंटित किया गया है।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैंने मन्त्री जी से यह जानने की कोशिश की थी कि माननीय मन्त्री जी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पेय-जल संकट की स्थिति को देखते हुए, किन भौगोलिक परिस्थितियों में कहां-कहां, कौन-कौन सी योजनाएं लागू करा रहे हैं, इसका तो स्पष्ट विवरण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पेय-जल संकट के निवारण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं प्रदेश के अन्दर बनाई जा रही हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से पानी के संकट को हल करेंगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन, प्रदेश में दो प्रकार की योजनायें इस वक्त पेय-जल के सम्बन्ध में चल रही हैं-- एक तो जल निगम द्वारा चलती है, जिसके कुछ माप दण्ड हैं, जैसी कन्डीशन होती है, जल निगम द्वारा वहां उसे लिया जाता है ; दूसरी है, ग्रामीण विकास के जरिए से। जो हरिजन बस्तियां हैं, जहां निर्बल वर्ग के लोग रहते हैं, वहां पर ग्रामीण विकास के द्वारा कुयें खोदना, नल लगवाना, डिग्गियां बनवाना, ये तमाम कार्य किए जाते हैं। सम्मानित सदस्य ने जैसा कहा कोई विस्तृत योजना नहीं है, मैं सम्मानित सदस्य को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के लिए एक विस्तृत योजना है। उसके माप दण्ड बनाए जायेंगे। जहां पहाड़ हैं, वहां डिग्गियां इस्तेमाल की जाती हैं, जहां पहाड़ी इलाका है वहां ब्लास्टिंग के जरिए कुयें बनाए जाते हैं, जहां पानी का लेविल ऊपर है वहां नल लगाये जाते हैं, जहां कुयें से काम चल सकता है, वहां कुयें बनाए जाते हैं। इस तरह जहां की जैसी भौगोलिक स्थिति है, वहां पर उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

श्री ऊदल--

क्या पिछली पेय जल योजनायें, जो अब तक जल निगम के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका भी मूल्यांकन सरकार ने कराया है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जितने गांवों के लिए पानी देने की व्यवस्था की गयी थी, उनमें से 1/4 गांवों को पानी अब तक नहीं मिला, चाहे नौगढ़, वाराणसी की पेय-जल योजना हो, या वाराणसी की पिंडरौना पेय-जल योजना हो, इस तरह की पूरे प्रदेश की जितनी पेय-जल योजनायें हैं, वे

1/4 गांवों में अब तक पानी नहीं पहुंचा पाई हैं, डिफेक्टिव हैं। लाखों रुपए का घाटा हो गया है। क्या इस का भी सरकार ने मूल्यांकन कराया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सम्मानित सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह किसी हद तक सही ह और यही वजह है कि सरकार उन तमाम क्षत्रों म सर्वेक्षण करा रही है, जहां पर जल निगम के द्वारा या ग्रामीण विकास विभ ाग द्वारा इस तरह की योजनाएं बनाई गयी हैं। एसी शिकायत बहुत से जगहों से आई हैं, जहां पर पानी सही रूप से नहीं मिल रहा है। मैं सम्मानित सदस्य का अनुगृहीत हूंगा, अगर वह जिस तरह से उन्होंने दो जगह बताई हैं, जिन को मैंने नोट किया है, इनके अतिरिक्त भी बतायेंगे, तो वहां की भी जानकारी कराई जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि पाटा पेय-जल योजना जिसका एरिया मांझा तहसील, इलाहाबाद से लेकर बांदा तथा और जिलों में फैली है, जिसे जल निगम ने बनाया और उसके बाद मैंनटीनेस के लिए जल संस्थान को दे दिया गया, जिसके अध्यक्ष कमिश्नर झांसी डिवीजन हैं, कमिश्नर झांसी ने अध्यक्ष की हैसियत से सरकार से 45,50 लाख रुपए की मांग की कि इतना रुपया उनको मिलेगा, तो वह मैन्टीनेस कर पायेंगे। इसकी वजह से वह पूरी पाटा पेय-जल योजना बेकार पड़ी है। जल संस्थान के अध्यक्ष ने जो मांग की हैं सरकार से माननीय मन्त्री जी ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, 1972 में सर्वे हुआ था, उसके अनुसार 35,506 ग्रामीण पेयजल स्कीमें हैं। इनको लागू करने की सिफारिश की गयी थी। 1,12,561 गांव उस हिसाब से आते हैं। माननीय सदस्य ने जिस तरफ इशारा किया है, उसे मैंने नोट कर लिया है। 7001 ग्राम जहां योजना पूरी हो चुकी है और 900 ग्राम जहां पूरी होनी है, उनकी सूचना देना इस समय सम्भव नहीं होगा लेकिन यह जरूर है कि जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है, उसको जरूर दिखवा लूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

चूंकि इसका मेंटिनेंस जल संस्थान को दिया गया है और जल संस्थान के पास फण्ड्स नहीं हैं, लिहाजा पूरी योजना बेकार हो गयी है। जल संस्थान के अध्यक्ष ने कहा था कि इतना रुपया उनको दे दिया जाय, तब वह मेंटिनेंस कर पायेंगे, तो उनकी डिमाण्ड पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा मैंने निवेदन किया इस तरह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है। बहरहाल इसे देखा जायगा और जो सही बात होगी, उसे किया जायगा और वहां के रहने वालों को राहत देने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं, उनको तत्परता से उठाया जायगा।

श्री भीखा लाल—

25,596 गांवों में पेय-जल की समस्या है। अभी तक 7,001 गांवों में पेय-जल की समस्या हल की जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में 900 गांवों में और हल हो जायगी। इस तरह से साढ़े 17 हजार गांवों में यह समस्या हल होनी बाकी है। अगर इसी रफ्तार से समस्या को हल किया गया, तो तीस वर्ष लग जायेंगे, तब यह सरकार पेय-जल की समस्या को हल कर पायेगी। क्या सरकार इस गति से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्या वह इस गति को तेज करने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

700 और 800 गांव जल निगम से सम्बन्धित हैं। 1970 ग्रामों में पेय-जल की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा 2000 गांवों में शासन हैण्ड पम्प लगवाने

जा रहा है। टोटल 4180 होता है और 900 इससे अलग हुए। इस तरह से 5000 जगहों पर पेय-जल की व्यवस्था कराई जा रही है। चूंकि पानी काफी है लिहाजा लैण्ड डवलपमेंट विभाग तथा जल निगम दोनों मिलकर पेय-जल की व्यवस्था करा रहे हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

बड़ी विकट समस्या हमारे सामने है। भोजन तथा मकान की समस्या तो दूर रही, यह सरकार पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पाई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास के अन्तर्गत जो हरिजनों तथा निर्बल वर्ग के लिए कुएं खोदे गए, वे अधूरे पड़े हुए हैं तथा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि वहाँ हैण्ड पम्प लगाए जा रहे ह, तो इस सम्बन्ध में म यह बतलाना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वे हैण्ड पम्प भी कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं, तो क्या माननीय भन्त्री सही-सही जानकारी करायेंगे ? जो रिपोर्ट इस सम्बन्ध में आई है, वह अगर गलत आई है, तो क्या वह सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य ने जैसा जिक्र किया जो शिकायतें मिलती हैं उन पर तत्परता से कार्य किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

सबसे ज्यादा जल संकट बाँदा, मिर्जापुर तथा इलाहाबाद में है। इन जिलों के पेय-जल संकट को वह कब तक पूरा कर पायेंगे ? क्या वह इसके लिए कोई समय निश्चित करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

कोई समय निश्चित करना सम्भव नहीं है। इन जिलों को टाप प्रायरिटी दी जा रही है ताकि पानी की सुविधाएं यहाँ पहुंच जायं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, यह नहीं होगा। हमको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इसके लिए भी आपको कोई रास्ता निकालना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अभी आपको भी समय मिलेगा।

एक सदस्य—

मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्तर है।

(व्यवधान)

श्री दलगंजन सिंह—

आप प्रौमिनेंट मेम्बरों को ही बोलने का मौका देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप आरोपात्मक बात मत कहिए।

श्री दल गंजन सिंह—

मैं एक बार नहीं पचास बार कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठिए। जब आप मेरा ध्यान आकर्षित करा सकेंगे तभी मैं आपको बुलवाऊंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, मैं ो प्रश्न करना चाहता हूं। पहला तो यह है कि क्या यह सच है कि जल निगम द्वारा जब यह ग्रामीण पेय-जल योजना चलाई गयी थी, तो उसमे यह तय किया गया।

था कि 25 प्रतिशत जिला परिषद् कॉंट्रिब्यूट करेगी? क्या यह भी सही है कि प्रदेश की किसी भी जिला परिषद् ने इसमें अपनी सहमति व्यक्त की थी? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी जिला परिषद् सक्षम नहीं है, इस बंदिश को दूर करने का आश्वासन देंगे ? दूसरी बात यह है कि कुओं की मरम्मत के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ? इसके लिए क्या मन्त्री जी जो पुराने जीर्ण-शीर्ण कुंएं हैं, उनके लिए भी बजट में प्राविधान करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । हमारे गाँवों में जो कुयें हैं, उनकी अकसर मरम्मत नहीं होती जिससे जो वहाँ पर बरसात आदि का पानी होता है वह भी इन कुओं में भर जाता है, जिससे बीमारी फैलने की सम्भावना रहती है। मान्यवर, गाँवों में जहाँ इस तरह की वित्तीय कठिनाइयाँ हैं, वहाँ हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों के लिए शासन पूरा खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। जहाँ तक माननीय सदस्य के दूसरे सवाल का ताल्लुक है, कुओं की मरम्मत आदि के लिए, उसके सम्बन्ध में मैंने कल ही एक बैठक डेवेलपमेन्ट कमिश्नर्स और जिला अधिकारियों की बुलाई थी, जिसमें ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में और भी बातें हुई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पेय-जल का था। अकसर गाँवों में बरसात का पानी कुओं में भर जाता है। उसके लिए कल ही सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि सारे प्रदेश के कुओं का सर्वे किया जाय। बी0डी0ओज0 सर्वे करेंगे और पानी के लेबुल को ध्यान में रखते हुए उसको ऊंचा करने का वे तखमीना भी तैयार करेंगे। तखमीने को तैयार करके वे डी0एम0 को भेजेंगे और उसके अनुसार जो भी रिपेयर आदि का कार्य होगा, वह किया जायगा। इस तरह से शासन ने निर्णय लिया है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री दल गंजन सिंह--

जहाँ-जहाँ पेय-जल योजना चालू हुई उसका पानी गाँवों के अन्दर रास्तों में इकट्ठा हो जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि पेय-जल योजना के साथ-साथ क्या पानी की निकासी की योजना भी मन्त्री जी के विभाग में है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, गाँवों में जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ ड्रेनेज की भी समस्या है। शासन इस बात को देख रहा है कि सारी समस्याओं का समाधान एकदम से हो जाय। लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं हैं और उनको देखते हुए इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ड्रेनेज के मामले को भी साथ ही साथ सुलझाया जाय और पानी की निकासी की व्यवस्था भी की जाय ।

श्री अमर सिंह--

श्रीमन्, जनपद सहारनपुर में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 16 वर्षों से एक स्कीम बनाई गयी थी ट्यूबवेल बनाने की। अभी तक वहाँ पर दो ट्यूब-वेल ही चालू हुए हैं। एक को बोर करने में 6, 7 महीने लग गये, तो 30, 40 ट्यूबवेल बनने हैं, तो इस स्कीम को पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे ? वहाँ पर मशीन का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जा रहा है कि जल्दी काम हो ?

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न का सम्बन्ध सीधा स्वायत्त शासन विभाग से है लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर सम्मानित सदस्य इस बारे में लिख कर दें शासन को, तो उस पर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

वैसे तो सारे प्रदेश में पेय-जल की समस्या है लेकिन बुन्देलखण्ड में उस पर युद्धस्तर पर कार्य चालू है, उसी से लगा हुआ इटावा जनपद है जिसमें जमुना और चम्बल के बीहड़ क्षेत्र हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बुन्देलखण्ड की तरह

इटावा के इन बीहड़ क्षेत्रों में जहाँ पर पानी बहुत गहराई में है वहाँ के लिए भी पेय-जल योजना की समस्या के निवारण के लिए योजना बनायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, इटावा के जिस क्षेत्र के सम्बन्ध में आपने इशारा किया है उसी के सम्बन्ध में जल निगम ने और ग्राम्य विकास ने भी योजनायें बनाई हैं, इस समय मेरे पास पूरा ब्योरा नहीं है अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इन्हें बता सकते हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

श्रीमन्, अभी तक कोई योजना वहाँ नहीं बनी है जैसी कि मेरी जानकारी है, अगर मन्त्री जी को इसकी जानकारी हो, तो वह स्पष्ट बताने की कृपा करें ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय मन्त्री जी न कहा कि जिन गाँव सभाओं में कुएं टूटे हुए हैं, उनका निरीक्षण बी0डी0ओ0 करेंगे, तो जिन गाँव सभाओं के पास पैसा नहीं है और जिनका काम रुका पड़ा है, तो क्या उनके लिए पैसे का भी इन्तजाम करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिन गाँव सभाओं के पास पैसा नहीं है, उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था करेंगे।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

माननीय, पर्वतों में पानी का भी राष्ट्रीकरण कर दिया गया है। हमारे टेहरी-गढ़वाल में तीन सौ गाँवों में पानी के पीने की बेहद कमी है। जब वहाँ इस सम्बन्ध में मीटिंग हुई थी, तो केवल 30 योजनायें मन्जूर हुई हैं, बाकी 270 योजनायें जल संस्थान अथवा शासन के पास पड़ी हैं। इन 30 योजनाओं में ही एक साल से अधिक लग गया है, बाकी के बनने में कितना समय लगेगा ? वहाँ पर 3, 4 मील से पानी लाना पड़ता है, तो मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह वहाँ के विधायकों की अलग से मीटिंग बुलाकर इस बारे में गोष्ठी करने के लिए तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्यों के मशवरे का स्वागत है। अगर वह चाहते हैं कि अलग से मीटिंग ई जाय, तो वह बुला ली जायेगी।

श्री मित्र सेन--

क्या मन्त्री जी, इस योजना को समयबद्ध करने के लिए तैयार हैं कि एक निर्धारित समय के अन्दर पेय-जल संकट समाप्त हो जायेगा। दूसरा मन्त्री जी ने कहा कि वर्ष 80-81 के प्रथम चार महीनों में यह काम हो जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में वह कौन क्षेत्र हैं, जहाँ पेय-जल की समस्या हल हो जायेगी। तीसरा प्रश्न यह है कि आपके द्वारा हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, कुएं तो पानी दे रहे हैं लेकिन हैण्ड पम्प जो लगाए गये, वह बिगड़ गए हैं जिनका उपयोग लोग जानवरों को बाँधने के लिए खूंटे के रूप में कर रहे हैं, तो उनकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्य ने एक ही साथ 3 प्रश्न किए हैं, यों वह चार हो जाते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बार आप बता दीजिए।

श्री अम्मार रिजवी--

जो पहला प्रश्न उन्होंने समय-बद्ध करने के बारे में किया है, तो टाइम लिमिट में भी करना चाहता हूं, जिस समय सरकार को साधन उपलब्ध हो जायेंगे, तब योजनायें पूरी हो जायेंगी। दूसरा प्रश्न यह है कि कौन से स्थान हैं, जहाँ पर 58 लाख के करीब खारा

आवंटित किया गया है, तो यह सहारनपुर, बिजनौर, मथुरा, आगरा, इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया आदि 19 जिले हैं। तीसरे प्रश्न के द्वारा उन्होंने यह जानकारी चाही है कि जो हैण्ड पम्प लगाए गये हैं, तो उनके सम्बन्ध में अभी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न अभी हमारे सामने बीमारी फैलने और कुओं के सुधार का है, तो अभी कुओं को ही हमने वरीयता दी है, उसके बाद ही हैण्ड पम्प का नम्बर आएगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

बुन्देलखण्ड में जल संकट की समस्या प्रदेश भर में सबसे भयंकर है, इसे माननीय मन्त्री जी जानते हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भी योजनाएं आपके द्वारा हैं, वे सब दीर्घकालीन हैं, तो क्या आप कोई अल्पकालीन योजना भी बना रहे हैं, जिससे अगले साल ही यह जल संकट दूर हो जाये ?

श्री अम्मार रिजवी--

कुएं खुदवाने---ब्लास्ट कुओं का जो कार्य है, इस प्रकार के कुएं खोदवाए जा रहे हैं, इससे तो तुरन्त ही संकट दूर हो सकता है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं के चुनाव की मांग

**1---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्र सेन, डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री मोहन सिंह---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं के चुनाव कब तक करा दिए जायेंगे ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

नागरीय स्थानीय निकायों-नगर पालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं में शीघ्रतिशीघ्र चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

इस बात को देखत हुए कि इस सम्बन्ध में इस सदन में एक संशोधित विधेयक भी पास किया गया कि 30 सितम्बर तक चुनाव हो जायेंगे तथा माननीय मन्त्री जी ने भी बरेली में एक बयान दिया कि चुनाव दिसम्बर तक करा दिए जायेंगे, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बलिया में बयान दिया कि चुनाव फरवरी, 1981 में कराए जायेंगे, तो इन बयानों में परस्पर एक विरोधाभास है, वे अन्तरविरोधी हैं, इसको ध्यान में रखते हुए वे क्या शीघ्रातिशीघ्र इसकी परिभाषा करेंगे कि कब तक हो जायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना---

इसके सम्बन्ध में तरह-तरह के सवाल अखबार वाले और माननीय सदस्य भी पूछते हैं और बाध्य करते हैं कि कोई निश्चित तिथि बतलाई जाय। समय-समय पर कुछ कारणों से यह समय बदलता रहा। अब 18 वर्ष की आयु जो कर दी गयी है, उसके अनुसार लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी बीच केन्द्रीय सरकार का सेन्सेज का काम शुरू हो गया। उनका आदेश है कि आप चुनाव 15 अक्तूबर तक न करायें। अब इस समय हमारे कर्मचारी भी उसी काम में लगे हैं। जितनी मशीनरी हमारी है, वह उस सेन्सेज के काम में लगी है। यह इसलिए अभी नहीं हो पायेगा।

दूसरा एक फैसला आपकी पिछली मन्त्रि परिषद् का किया हुआ है कि चुनाव जो मेयर और मेम्बरों का हो, इनडायरेक्ट हो और कानून यह कहता है कि डायरेक्ट हो। यह अपनी तरफ से पूरी-पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द चुनाव हों और आइन्दा आपको यह कहने का मौका न मिल पाये कि चुनाव फिर हटाया गया।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं बड़े दुख के साथ यह माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मन्त्री जी ने जो बरेली में यह घोषणा की है कि बरेली का चुनाव उस समय किया जायेगा, जब यह कारपोरेशन हो जायगा। बरेली, मेरठ और गोरखपुर को कारपोरेशन बनाने का जो प्रोसेस है, वह कब तक पूरे हो जायेंगे, ताकि वह चुनाव हो सकें ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न में कारपोरेशन बनाने की बात कहाँ है ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की है। जो प्रश्न शीघ्रातिशीघ्र का है, मैं उससे इसको जोड़ रहा हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि वह जो कारपोरेशन का डिक्लेरेशन है, माननीय मन्त्री जी का बरेली में, उसका क्या असर पड़ रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने तो बताया कि मतदान के लिए 18 वर्ष की उम्र करने का सवाल जो है, उससे दिक्कत पड़ रही है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, पूर्व शासन के स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि कुछ ऐसी नगरपालिकायें हैं, जो डिफाल्टर्स लिस्ट में हैं, उनके चुनाव नहीं कराये जायेंगे। मौजूदा शासन भी क्या इस तरह का विचार करके कुछ नगरपालिकाओं का चुनाव कराने और कुछ का न कराने पर विचार कर रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया यह स्पष्ट करेंगे कि जो प्रयासरत है सरकार, तो वह कौन-कौन से प्रयास हैं ? सरकार कैसा प्रयास कर रही है ? क्या सरकार उन प्रयासों की रूप-रेखा प्रस्तुत करेगी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री ऊदल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो डायरेक्ट–इनडायरेक्ट चुनाव के बारे में बताया कि सरकार विचार कर रही है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी कि अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट हो ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मैंने आपसे समस्या बतायी। कानून यह कहता है कि डायरेक्ट चुनाव हो, मन्त्रि परिषद् का पहले यह फैसला हो चुका है कि इन-डायरेक्ट हो। अब इन दोनों के बीच में हमको फैसला करना है। यह विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट चुनाव कराने की जो बात है, माननीय मन्त्री जी बताते हैं कि मन्त्रि परिषद् का फैसला इन-डायरेक्ट कराने का है, तो यह फैसला किस मन्त्रि परिषद् का है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

पिछली मन्त्रि परिषद् का फैसला था।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के किन-किन जिलों में कौन-कौन सी ऐसी बस्तियों में टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका काफी ब्योरे का सवाल है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि बहुत सी नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जिनमें कि बहुत से नये क्षेत्र मिला दिए गये हैं, तो क्या सरकार उनका पुनः सीमन कराएगी या ऐसे क्षेत्रों को उनके पड़ोसी इलाकों में मिला देगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जाँच हो रही है, इस बारे में जहाँ-जहाँ ऐसे क्षेत्र सामने आयेंगे, उनकी जुगराफिया के अनुसार. . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने माननीय मन्त्री जी से दूसरा प्रश्न किया था जो बिल्कुल साफ है। मैं यह जानना चाहता था कि जिन क्षेत्रों में कुछ नयी सीमाएं बन गयी हैं, तो क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में जोड़ दिया जायेगा? यदि ऐसा किया गया, तो मान्यवर कोई वार्ड बहुत बड़ा हो जायेगा और कोई बहुत छोटा तो मान्यवर, मैं इसमें सिर्फ यह जानना चाह रहा था कि इन क्षेत्रों को उनके किसी पड़ोसी क्षेत्र में जोड़ा जायगा या परिसीमन किया जायेगा तब चुनाव होंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मैं आपके इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा था, अगर यह क्षेत्र एक्जाई हुए तो उन्हें एक नया वार्ड भी बनाया जा सकता है और यदि एक्जाई न हुए, तो जोड़ा भी जा सकता है, इसकी जाँच हो रही है, जैसा भी होगा सरल रूप में कर दिया जायगा, परन्तु इससे चुनाव होने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, सरकार बिल्कुल अनिश्चय में है कि वह चुनाव कराएगी अथवा नहीं कराएगी, अभी उसका कोई एक निर्णय नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जिन शहरों, गाँवों और कस्बों में नागरिक त्रस्त हैं लगातार गन्दगी फैलने से, उसके सम्बन्ध में एडमिनिस्ट्रेशन क्या अधिक प्रभावी बन सकता है उस गन्दगी को दूर करने में और अब तक इस गन्दगी के कारण जो बीमारी फैली है, जिनसे कुछ लोग मरे हैं, तो क्या उनके परिवार के लोगों को कम्पेनसेशन देने के लिए भी सरकार कोई निर्णय लेगी ?

इसके बारे में स्पष्ट निर्णय सरकार का माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं।

श्री राम सिंह खन्ना--

कैसा स्पष्टीकरण आप चाहते हैं ?

श्री सूबेदार सिंह--

चारों तरफ जो आज गन्दगी फैली है, उसको रोकने का उत्तरदायित्व और इसके कारण फैली बीमारी के ऊपर कन्ट्रोल करने के दायित्व के बारे में पूछना चाह रहा था।

श्री राम सिंह खन्ना--

जैसा कि आपने बताया कि गन्दगी रोकने का दायित्व वह तो है ही हमारा दायित्व, तो हम इस गन्दगी को रोकने के लिए प्रयास करेंगे और चुनाव भी जल्द कराने का प्रयास करेंगे।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैं माननीय [redacted] जी से यह मालूम करना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बात है कि सरकार म्युनिसिपल बोर्ड के मतदाताओं को फेस करने के लिए क्यों झिझक रही है ? मैं समझता हूं कि यही कारण है कि आप इलेक्शन पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। मेरी समझ से इलेक्शन को पोस्टपोन करने की और कोई वजह नहीं है। बहाने और ढूंढे जा रहे

हैं कि अभी 18 वर्ष के लोगों की लिस्ट तैयार नहीं हो पायी है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है ।

(शोर)

इलेक्शन के लिए सूची बनाने का काम जल्दी से जल्दी किया जा सकता है जितना वक्त आपने बताया है, उससे कम वक्त में भी तैयार कराकर इलेक्शन जल्द कराए जा सकते हैं ।

(शोर)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित एक प्रश्न करना चाहता हूं । मौजूदा जो अधिनियम है, उसके अनुसार जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होगा अथवा प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा कराये जायेंगे ? दूसरी बात माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार चुनाव प्रक्रिया नियमावली से सम्बन्धित कोई विधेयक मौजूदा मन्त्रि परिषद् इस सदन के सामने इस सत्र में प्रस्तुत करने वाली है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसके विषय में विचार हो रहा है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इससे पूर्व मैंने एक प्रश्न किया था, तो आपने कहा था कि सवाल बहुत लम्बा है । अब मान्यवर, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि क्या फैजाबाद जनपद में भीकापुर को टाउन एरिया बनाने का सवाल शासन के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आपका मौजूदा विषय से सम्बन्धित नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री भगवती सिंह विशारद--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ऊसर भूमि सुधार योजना पर व्यय की गयी धनराशि

2--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 1980 तक कुल कितने एकड़ ऊसर भूमि को मसूरी फास या पाइराइट्स से अलग-अलग उर्वर बनाया गया, उसमें कुल कितना धन व्यय किया गया और उसमें से कितना केन्द्रीय सरकार ने और कितना राज्य सरकार ने दिया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मसूरीफास का प्रयोग ऊसर सुधारने में नहीं किया गया है । इस अवधि में 34,277 है0 ऊसर भूमि के सुधारने में जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग किया गया है। रु0 196.20 लाख मृदा सुधारक पर व्यय होना अनुमानित है । केन्द्रीय सरकार द्वारा रु0 136.20 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रु0 60.00 लाख दिया गया ।

आलू के कच्चे माल से वोडका फैक्टरी का निर्माण

3--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार फर्रुखाबाद में आलू कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने के आधार पर कोई कारखाना लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप-रेखा है तथा उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

फर्रुखाबाद में आलू के कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में हार्टिकों द्वारा वोडका फैक्ट्री स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । यह कारखाना एग्रोज

पोलैण्ड के सहयोग से स्थापित किया जाना है, जिनसे इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार हो रहा है। उनका उत्तर प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायगी ।

सीतापुर जिले के ब्लाक परसेडी, खैराबाद व एलिया में अन्त्योदय परिवारों को दी गयी सहायता

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1980 के राष्ट्रपति शासन-काल में सीतापुर जिले के परसेंडी, खैराबाद तथा एलिया ब्लाक में कितन-कितन अन्त्योदय परिवारों को स्वत: रोजगार योजना में सहायता दी गयी तथा कितनों का चयन किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रदेश में वर्ष 1980 के राष्ट्रपति शासन-काल में जनपद सीतापुर के ब्लाक परसेंड़ी में 28 अन्त्योदय परिवारों, ब्लाक खैराबाद में 18 अन्त्योदय परिवारों तथा ब्लाक एलिया में 20 अन्त्योदय परिवारों को स्वत: रोजगार योजना में सहायता दी गयी।

राष्ट्रपति शासन-काल में जनपद के विकास खण्ड खैराबाद में 6 अन्त्योदय परिवारों का चयन किया गया है। विकास खण्ड परसेडी तथा एलिया मे सभी अन्त्योदय परिवारों का चयन राष्ट्रपति शासन के पूर्व ही हो गया था।

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् लखनऊ के कार्यालय भवन का किराया

6—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ के पास कितने कार्यालय भवन किराए पर हैं ? उनका वार्षिक किराया क्या है ? यह भवन किन-किन अधिकारियों के परिवार के हैं ? क्या सरकार का किराए के भवन के स्थान पर स्वयं के भवन बनाने का विचार है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण करने का विचार है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् के पास कार्यालय हेतु चार भवन किराए पर हैं। इनका कुल वार्षिक किराया रु 0 1,13,292 है। यह भवन जिन व्यक्तियों के हैं उनके नाम तथा पते इस प्रकार हैं :—

1—श्रीमती साधना वर्मा, द्वारा डा 0 ए 0 आर 0 वर्मा, नेशनल फिजिकल लेबोरिटरीज, नई दिल्ली।

2—श्रीमती साधना शर्मा, पत्नी श्री बी 0 डी 0 शर्मा, 19/9 टिकैतराय तालाब कालोनी, लखनऊ।

3—डा 0 ओ 0 पी 0 गुप्ता, डिप्टी सी एम 0 ओ 0, सिविल अस्पताल, लखनऊ ।

4—डा 0 आर 0 आर 0 गुप्ता, डिप्टी सी 0 एम 0 ओ 0 (फैमिली प्लानिंग) 105/230, हुसैनगंज, लखनऊ।

सरकार का कोई विचार मण्डी परिषद् के लिए भवन बनवाने का नहीं है किन्तु मण्डी परिषद् का कार्यालय भवन बनवाने का विचार है, जिसके लिए उनके द्वारा भूमि की तलाश की जा रही है। चूंकि भूमि अभी प्राप्त नहीं हुई है, अत: भवन निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नाइट्रोजन, फासफोरस एवं पोटाश उर्वरक की आपूर्ति

7—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में सन् 1977–78, 1978–79 व 1979–80 में नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटाश की खादों की अलग-अलग खपत कितनी हुई ? क्या

यह सही है कि किसानों की मांग के मुताबिक नाइट्रोजन की खादों की आपूर्ति नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कोई उर्वरक कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र म लगाने की बात सोच रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रदेश में वष 1977-78, 1978-79 एवं 1979-80 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की अलग-अलग खपत निम्नवत् हुई है :-

वर्ष	एन0मै0 टन	पी0 मै0 टन	के0 मे0 टन0
1977-78 ..	6,47,594	1,39,324	72,836
1978-79 ..	7,72,135	2,06,873	79,398
1979-80 ..	7,56,317	1,81,356	71,444

नत्रजनिक उर्वरकों की आपूर्ति उनकी मांग के अनुकूल रही, परन्तु इनकी बढ़ती हुई खपत को दृष्टिगत करते हुए भारत सरकार से प्रदेश में 4 उर्वरक बनाने के कारखाने लगाने के लिए पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

हरदोई जिले के कतिपय विकास खण्डों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण

8--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पंचायत राज्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जिले के बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां विकास खण्डों के अन्तर्गत कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग कब तक (जून, 1980) पूरे हो चुके हैं और कौन-कौन सम्पर्क मार्ग एसे हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं किन्तु उन पर अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है तथा यह कार्य कब तक सम्पन्न करा दिए जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां विकास खण्डों के अन्तर्गत पूरे हो चुके सम्पर्क मार्गों तथा स्वीकृत मार्गों जिन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है, की सूची संलग्न है ।

कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 678 पर)

देवरिया जिले के सीड स्टोरों के इंचार्ज के विरुद्ध गबन के मुकदमें

9--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री राम नारायण--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंग कि जिला देवरिया में इस समय कितन सीड स्टोर इंचार्जों के खिलाफ गबन के मुकदमे कायम हैं ? मुकदमों की स्थिति क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव-

जिला देवरिया में इस समय 20 सीड स्टोर इंचार्जों के खिलाफ गबन के मुकदमें कायम हैं जिनमें से तीन मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं और शेष मामलों में पुलिस द्वारा विवेचना/जांच हो रही है ।

उद्यान एवं फल उद्योग विभाग के उद्यान शाखा के वर्ग एक के कर्मचारियों का स्थायीकरण एवं उद्यान निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची

10--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश हार्टिकल्चर एवं फ्रूट यूटिलाइजेशन निदेशालय के हार्टिकल्चर विभाग में ग्रुप एक में कार्यरत कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ग्रुप एक में कार्य करते 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, परन्तु अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है और उसका क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उद्यान एवं फलोपयोग विभाग की उद्यान शाखा के वर्ग 1 में कुल 17 ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं किन्तु उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है। इन कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत तदर्थ रूप से पदोन्नत हैं तथा 7 कर्मचारियों की, सीधी भर्ती से, तदर्थ नियुक्ति की गयी थी। प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत नीच के वर्गों से तदर्थ रूप से पदोन्नत कर्मचारियों का लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से अनुमोदन नहीं हुआ है। दिनांक 1-1-77 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति कर्मचारियों का विनियमन सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत कार्मिक विभाग की नियमावली के परिपेक्ष्य में किया जा चुका है। स्थायी पद उपलब्ध होने पर स्थायीकरण की कार्यवाही की जायगी।

11--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री उत्तर प्रदेश हार्टिकल्चर एवं फ्रूट यूटिलाइजेशन निदेशालय के हार्टिकल्चर विभाग में ग्रुप एक में कार्यरत ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) की एक प्रति, उनकी नियुक्ति तथा अलग-अलग ग्रुपों मे नियमितीकरण की तिथि के साथ सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उद्यान विभाग के उद्यान शाखा मे ग्रुप-1 में कार्यरत एवं लोक सेवा आयोग से अनुमोदित तथा स्थायी कर्मचारियों की अन्तिम कोटिक्रम सूची की एक प्रति संलग्न † है।

12--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि उक्त विभाग में कनिष्ठ लोगों को ज्येष्ठ तथा ज्येष्ठ लोगों को कनिष्ठ बनाया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उद्यान विभाग में वर्ग एक के पदों पर ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाती है। ऐसी स्थिति में किसी भी कनिष्ठ को ज्येष्ठ तथा ज्येष्ठ को कनिष्ठ नहीं बनाया गया है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह के निधन पर शोकोद्गार

11 50 पूर्वाह्न

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी 12 जुलाई सन् 1980 को हम लोगों के बीच से चले गए। उन्होंने युवा अवस्था में ही अपनी प्रतिभा का सबूत दिया, लेकिन उस प्रतिभा में, जो ब्रिटिश राज्य था, उसने उसको प्रतिभा में विद्रोह की झलक और आभा देखी इसी कारण से मुन्सिफ में जब उनका चुनाव हुआ, तो उस पद से उनको वंचित रखा गया। लेकिन इससे उनकी प्रतिभा कुंठित नहीं हुई, उसकी धार नहीं मरी, बल्कि उनकी प्रतिभा में एक और क्रान्ति की धार आ गई। उस क्रान्ति में ऐसी धार आ गयी जिसने स्वतन्त्रता संग्राम के हर मोर्चे पर मोर्चा लिया। नमक आन्दोलन आया तो 6 महीन सत्याग्रह करते हुए कारावास गये, उसके बाद फिर जब आजादी की लड़ाई छिड़ी सन् 1940 से 1942, 1941 में 9 महीने कारावास में रहे और 1942 से 1945 तक ब्रिटिश राज्य ने नजरबन्द रखा। मान्यवर, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद नजरबन्द नहीं हुए। नजरबन्द तो ब्रिटिश सरकार हुई, उसकी नजर बन्द हुई स्वतन्त्रता की लड़ाई पहचानने में। जिसकी प्रतिभा श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी थे। किसी व्यक्ति को जेलों में बन्द नहीं किया जा सकता है। वह क्रान्ति मुखरित हुई आजादी की लड़ाई के रूप में सम्पूर्ण हुई और वही जो विद्रोही था जो तिरस्कृत था, उसको समाज ने स्वीकारा और उनको ऊंचें से ऊंचा स्थान दिया। इस सदन के वह सदस्य रहे, जिला परिषद् के अध्यक्ष

---

†छापी नहीं गयी।

रहे और आज उनके न रहने से हम यह महसूस करते हैं कि आज आजादी की लड़ाई के बीच के जो कुछ कतिपय लोग रह गये हैं, उसमें से एक विभूति चली गयी। इन शब्दों के साथ मैं सदन की भावनाओं,संवेदनाओं को उनके परिवार तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह के निधन पर माननीय नेता सदन ने जो भाव व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमन्, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह प्रतिभा के धनी थे। देश प्रेम बचपन में ही उनमें अंकुरित हो गया था। वे मुन्सिफ की परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन देश से सम्बद्ध होने के कारण ब्रिटिश सरकार न उन्हे नहीं चुना। इसके बाद वह राजनीति में आ गए और सबसे पहले,जब मदन मोहन मालवीय जी गिरफ्तार हुए, उनको छुड़ाने के सम्बन्ध में उन्होंने सत्याग्रह किया। उसके बाद नमक आन्दोलन 41, 42 में तथा स्वतन्त्रता संग्राम में यातनाएं सहीं। उन्होंन इस सदन की शोभा भी बढ़ाई। वे सन् 1946 में चुनकर आये थे और किन्हीं कारणों से 1948 में चले गए। वे गाजीपुर के जिला परिषद् के अध्यक्ष भी रहे और उस समय जिला परिषद् का अध्यक्ष होना एक बहुत बड़ी गरिमा की बात थी। गाजीपुर ने ही नहीं इस प्रदेश ने एक देशप्रेमी और कर्तव्य निष्ठ नेता को खोया है जिसकी कमी को पूरा करना सम्भव नहीं होगा। मैं पुनः अपनी तथा अपने दल की श्रद्धांजलि दिवंगत आत्मा के प्रति अर्पित करता हूं और निवेदन करता हूं कि मृतक परिवार तक उसे पहुंचान का कष्ट करें।

श्री फखरे आलम--

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह के निधन पर माननीय मुख्य मन्त्री तथा नेता विरोधी दल ने जो बातें कहीं हैं, मैं अपने को तथा अपन दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। ये न सिर्फ गाजीपुर के बड़े सपूत थे बल्कि आजादी की लड़ाई लड़न वालों में भी आगे थे। मुन्सिफ इम्तिहान में अच्छी तरह कामयाब हुए, मगर ब्रिटिश सरकार ने यह समझकर कि वह उसके चलाए हुए और उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकेंगे, उनको मौका नहीं दिया और मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा हुआ कि वे मुन्सिफ की कुर्सी पर नहीं बैठे। यह विधान सभा में आए और जिला परिषद् के अध्यक्ष बने और उससे पहले आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया और उन्होंने ऐसे रास्ते बताए जिस पर चल कर बहुत से नौजवानों ने लड़ाई लड़ी। बहुत से सामाजिक, राजनीतिक काम किए और जब वे जिला परिषद् के अध्यअ रहे तो उन्होंने जिस तरह से उसको चलाया वह एक नमूना था और इस बात का सबूत था कि वह यह जानते हैं कि किस तरह जनता की सेवा की जाय, क्या काम किया जाय। हमें दुख और रंज है कि वह बहुत जल्दी दुनिया से चले गए।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी श्रद्धांजलि शोक सन्तप्त परिवार तक उनके दुख में शरीक होने के लिए पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी श्री सिद्धश्वर प्रसाद सिंह जी के सम्बन्ध में जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और नेता कांग्रेस (यू0) ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी इस बात के उदाहरण थे कि इस जीवन में आदमी, खाने, पीने, रहने के लिए ही नहीं पैदा होता है, बल्कि समाज सेवा के लिए भी उसका कुछ कर्तव्य है। उन्होंने इस कर्तव्य को करके दिखा दिया। जिस जमान में उन्होंन मुन्सिफ की नौकरी से इंकार किया था,सरकारी नौकरी के लिए लोग इच्छुक रहते थें। वह आज का जमाना नहीं था, वह जमाना था जब नौकरी के लिए लोग तरसते थे। देश और समाज के लिए उन्होंने जीवन अर्पित किया। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे। आजादी मिलने के बाद भी समाज सेवा में लगे रहे हम सबके लिए वह एक उदाहरण हैं।

[श्री राजेन्द्र कमार गुप्त]

इन शब्दों के साथ मैं श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी के लिए अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारा आपसे आग्रह है कि हमारी और हमारे दल की भावनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे और हमारे दल की ओर से उनके शोक सन्तप्त परिवार को श्रद्धांजलि भिजवाने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, स्व0 सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी के बारे में नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने की तथा अपनी पार्टी जनता (जे0 पी0) को सम्बद्ध करता हूं। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति थे। ये हमारे लिए आने वाले लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर गये हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी ओर से एवं हमारे दल की ओर से उनके शोकाकुल परिवार के लिए श्रद्धांजलि भिजवाने का कष्ट करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर,अभी श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी के बारे में नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जो बचपन से ही देश सेवा में बराबर लगे रहे, उन्होंने पूरी जिन्दगी देश के लिए अर्पित कर दी। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी ओर से तथा अपन दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शोक सन्तप्त परिवार को मेरे उद्गार पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी दलों के नेताओं ने जो विचार इस सदन में माननीय सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी के बारे में प्रकट किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। उनका जीवन जिसके सम्बन्ध में अभी विचार व्यक्त किए गये हैं, एक विद्रोही, राष्ट्र-भक्त और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हमारे नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे यह व्यक्त होता है कि उस समय मुन्सिफ का जो पद बहुत अच्छा पद माना जाता था, ऐसे पद को त्याग कर देश सेवा के लिए आना स्पष्ट रूप से यह बताता है कि उनके मन में देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति सेवा की बहुत तीव्र भावना थी।

मैं नेता सदन द्वारा, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा तथा अन्य सभी नेताओं द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनके द्वारा श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह के प्रति प्रकट की गयी सारी अभिव्यक्तियां उनके शोक सन्तप्त परिवार को भेज दी जायेंगी।

अब हम दो मिनट के लिए खड़े होकर मौन धारण करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

भूतपूर्व सदस्य, श्री गणेशदत्त बाजपेयी के निधन पर शोकोद्गार

(समय अपराह्न 12.8 से)

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, काल शायद एक ऐसा भटकता हुआ बादल है, जिसकी छाया किस पर, कहां पड़ जाय, कोई कह नहीं सकता।कौन से उजले आंगन में अचानक अन्धेरा हो जायगा, हम कह नहीं सकते। मान्यवर, आज श्री गणेश दत्त बाजपेयी के न रहने से वह बादल, हमको ऐसा लगता है, प्रान्त के पूरे आंगन पर छा गया है।

मान्यवर, श्री गणशदत्त बाजपयी जी हमारे, प्रान्त के श्रम एवं स्वायत्त शासन मन्त्री थे। लेकिन उससे भी ऊचा स्थान उनका था और वह था मेहनतकश और पसीना बहान वाले लोगों के दिलों में, वह स्थान उससे भी शायद ऊंचा था। मान्यवर, उनका जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ था जो सबके लिए अन्न तो पैदा करते हैं, लेकिन स्वयं उसका पेट भूखा रहता है। उनका जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ था जो अपने हाथों से महल तो खड़ा करते हैं, लेकिन उसके हाथ खाली रहते हैं और विशेष तौर से जहां पर सामाजिक परम्परा है कि जो श्रम से जितना दूर है, वह उतना ही सम्मानित है लेकिन ऐसे समाज में उन्होंन अपने जीवन में वह उदाहरण पेश किया कि जो जितना ही सम्मानित है वह उतना ही श्रम के साथ जाकर जुड़ा। शायद इस एक परिभाषा में उनके जीवन के पक्ष में, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य का, हमारे पूरे राजनैतिक आदर्श का उद्घोष और उद्घोषणा सी है।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों की समवेदनाएं और भावनाएं शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय गणेशदत्त बाजपेयी के निधन पर माननीय नेता सदन ने जो भाव व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल अपने को उससे सम्बद्ध करता है। श्रीमन्, मुझे श्री बाजपेयी के साथ कुछ काम करने का अवसर मिला है।वह जनता सरकार में मेरे साथ मन्त्री थे। श्रीमन्, हम उनको 'दद्दू' के नाम से पुकारते थे। हर व्यक्ति उन्हें दद्दू के नाम से बुलाता था। वह बड़े मृदुभाषी थे। लेबर ला के बारे में उनकी बड़ी गहन स्टडी थी। श्रमिकों के वह नेता थे। भारत सरकार में वह एडवाइजर भी रहे। इस प्रदेश में वह कैबिनेट मन्त्री रहे। श्रमिक वर्ग के दिल में उनके लिए बहुत जगह थी। ऐसे मृदु भाषी नेता के निधन से, एक ऐसे श्रमिक नेता के चले जाने से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को गहरा आघात पहुंचा है। श्रीमन्, मैं और मेरा दल शोक सन्तप्त परिवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी और हमारे दल की संवेदनाएं शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फखरे आलम—

अध्यक्ष महोदय, श्री गणेशदत्त बाजपेयी के निधन के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जिन जजबात का इजहार किया है मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। निहायत अफसोस का मौका है कि गणेशदत्त जी ऐसे मौके पर हम लोगों से दूर हो गये जब उनकी जरूरत इस प्रदेश को थी। अभी उनको बहुत सारे काम करने थे। गणेशदत्त जी बहुत बड़े लेबर लीडर थे और उन्होंने मजदूरों का बहुत बड़ा साथ दिया, मजदूरों के लिए बहुत लड़ाई उन्होंने लड़ी। उन्होंने समाजवाद की लड़ाई लड़ी और पूंजीपतियों का मुकाबला किया। श्री बाजपेयी बहुत बड़े सपूत थे इस मुल्क के और उन्होंने बड़े-बड़े काम किए।उन्होंने मजदूरों की लड़ाई में जिस तरीके से मजदूरों का साथ दिया, आज भी न सारे कानपुर में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नाम इससे उजागर हुआ। उनके चले जाने से हम सबको बड़ा दुख है। मैं अपनी और अपने दल की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूंकि आप हमारे जजबात उनके दुखी परिवार तक पहुंचायें और दुआ करता हूं कि उनकी रूह को शान्ति मिले।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, स्वर्गीय गणेश दत्त बाजपेयी के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा नेता कांग्रेस (अर्स) द्वारा व्यक्त किये गये हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, आज स्वर्गीय गणेशदत्त बाजपेयी हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन हिन्दुस्तान का मजदूर और मजदूर आन्दोलन में रुचि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और आगे आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ उनका नाम लेंगी। सम्पूर्ण

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

जीवन भर वह मजदूरों के हितों के लिए लड़ते रहे। आज उनके न रहने से मजदूरों की समस्याओं के बारे में जानकारी रखने वाला एक श्रेष्ठव्यक्ति हमारे बीच में से चला गया। मैं अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता कि मेरी और मेरे दल की भावनाओं को उनके शोकसन्तप्त प्रियजन। तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, स्वर्गीय गणेशदत्त बाजपेयी के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, स्वर्गीय बाजपयी प्रदेश के जाने माने श्रमिक नेता थे। श्रमिकों मजदूरों के मित्र तथा सहायक थे और उनकी लड़ाई में वे उनका नेतृत्व किया करते थे। वह बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। दलगत राजनीति से उठकर उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि सब लोग उनको दद्दू के नाम से पुकारते थे। इससे जाहिर है कि उनके निधन से हमारे प्रदेश के श्रमिकों का एक प्रमुख अगुआ नहीं रहा है।मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी और हमारे दल की ओर से समवेदना का सन्देश उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, श्री गणेशदत्त बाजपेयी के सम्बन्ध में जो नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री गणेशदत्त बाजपेयी का, जहाँ इस देश में लेबर मूवमेन्ट का इतिहास लिखा जायगा तो वहां उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जायगा। वह हमारे नेता रहे हैं, उन्होने और हमने साथ-साथ पैदल चलकर बहुत काम किया है। इसलिए हमारी और हमारी पार्टी की ओर से उनके दुखी परिवार को समवेदना का सन्देश,मान्यवर, आप भिजवाने की कृपा करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जो विचार नेता सदन और नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने स्वर्गीय बाजपेयी जी के निधन पर प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जहाँ तक बाजपेयी जी का सवाल है तो उन्होंने सन् 1942 में यहाँ आजादी की लड़ाई लड़ी। वह एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होने श्रमिकों के बीच में बहुत दिनों तक काम किया और उनके संघर्ष को बराबर वह चलाते रहें, जिसका नतीजा हुआ कि उनको इस मूवमेन्ट में कामयाबी मिली। श्री बाजपेयी जी दो बार इस सदन के सदस्य चुने गए और इस बीच दोनों बार वह कैबिनेट स्तर के मन्त्री रहे। उनकी सेवाएं श्रमिकों के लिए और अपने प्रदेश के लिए काफी रही हैं। मैं स्व0 बाजपेयी जी को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन है कि हमारी और हमारे दल की समवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

स्व0 बाजपेयी जी के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सभी माननीय नेताओं द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय बाजपेयी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था और मुझे अनेकों बार उनके साथ काम करने और विचार-विमर्श करने का अवसर मिला था। माननीय बाजपेयी जी एक अत्यन्त विनम्र मन्त्री थे, लेकिन एक अत्यन्त दृढ़ मजदूर नेता थे। वह जहाँ अपने मन्त्रित्व काल में बहुत विनम्रता से पेश आते थे, वहीं जहाँ मजदूरों के हितों की बात होती थी वहाँ वह अत्यन्त दृढ़ता से मजदूरों के हितों की रक्षा करते थे। श्री बाजपेयी जी के निधन से इस प्रदेश का एक बहुत अच्छा मजदूर नेता चला गया और इससे उनके स्थान की पूर्ति होना साधारण रूप में सम्भव नहीं है। मैं आप सबके व्यक्त किए हुए विचारों को उनके परिवार तक पहुंचाऊंगा मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत से और सदन के अध्यक्ष की हैसियत से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपकी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम लोग दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से दो अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस उरई द्वारा खींच ले जाने तथा मारने-पीटने की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय अपराह्न 12.20 से)

श्री अध्यक्ष--

आज मेरे समक्ष नियम 301 के अन्तर्गत कुल दस सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से पाँच सूचनाएं स्वीकृत हुयीं और शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुयी।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करते हुए सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 31 जुलाई सन् 1980 अथवा उसके आस-पास सर्व श्री सुरेन्द्र व रमेश नामक दो तथा कथित अभियुक्तों ने अपने वकील के साथ और लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, उरई श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव के न्यायालय में आत्म समर्पण किया। चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी तथा वकीलों के सामने थाना कोतवाली, उरई के कुछ कर्मचारी अदालत में घुस आए और कटघरे में खड़े हुए उपर्युक्त अभियुक्तों को बलात् बाहर खींच लाये और बुरी तरह पीटते हुए कोतवाली ले गये।

पुलिस कोतवाली, उरई के इस अमर्यादित काम से चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट महोदय उरई की अवमानना तो हुई ही ह और उसी के साथ पुलिस ने यह भी सिद्ध कर दिया ह कि अब किसी का जीवन अदालत में भी सुरक्षित नहीं है।

ऐसी ही एक घटना पिछले महीने जिला गोण्डा में भी घटी थी। चूंकि ऐसे मामलों पर शासन और प्रशासन तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करके पुलिस को मर्यादित करने के अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करते हैं। इसलिए एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं।

स्वाभाविक ही है कि उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस की ज्यादती के विरुद्ध उरई की सारी और सभी स्तर की अदालतों में, वकील, वर्ग तथा जन मानस में गहरा क्षोभ और असन्तोष व्याप्त हो गया है।

इस घटना की गम्भीरता और भी बढ़ जाती है कि उस समय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायाधीश श्री एन0 डी0 ओझा, उरई में मौजूद थे। उनकी उरई में मौजूदगी भी पुलिस को ज्यादती करने से न रोक सकी।

स्वयं चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव ने भी पुलिस कोतवाली को तत्काल दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में लाने के निर्देश दिये, लेकिन घटना के दिन वह आदेश प्रभावी नहीं रहा। यह घटना और पिछले महीने की जिला गोण्डा की घटना ऐसी ही घटना है। यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि प्रदेश की पुलिस को कानून की और अदालत के मान-अपमान की कोई परवाह नहीं रह गयी है। इसका अनिवार्य परिणाम का कानूनियत का विस्तार होगा। ऐसी हालत में घटना से सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों के ही विरुद्ध नहीं बल्कि उनके अफसरों, जिनसे उनको ऐसी घटना के करने का हौसला मिला, के भी विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जरूरत है।

सीतापुर जिले में भयंकर बाढ़ से क्षति तथा आर्थिक सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुख्तार अनीस

माननीय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान सीतापुर जिले में बाढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सीतापुर जिला भयंकर बाढ़ की चपेट में है। सीतापुर नगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस]

आवा बाढ़ से डूब गया था और पुराने सीतापुर जाने के लिए पक्का पुल टूट गया है जिसके कारण आवागमन में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। जिन लोगों के मकान बाढ़ में डूब गये थे और गिर गए हैं उन्हें शासन द्वारा कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई है।

सीतापुर जिले की बिसवाँ और महमूदाबाद तहसील में अभी भी भयंकर बाढ़ है। घाघरा, शारदा और केवानी नदियों के पानी के कारण इन दोनों तहसीलों में भयंकर जल भराव हो गया है। लगभग 20,000 एकड़ जमीन जलमग्न है और खती नष्ट हो गयी है बिसवाँ तहसील के रेऊसा, बेहटा और सकरन ब्लाकों में जल भराव के कारण लगभग सभी गाँव पानी में डूबे हुए हैं और लगभग सभी मकान गिरे गये हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए शासन को जिस तत्परता के साथ काम करना चाहिए था वह नहीं किया जा रहा है। बहुत सीमित मात्रा में शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी है। मेरा अनुरोध है कि बिसवाँ तहसील के तीन ब्लाक अर्थात रेऊसा, बेहटा सकरन तथा महमूदाबाद तहसील के रामपुर मथुरा ब्लाकों को पूर्ण रूप से बाढ़ पीड़ित मान कर बड़ी धनराशि भवन निर्माण के लिए और गरीबों की फसल की बरबादी के कारण कोई क्षति के लिए आवंटित की जाय।

यह खेद का विषय है कि इतने विशाल पैमाने पर आई बाढ़ का सर्वेक्षण माननीय मन्त्री जी ने नहीं किया। अतः वह भी इस क्षेत्र का दौरा करें और विशेष ध्यान दे कर इस क्षेत्र की सहायता करें क्योंकि सीतापुर नगर की बड़ी बुरी स्थिति है, देहात की भी बुरी स्थिति है। खेद है कि महमूदाबाद को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में वह नहीं गये।

नैपाल–उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुलिस की सांठगांठ से तस्करी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

महोदय नैपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाँजा, भांग, चरस, सोना तथा स्टील की तस्करी तेजी से हो रही ह। इस तस्करी अभियान में पुलिस भी सक्रिय है। कई थानेदार सम्बन्धित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को घूस देकर सीमावर्ती थानों पर अपनी पोस्टिंग करा रहे हैं। अभी 30 जुलाई को गोरखपुर जिले के पुरन्दरपुर थाने में लोक दल के नेता श्री हर्ष वर्द्धन सिंह के नेतृत्व में उप पुलिस अधीक्षक ने छापा मारा। इस छापे में पुरन्दरपुर के थाना इंचार्ज श्री राज नारायण दूबे के घर से 10 किलो गाँजा पकड़ा गया। यह बड़ी गम्भीर घटना है। वरिष्ठ अधिकारी मौन हैं।

शासन से हमारी माँग है कि बहराइच, गोंण्डा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया के सीमावर्ती थानाध्यक्षों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जाँच हो और नैपाल भारत सीमा पर व्यापक पैमाने पर चलने वाली तस्करी को रोकने के लिए कारगर कदम उठायें।

यह आये दिन की घटना हो गयी हैं। मैंने तो केवल एक उदाहरण के तौर पर जो एक घटना प्रकाश में आई उसका यहाँ जिक्र कर दिया है। पुलिस के इंस्पेक्टर के यहाँ से पुलिस अधीक्षक ने 10 किलो गाँजा बरामद किया इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती है? मैं शासन से इस पर वक्तव्य की माँग करता हूं।

आजमगढ़ जिले से जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन और सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आजमगढ़ जनपद के जिस विद्यालय निरीक्षक पिछले दो महीने से लापता हैं। इस जनपद में सह जिला विद्यालय निरीक्षकों के दो पद हैं किन्तु केवल एक ही सह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कतिपय लिपिकों ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आजमगढ़ शहर में ही भारी कोठियाँ बनवा ली हैं। इसकी जाँच करने वाला भी कोई नहीं हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के अभाव में शिक्षकों की समस्याएं सुलझ नहीं रही ह ।

शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान तथा भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच की माँग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आवाह्न पर शिक्षकों के जत्थ गत 31 जुलाई, 1980 से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक सत्याग्रह करते हुए धरना दे रहें हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिकों ने पैसे देकर कुछ असामाजिक तत्वों को बुलाकर शिक्षकों के ऊपर प्राण घातक हमला कराने का प्रयास किया। किन्तु इसी सदन के एक माननीय सदस्य के बीच-बचाव के कारण कोई अप्रिय घटना न घट सकी।

इस घटना से पूरे जनपद के शिक्षकों में क्षोभ एवं रोष व्याप्त है। शिक्षकों का आन्दोलन तेजी से फैल रहा है जिसके कारण शीघ्र ही जिले की सभी शिक्षण संस्थाएं बन्द हो जायेंगी। हम सरकार से माँग करते हैं कि सत्याग्रही शिक्षकों के माँगों की तत्काल उच्च स्तरीय जाँच कराई जाय। भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय ।

माननीय, इंस्पेक्टर छुट्टी पर हैं। डाइरेक्टर कहता है कि पता नहीं है। दो महीने से वहाँ पर कोई इंस्पेक्टर नहीं है दफ्तर के बाबू कार्यालय चला रहें हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो लिखा है, उसी को पढ़ें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी कोई अव्यवस्था पैदा नहीं हुई ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैंने लिखकर दिया था। आपने स्वीकार किया है। 11 लाख रुपया हमारे जिले का खाद्यान्न का पड़ा हुआ है बकाए के रूप में और.....

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ ए।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1980†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्भार रिज़वी)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1980†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्भार रिज़वी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

उद्योग मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1974-75 तथा वर्ष 1975-76 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा प्रति-

---

† छपा नहीं गया।

[अब्दुल रहमान खां नश्तर]

वेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना †

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1684/9–2–141–77, दिनाँक 2 मई, 1979 जो दिनाँक 4 सितम्बर, 1979 को सदन के पटल पर रखी गयी थी, तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 96 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सैतीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 †

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस0आर0 719/दस–500(30)–78, दिनाँक 22 सितम्बर, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सैतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 जो दिनाँक 25 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहन की निर्दिष्ट कालविधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (2) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 से सम्बन्धित शुद्धि पत्र †

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस0आर0 2663/दस–500(11)–77, दिनाँक 28 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र संख्या एस0आर0 5632/दस–500(11)–77, दिनाँक 20 सितम्बर, 1979 जो दिनाँक 28 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रखा गया था तथा जिसके पटल पर रख रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (2) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 154 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 को, उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश सहित, सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

राज्यपाल के अभिभाषण के लिए विधान सभा द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर श्री राज्यपाल द्वारा आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष—

मैं आपके समक्ष, राज्यपाल महोदय के प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस माननीय सदन ने पारित किया था उसके फलस्वरूप जो उन्होंने अपना उत्तर भेजा है, उसे मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19 (8) के अन्तर्गत प्रस्तुत करता हूं :—

"प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपके पत्र संख्या 1377/83 (सं0)/80, दिनाँक 18 जुलाई, 1980 के लिए जिसे आपने आकर मुझे भेंट किया, अनुग्रहीत हूं ।

मैंने विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण दिनाँक 3 जुलाई, 1980 को दिया उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की बैठक में तद्विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यवाद की जो अभिव्यक्ति की है, उसे मैंने परम् सन्तोषपूर्वक प्राप्त किया। उसमें निहित भावना के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980, जो विधान सभा द्वारा 9 जुलाई, 1980 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनाँक 17 जुलाई, 1980 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980, जो विधान सभा द्वारा 10 जुलाई, 1980 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनाँक 17 जुलाई, 1980 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा

[सचिव, विधान सभा]

ने अपने दिनांक 9 जुलाई, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान पि षद् ने अपनी दिनांक 16 जुलाई, 1980 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 जुलाई, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 जुलाई, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 जुलाई, 1980 को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 जुलाई, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 जुलाई, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 जुलाई, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 जुलाई, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 जुलाई, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 जुलाई, 1980 को बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 18 जुलाई, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी आदि के सम्बन्ध में जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं वह निम्न प्रकार हैं :—

निम्नलिखित सदस्यों की गिरफ्तारी/दोष सिद्धि/कारावासित किए जाने/रिहाई की सूचना सम्बन्धित जिले के अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं :—

श्री राम स्वरूप, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर), श्री हुकम सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर), श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर), श्री मेंहदी असगर, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर), श्री विजय सिंह राना, सदस्य, विधान सभा (आगरा), श्री राजेन्द्र सिंह, नेता, विरोधी दल (अलीगढ़), श्री बाबू सिंह, सदस्य, विधान सभा (अलीगढ़), श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ सदस्य, विधान सभा (बस्ती), श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा (बस्ती), श्री सुल्तान सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुरादाबाद), श्री चन्दन सिंह, सदस्य, विधान सभा (मथुरा), श्री सरदार सिंह, सदस्य, विधान सभा (मथुरा),

श्री श्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा (बिजनौर), श्रीमती बिमला राकेश,सदस्या, विधान सभा (सहारनपुर), श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा (आगरा) तथा श्री रईसुद्दीन वारसी, सदस्य, विधान सभा (मुरादाबाद),

उपर्युक्त माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी, दंड सिद्धि कारावासित किए जाने तथा रिहाई की सूचनाएं इस सचिवालय द्वारा जारी की गयी बुलेटिन संख्या–2 एवं 3 द्वारा प्रसारित की जाचुकी हैं ।

[समय अपराह्न 12.40]

श्री रविशंकर त्रिपाठी, सी0ओ0 पुलिस, खैरागढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष––

मेरे समक्ष विशेषाधिकार की जो सूचनाएं प्राप्त हुई है और जिन पर मैंने निर्णय लिया है, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 16 जुलाई, 1980 को श्री रवि शंकर त्रिपाठी, सी0ओ0 पुलिस, खैरागढ़, जिला आगरा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने यह शिकायत की है कि दिनांक 10–7–80 को नियम 301 के अन्तर्गत और दिनांक 11–7–80 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने सदन में उक्त सी0ओ0 के अनियमित एवं पक्षपातपूर्ण रवैये पर प्रकाश डाला था । 12 जुलाई, 1980 को जब वे आगरा पहुंचे तो उक्त सी0ओ0 ने उन्हें घेर कर अनेक प्रकार की धमकियां दीं और कहा––

"तुमने विधान सभा में मेरे विरुद्ध बकवास की है, देखूंगा कि तुम कितने दिन विधायक रहते हो ।"

माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार की सूचना में यह भी कहा कि उक्त सी0ओ0 ने यहां तक कहा कि––

"हो सकता है कि तुम्हें दुबारा विधान सभा में बोलने का अवसर ही प्राप्त न हो पाए"।

माननीय श्री बदन सिंह ने उक्त शिकायत में उन साक्षियों के नाम भी दिए हैं, जिनके सामने उक्त सी0ओ0, श्री रवि शंकर त्रिपाठी ने उन्हें धमकी दी थी । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री बदन सिंह को तथा माननीय श्री रियासत हुसैन, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री विजय सिंह राना तथा श्री राम स्वरूप वर्मा को भी सुना । माननीय मुख्य मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी भी प्राप्त की गयी । माननीय मुख्य मन्त्री ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार श्री रवि शंकर त्रिपाठी ने माननीय सदस्य के इस आरोप का खंडन किया है कि दिनांक 12–7–80 को श्री बदन सिंह से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे किसी प्रकार की बातचीत की । माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक,आगरा से आख्या प्राप्त की जि में बताया गया है कि विधान सभा चुनाव के दौरान दिनांक 31-5 80 को फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में निर्वाचन के दिन ग्राम नहचानी, थाना मलपुरा के हरिजनों को वोट देने से रोकने की शिकायत पर घटित घटना के सम्बन्ध में श्री बदन सिंह एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ थाना मलपुरा में धारा 147, 323, 353, 332 भा0दं0वि0 का मामला पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना की जा रही है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ज्येष्ठ अधीक्षक पुलिस, आगरा के इस कथन का भी उल्लेख किया है कि इस मामले को श्री बदन सिंह की इच्छा के अनुसार समाप्त नहीं किया जा रहा है,जिसके कारण द्वेशवश उन्होंने श्री त्रिपाठी के विरुद्ध यह तथ्यहीन शिकायत की है. . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह बड़ा गम्भीर मामला है। आप अन्तिम वाक्य कहने से पहले एक बार सुन लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष--

पहले इसे समाप्त तो होने दें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

आपने जिस तरह से कहा उससे अभी मे पता चलता है कि इसमें आगे क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

उपर्युक्त स्थिति में पूर्व दृष्टान्तों को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि श्री दनकौर सिंह की शिकायत के अनुसार उन्हें सदन में कही गयी बातों के आधार पर उत्पीड़ित किया गया था, जिसकी पुष्टि शिकायत में नामित साक्षी श्री विजय सिंह राना ने सदन में 16 जुलाई, 1980 को अपने भाषण में की है, मैं इसे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 66 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति, जब यह समिति गठित हो जाय, द्वारा जांच, अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

पहले भी मैंने कहा था धैर्य से सुनिए और अब भी धैर्य से सुनिए।

(व्यवधान)

पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री देवी प्रसाद एवं श्री खुर्शेद अहमद, सदस्यगण, विधान सभा ने पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्यों का कहना है कि बहराइच जिले के प्रमुख थानों के थानाध्यक्ष दारूलशफा में घूम-घूम कर उक्त सदस्यों को आतंकित कर रहे हैं कि वे पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध आवाज बुलन्द न करें। शिकायत में यह आरोप नहीं है कि माननीय सदस्यों के किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उनके द्वारा सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित किए गए कृत्य या सदन या उसकी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए आते समय अथवा सदन या उसकी समिति की बैठक के समय अथवा सदन या उसकी किसी बैठक से वापस जाते समय उत्पीड़ित किया गया है। प्रथम दृष्टया इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता और इसलिए मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राम सिंह खन्ना, स्वायत्त शासन मन्त्री के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा ने माननीय श्री राम सिंह खन्ना, स्वायत्त शासन मन्त्री के विरुद्ध 16 जुलाई, 1980 को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। उक्त सूचना में माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि चुनाव दिसम्बर, 1980 तक कराए जायेंगे। माननीय श्री गुप्त का कहना है कि आदरणीय सदन की अनुमति लिए बिना उसके निर्णय के विरुद्ध घोषणा करना सदन का अवमान है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की है और उसे देखा

[श्री अध्यक्ष]

तथा विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को भी देखा। सम्भवतः माननीय सदस्य श्री गुप्त का सदन के निर्णय का तात्पर्य विधान सभा द्वारा पारित उक्त विधेयक से है। जिसके द्वारा स्थानीय निकायों एवं जिला परिषदों के प्रशासन के लिए वर्तमान प्रबन्ध की अवधि को बढ़ाए जाने का उपबन्ध किया गया था, उसमें उक्त निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध मे कोई निर्णय नहीं लिया गया था। माननीय मन्त्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में इस ओर संकेत करते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कोई भी घोषणा माननीय सदन के निर्णय के विरुद्ध नहीं की है। ऐसी स्थिति में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाये गये विषय को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने की मैं अनुमति नहीं देता।

हरदोई के शहर कोतवाल श्री महेन्द्र कुमार व अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री परमाई लाल, सदस्य, विधान सभा ने 5 जुलाई, 1980 को नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि दिनाँक 16–17 जून, 1980 की रात को जब वे घर पर नहीं थे, हरदोई के शहर कोतवाल, श्री महेन्द्र कुमार, दरोगा, सर्वश्री श्रीराम त्रिपाठी एस0पी0 सिंह तथा कोतवाली के तीन सिपाही उनके घर पर आये। घर में घुसकर उनके लड़के को बुरी तरह से पीटा गया तथा अश्लील गालियाँ भी दी गयीं। औरतों को बेइज्जत किया गया और उनकी सयानी लड़की जोकि सो रही थी, उसको घसीटकर उठाया गया और उसके तकिए के नीचे रखे सामान को वे उठा ले गये। माननीय सदस्य के बारे में भी उन्होंने पूछा कि वे कहाँ हैं तथा कुछ लोगों के टोकने पर शहर कोतवाल ने कहा कि "एम0एल0ए0 से क्या मैं डरता हूं फिर सूद, चमार एम0एल0ए0 की क्या बात है? वे सब चोर तथा बदमाश होते हैं। और वह सूद पासी यहाँ होता तो अभी बन्द करता।" माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि उनका लड़का प्रथम सूचना लिखाने गया तो वह भी नहीं लिखी गयी। माननीय सदस्य ने उक्त सभी पुलिस कर्मचारियों, मुख्य रूप से कोतवाल श्री महेन्द्र कुमार के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है।

उक्त दिनाँक 5 जुलाई, 1980 को औपचारिक रूप से नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देने से पूर्व माननीय सदस्य ने दिनाँक 17 जून, 1980 को सचिव, विधान सभा के नाम उक्त शिकायत के सम्बन्ध में एक तार भी भेजा था। उक्त तार माननीय मुख्य मन्त्री को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। उसके बाद माननीय सदस्य की विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना की प्रति भी माननीय मुख्य मन्त्री को वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु भेजी गयी थी जो माननीय मुख्य मन्त्री से 21 जुलाई, 1980 को मुझे प्राप्त हुई।

मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना की उक्त सूचना तथा इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री प्राप्त पत्र को देखा। विशेषाधिकार का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब किसी सदस्य को, सदस्य के नाते किए गये किसी कार्य के सम्बन्ध में या सदन या उसकी समिति में आते समय या वापस जाते समय या सदन या समिति में उपस्थिति के समय उत्पीड़ित किया जाय। इस मामले में परमाई लाल के पुत्र एवं उनके परिवार की महिलाओं के साथ उनके घर पर दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप है। इसमें ऐसा कोई आरोप नहीं है कि माननीय सदस्य को या उनके परिवार के किसी सदस्य को उनके द्वारा सदस्य के नाते किए गये किसी कार्य के

[श्री अध्यक्ष]

सम्बन्ध में उत्पीड़ित किया गया हो, या उन्हें सदन या उसकी किसी समिति में आते समय या उससे जाते समय या सदन या उसकी किसी समिति की सभा म उपस्थिति के समय उत्पीड़ित किया गया हो।

जहाँ तक शहर कोतवाल द्वारा माननीय सदस्य एवं अन्य माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में अपमानजनक शब्दों के प्रयोग की बात है मेरा ध्यान कौल और शकधर की पुस्तक 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के प्रथम संस्करण 1972 के पृ0 246–247 की ओर आकृष्ट किया गया जिसमें यह कहा गया है कि :—

"लेकिन किसी संसद सदस्य के सम्बन्ध में अपमानजनक लेख तभी विशेषाधिकार भंग माना जा सकता है, जबकि उसमें सदस्य होने के नाते उसके आचरण या चरित्र पर आक्षेप किया गया हो और वह उन विषयों पर आधारित होना चाहिए जो सभा के कार्य के संचालन में उठते हैं। अतः यदि सदस्यों पर सदस्य के अतिरिक्त किसी और हैसियत से आक्षेप किये गये तो वह सभा का विशेषाधिकार भंग या अवमान नहीं होता।"

उसी आधार पर, सभा के एक भाग या सभा के किसी दल विशेष के लिए, मान-हानिकारक शब्दों के प्रयोग को सभा का अवमान नहीं समझा जाता, क्योंकि उनका प्रभाव कभी सभा में नहीं पड़ता।"

यह लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा दिए गये कई निर्णयों के आधार पर है। इस सदन में भी अध्यक्ष के निर्णय इसी प्रकार के हैं। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं निर्णयों को देखते हुए इसे विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में जाँच के उपरान्त जो सूचना भेजी है उसमें कहा गया है कि इस मामले में जाँच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गयी है। मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री अपराध अनुसंधान विभाग की जाँच के परिणाम स्वरूप दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके उसकी सूचना सदन को देने की कृपा करें।

विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अष्टम विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हतु मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 9(1) के अन्तर्गत बुधवार, दिनाँक 27 अगस्त, 1980 की तिथि निर्धारित की है। यह निर्वाचन उस दिन प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा। उक्त नियमावली के नियम 9(2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन-पत्र प्रस्थापित तथा समर्थित किय जाकर मंगलवार, दिनाँक 26 अगस्त, 1980 को मध्याह्न 12 बजे से पहले सचिव विधान सभा को दिए जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेजा जा रहा है।

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्म-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 10 के उप नियम (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित माननीय सदस्यों को भी अधिष्ठाता मण्डल का सदस्य नाम-निर्देशित किया गया है :—

सर्वश्री धर्म सिंह (बुलन्दशहर), राजेन्द्र सिंह यादव (फर्रुखाबाद). श्रीकृष्ण गोयल (बदायूं). श्रीमती सुनीता चौहान (रायबरेली). श्री दिवाकर विक्रम सिंह (बस्ती)।

राज्य निराश्रित सहायता समिति में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन तिथि की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

राज्य निराश्रित सहायता समिति में विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है—

(1) नाम-निर्देशन पत्र की प्राप्त की अन्तिम तिथि तथा समय—
सोमवार, दिनांक 11 अगस्त, 1980 को अपराह्न 4 बजे तक।

(2) नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय—
मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त. 1980 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।

(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि—
मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त, 1980 को अपराह्न 5 बजे तक।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान—
मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर, 1980 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा को शोषित समाज दल के सदस्य के रूप में स्वीकृति दिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम स्वरूप वर्मा ने गत विधान सभा के चुनाव में अपना नाम-निर्देशन पत्र शोषित समाज दल (अखिल भारतीय) के अभ्यर्थी के रूप में दाखिल किया था, परन्तु निर्वाचन परिणाम घोषित करने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गये विवरण में श्री वर्मा को गलती से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था जब कि श्री वर्मा "शोषित समाज दल" (अखिल भारतीय) के उम्मीदवार थे। अतः श्री राम स्वरूप वर्मा को शोषित समाज दल के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा दलीय स्थिति की सूची को तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980†

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†दिनांक 7 अगस्त, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री कुबेर—

मान्यवर, मुझे बुलाया गया था, परन्तु मैं बाहर चला गया था। मान्यवर, मुझे मौका दिया जाय, मैं अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष—

अब मौका नहीं दिया जा सकता है।

एक सदस्य—

यह गाँव की पंचायत नहीं है, उत्तर प्रदेश की विधान सभा है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(समय अपराह्न 12.58)

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य-स्थगन की 7 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। पहली माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के शान्तीपूर्ण भूख हड़तालियों पर बर्बरतापूर्ण लाठो चार्ज के सम्बन्ध में ह। दूसरी श्री प्रदीप कुमार यादव की न्यायमूर्ति श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा विवश होकर जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह में इस्तीफा देने से भारी संकट के विषय में है। तीसरी श्री भीखा लाल, मित्र सेन यादव, श्री ऊदल, श्री लल्लू सिह चौहान की प्रदेश में प्रलयकारी बाढ़ से हजारों गाँव जलमग्न हो जाने से सम्बन्धित है। चौथी श्री श्याम नारायण तिवारी की जिला सहारनपुर में दो बच्चों की हत्या के सम्बन्ध में ह। पाँचवीं श्री मोहन सिह की विद्युत् दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में है। छठी श्री राजेन्द्र सिह की 20 जुलाई, 1980 के साप्ताहिक 'पांचजन्य' में बागपत थाना के थानाध्यक्ष के साक्षात्कार के प्रकाशन के सम्बन्ध में है। सातवीं श्री धर्मवीर सिह, श्री मोती लाल देहलवी की बागपत में पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों की हत्या से सम्बन्धित है। यह काय-स्थगन के सभी प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं।

(श्री राजेन्द्र सिह के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल शान्तपूर्वक कर रहे थे. ..

श्री अध्यक्ष—

आपके नेता विरोवी दल खड़े हैं।

श्री राजेन्द्र सिह—

मान्यवर, आपने रूलिंग तो दे दिया, लेकिन मुझे मौका दे देते थोड़ा सा बोलने के लिए तो विषय की गम्भीरता स्पष्ट हो जाती। जो विषय मैंने दिया था वह विषय बहुत गम्भोर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विषय कितना गम्भीर ह, मुझे थोड़ा सा मौका दे देते। अगर कोई सरकारी कर्मचारी और पुलिस का कर्मचारी इस तरह का बयान देगा, तो मैं नहीं समझता कि प्रदेश में किस तरह से ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था हो सकती है।

श्रीमन्, वहाँ के एस0ओ0 साहब का प्रेस को दिया गया इण्टरव्यू है, जिसमें वह एक प्रश्न के पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि—नहीं फोटो देखी है। उसका भद्दा चेहरा और शरीर है, क्या ऐसी औरत से कोई बलात्कार करने की इच्छा कर सकता है? मुझे तो दुख ह कि मैं उस दिन बागपत में नहीं था। अगर होता तो उस कुतिया को गोली मार देता।

(शेम, शेम, शेम की आवाजें)

श्रीमन्, एक सरकारी कर्मचारी, एस0 ओ0 इस तरह के बयान और इस तरह इण्टरव्यू दे इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? हमारे साथी मुख्तार अनीस साहब माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में पहले लिखकर दे चुके हैं। श्रीमन्, चूंकि यह

मामला इतना गम्भीर है और इससे पूर्व मैं समझता हूं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, एस0ओ0 या पुलिस अधिकारी ने इस तरह के बयान कहीं नहीं दिए होंगे जैसा कि श्री गौड़ ने कहा कि—भद्दा चेहरा और शरीर है, क्या ऐसी औरत से कोई बलात्कार करने की इच्छा कर सकता है और मैं होता तो गोली मार देता ? श्रीमन्, इससे पूर्व में श्रीमती माया त्यागी द्वारा सरकार को सूचना दी जा चुकी है कि उसके जीवन को खतरा है। उसको इस दुनिया से हटाया जा सकता है। श्रीमन्, श्री गौड़ के इस बयान से इस बात का कन्फर्मेशन हो जाता है कि उसकी जान को खतरा है कि जो आदमी खुलेआम इस तरह का बयान दे सकता है, तो यह हर काम कर सकता है और किसी के द्वारा करवा भी सकता है। इसलिए मैं, श्रीमन्, चाहूंगा कि इस पर पुनः विचार कर लें और शीघ्र ही कोई ठोस निर्णय ले लें ताकि वहां निरंकुशता को रोका जा सके। उस एस0ओ0 के बयान से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह इतना निरंकुश हो चुका है कि उससे कुछ भी आगे किये जाने की उम्मीद रखी जा सकती है। श्रीमन्, उसने जो अपना बयान दिया है, वह सरकारी कर्मचारियों के नाम पर एक कलंक ह और अवहलना है और मैं तो कहता हूं कि पूरे समाज के लिए कलंक है.....

(शोर)

इस बात की गम्भीरता को देखते हुए प्रश्न यह है कि इस पर पुनः विचार कर लें। यह कोई मामूली विषय नहीं है ।

एक सदस्य—

यह ऐसे ही अखबार पढ़ते हैं जिसे कोई नहीं पढ़ता है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठें। मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुला लिया है ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

मान्यवर, जो व्यवस्था आपने दे दी है, वह शिरोधार्य है। मान्यवर, गजियाबाद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शान्ति पूर्वक भूख हड़ताल कर रहे थे, इनकी आवाज को दबाने के लिए श्री पाण्डेय 3–4 सिपाहियों को लेकर गये और उन कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए, उन पर लाठी चार्ज की गयी, उनको बुरी तरह से पीटा गया, जिन में से 5 कार्यकर्ताओं की हालत बहुत चिन्ताजनक है। अगर मान्यवर, आप मामला जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि वहाँ दफा 144 लगी हुई थी। और वहाँ के कुछ मजदूर अपना शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे, जिनसे मिलने के लिए वहाँ डी0वाई0 स0पी0 श्री पाण्डेय गये और उनकी किसी बात को सुनने से पहले ही गालियाँ उन लोगों को देने लग और उन पर अपने आदमियों द्वारा अत्याचार करना शुरू कर दिया। यह मान्यवर, ऐसा सिर्फ एक ही जगह नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। यह केवल डंडे के जोर पर विरोधी दल के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसी प्रकार से बागपत में जो शान्तिपूर्वक सत्याग्रह हो रहा था, उस पर भी लाठी चलायी गयी। मेरा मान्यवर, गजियाबाद के उस मामले में सबसे बड़ा आरोप है कि श्री पाण्डेय, जो वहाँ के डी0वाई0 एस0 पी0 हैं, उनके खिलाफ अभी भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, केवल विरोधी दल के लोगों को और उनकी आवाज को कुचलने के लिए हथकण्डा अपनाया जा रहा है। इस प्रकार के हथकण्डों से मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश डरा हुआ है, आतंकित है। इसलिए इस प्रकार के काण्डों की जितनी भी निन्दा की जाय, मान्यवर, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। मान्यवर, किसी भी मिल में सदा दफा 144 नहीं लगी रहेगी। डी0वाई0 एस0 पी0 ने झूठा बयान दिया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

समय का ध्यान रखें, अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार कर इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

पूज्य गाँधी जी ने कहा था.....

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

इस मामले को लेकर [× × ×]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

सब साथ बोलेंगे। मोतीलाल देहलवी को बुलाया है। बैठें आप।

(श्री मोती लाल देहलवी और श्री श्रीकृष्ण गोयल में झड़पें हुईं।)

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

श्री मोती लाल देहली आपकी आज्ञा से बोल रहे हैं और बीच में इस तरह धमकाना.....

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठ जायं, आप भी कृपया बैठें।

एक सदस्य—

मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मोती लाल देहलवी को बुलाया है इनका प्रस्ताव है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

[× × ×]

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह शब्द वापस हो। [× × ×]

अध्यक्ष महोदय इससे पूरे सदन की मानहानि है। यह शब्द वापस ले।

*श्री मोती लाल देहलवी—

पूज्य गाँधी जी ने कहा था कि अन्याय करवाने से अन्याय सहन करने वाला कहीं ज्यादा पाप का भागी होता है। मान्यवर, उसी भावना के तहत अहिंसात्मक ढंग से पूर्ण शान्तिमय तरीके से सत्याग्रह जारी है। 28 जुलाई को ढाई सौ की तादाद सत्याग्रही तहसील में बैठे थे। उनका कहना यह था। यह माँग कर रहे थे कि दोषी पुलिस कर्मचारियों को जेल भेजा जाय। मान्यवर, इससे पुलिस वहाँ बिल्कुल असन्तुलित हो गयी और निर्मम लाठी चार्ज किया सत्याग्रहियों पर। मान्यवर, नेता, विरोधी दल डी० पी० गौड़ की बात कर रहे थे, जिसका भाया त्यागी के बारे में कहना है कि मैं नहीं था नहीं तो गोली मार देता श्री डी० पी० गौड़ ने जो सत्याग्रह के संचालक श्री जयपाल सिंह थे उनको बन्दूक के कुन्दे से मारा और सब इंस्पेक्टर से कहा कि मौका नहीं मिला नहीं तो जान से मार देता। उनको बन्दूक के कुन्दे से इस तरह मारा की उनकी पसलियाँ टूट गयीं। एक्सरे हुआ बिल्कुल फ्रैक्चर आया है। 19 चोटें जयपाल सिंह के शरीर पर आयी हैं और 100 से ज्यादा सत्याग्रही गिरफ्तार हुए हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि जनतन्त्र कैसे चलेगा, अगर शान्तिपूर्वक सत्याग्रह हम नहीं कर सकते और अपनी बात नहीं कह सकते।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

बहुत बडा प्रश्न है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं निवेदन कर रहा था कि जनतन्त्र कैसे चलेगा । ये अपनी नाक का प्रश्न बनाये हुए हैं । अगर दोषी कर्मचारियों को दण्ड दिया जायगा तो इंदिरा गाँधी की नाक कट जायगी। मान्यवर, डी० पी० गौड़ जैसा थानेदार जिसने धमकी दी, सत्याग्रहियों की पसली तोड़ दी और अपनी मूंछ ऐंठ रहा है । उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । होना तो यह चाहिए था कि उसको तुरन्त मुअत्तल कर दिया जाय । तो आखिर इस देश में जनतन्त्र कैसे चलेगा ? अन्याय के खिलाफ सत्याग्रही आन्दोलन भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कह सकते.....

श्री अध्यक्ष—

आप पूरा भाषण न दें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

नेता विरोधी दल ने कहा. . . . .

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने कह दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मीखा लाल को मैंने बुला लिया है । वह भी अपने दल के नेता हैं ।

श्री मीखा लाल—

मैंने कामरोको प्रस्ताव बाढ़ के सम्बन्ध में दिया है । वह किसी एक जिले का प्रश्न नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश का सवाल है । सैकड़ों गाँव नदियों की चपेट में हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको सूचना दे दं चूंकि बाढ़ पर चर्चा स्वीकार कर ली है मैंने । दो घंटे की है । अभी 3 बजे कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक होगी उसमें समय का निर्धारण होगा ।

श्री मीखा लाल—

दो घंटे की चर्चा स्वीकार हो गयी, मेरा कहना है कि यह 2 घंटे पूरे प्रदेश की बाढ़ के सम्बन्ध में नाकफी हैं ।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि सदन स्थगित किया जाय ताकि माननीय सदस्य बाढ़ सहायता कार्य में लगे. . ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अभी कार्य-मन्त्रणा समिति की होने वाली बैठक में सभी नेतागण होंगे। उसमें आप विचार प्रकट करिएगा ।

एक सदस्य—

मैं केवल एक मिनट का समय माँग रहा हूं ।

श्री मोहन सिंह—

उत्तर प्रदेश शासन ने जबकि विधान सभा सत्र में थी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी तरफ से घोषणा करके प्रदेश के अन्दर बिजली की दरें एक मस्त में इतनी बढ़ा दीं जो कमी नहीं बढ़ीं। 22 करोड़ रुपए की लूट विद्युत् उपभोक्ताओं से. . . .

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

इस पर भी चर्चा स्वीकृत हो चुकी है ।

*श्री मोहन सिंह—

अगर चर्चा स्वीकृत हो चुकी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन डी0पी0 गौड़ ने जो साक्षात्कार दिया है, उसमें माया त्यागी का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण महिला वर्ग के प्रति इस तरह की बात कही कि उससे समस्त महिला समाज का अपमान हुआ। उसने कहा कि उस कुतिया का मुंह देखने लायक भी नहीं है उसके साथ बलात्कार कौन करेगा. . . .

(व्यवधान)

राज्य कर्मचारी की मर्यादाओं के प्रतिकूल आचरण करे और सदन खामोश बैठा रहे। कांग्रेस पक्ष मे काफी महिला बैठी हैं उनका मन उद्वेलित नहीं हो रहा है। उसको अगर निलम्बित नहीं किया जाता तो मैं समझता हूं कि पूरे पुलिस वर्ग को इस तरह का कार्य करने का प्रोत्साहन शासन की तरफ से दिया जायेगा। अतः जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर चर्चा करा लें। पुलिस सर्विस कण्डक्ट में इस तरह का साक्षात्कार देने का अधिकार है या नहीं ?

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, गाजियाबाद के सवाल पर जो प्रस्ताव रखा गया है, उसको स्वीकार करें। लोकतांत्रिक देश के अन्दर शान्ति पूर्ण ढंग से भूख हड़ताल पर जो प्रदर्शनकारी बैठे थे, उन पर पुलिस वालों ने जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया, कई घायल हो गये, कई अस्पताल में पड़े हैं, यह शर्म की बात है। इसको स्वीकार करना चाहिये। पुलिस अधिकारियों द्वारा विरोधी दल के कार्यकर्ताओं पर स्थान-स्थान पर अत्याचार किए जा रहे हैं। वकीलों ने हड़ताल कर दी है. . . .

(शोर)

इसे आप स्वीकार करें ।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सवाल उठाया है उस पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश के राजनैतिक जीवन को उसने चुनौती दी है। देश के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के बारे में वह कहता है कि यह सब लोक दल ने भड़काया है। चौधरी चरण सिंह से मेरी बहुत पुरानी रंजिश है। चौधरी साहब की एस0ओ0 से क्या रंजिश हो सकती है, मान्यवर। वह बदला लेना चाहता है, इतने बड़े समाजसेवी, राजनैतिक आदमी से। मान्यवर, उसने ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा है जो पं0 पन्त के मन्त्रि मण्डल में मंत्री रह चुका है और देश के कार्य वाहक प्रधान मन्त्री रहा है। उसने कहा कि विधान सभा चुनावों में उसका उम्मीदवार यहां से हार गया। वह आगे कहता है यह सारी बातें छपवाने में हजारों रुपया खर्च हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि डी0 पी0 गौड़ के पास हजारों रुपया आया कहां से। अगर उसने हजारों रुपया पैदा किया है तो अविलम्ब उसे मुअत्तल करना चाहिए। वह आगे कहता है कि आप इसे छपवायें और जब इसे छपवा दें तो इस की कापी मुझे भी भेजें ।

(शोर)

इन बातों को स्पष्ट किया जाय और यह आदेश दिया जाय कि भविष्य में कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार का वक्तव्य नही देगा, प्रेस कांफ्रेस नहीं बुलाएगा ।

(शोर)

*श्री जटा शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 27-28 तारीख को ढाई बजे दफ्तर में जिस तरह से 300 के लगभग पुलिस के जवानों ने और एक दर्जन कर्मचारियों ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्मम लाठी चार्ज किया वह सुनियोजित था। इस प्रकार पुलिस द्वारा योजनाबद्ध रूप से प्रतिबद्धता के साथ उन लोगों पर जो शान्तिपूर्वक केवल भूख हड़ताल कर रहे थे, विरोध स्वरूप लाठी चार्ज किया गया। 20 लोग घायल हो गये, 4 लोग मरणासन्न हैं। ऐसी परिस्थिति में इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें। पुलिस के इस प्रकार के व्यवहार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, इसे अवश्य स्वीकार किया जाय।

(शोर)

श्री मन्जूर अहमद—

पूरे प्रदेश के अन्दर . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें, सुन लें। कृपया सभी सदस्य बैठ जायें।

गाजियाबाद के सम्बन्ध में आप लोगों ने कहा और बागपत मे माया देवी के बारे में बयान आया, उसमें कहा। जो कार्य-स्थगन स्वीकार नहीं किया है, उनके प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा स्वीकृत है। जैसे बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा स्वीकृत हुई है और बिजली की दरें बढ़ाने पर चर्चा स्वीकृत हो चुकी है। एक प्रस्ताव बागपत का है। जहां तक बागपत वाले में माया देवी का सम्बन्ध है इसमें बागपत काण्ड पर 45 मिनट चर्चा हो चुकी है। इस पर चाहते हैं कि चर्चा का समय और बढ़ा दें।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, मुझे आपने मौका नहीं दिया। मेरा भी प्रस्ताव है?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, मुझको मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझूंगा तो मौका दूंगा। नहीं समझूंगा तो नहीं दूंगा।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैं खुद बोल रहा हूं। आप कृपया बैठ जायं।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

लेकिन मेरी निवेदन अवश्य सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

कृपया, मैं जब तक खड़ा हूं, आप खड़े न हों।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, एक घंटा बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष—

बागपत काण्ड पर डेढ़ घंटे की चर्चा निर्धारित थी जिसमे 45 मिनट की चर्चा पहले हो चुकी है। 45 मिनट बाकी हैं। ऐसी स्थिति में, आधा घंटा और बढ़ा देते हैं। और भी सूचनाएं हैं। जहां तक गाजियाबाद वाली सूचना का सम्बन्ध है, उसमें मन्त्री जी को निदेश दिया है कि वे वक्तव्य दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ठीक है मान्यवर, वक्तव्य करा दें।

एक सदस्य—

मान्यवर, बाढ़ वाले में समय और बढ़ा दें। पूरे प्रदेश की बड़ी विकराल स्थिति है।

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं। सूचना दे रहा हूं, कृपया जो बात कहूं, उसको ध्यान से सुने। मैं जो बात कहता हूं आप लोग उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि कार्य-मन्त्रणा समिति में विचार होगा बाढ़ पर चर्चा स्वीकृत हुई है। कार्य-मन्त्रणा समिति और चाहे तो समय बढ़ा देगी। एक बार कह दिया। कहने के बाद भी पुनः उसी बात को उठा रहे हैं।

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव समाप्त हुए।

*श्री श्याम नराय तिवारी—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। मेरा निवेदन यह है कि अगर आपने यह समझा है (मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं) कि मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि मुझको एक हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, तो यह हमारा अपमान है। इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा। सभी दलों को बोलने का मौका दिया, लेकिन हमको नहीं दिया और आपने बार-बार कहा कि मैं खड़ा हूं। मैं इसके विरोध में सभा का त्याग करता हूं। मान्यवर, आपका यह जो रुख है कि हम लोग एक हजार तनख्वाह लेने की बात है, तो मैं एक हजार तनख्वाह नहीं लेने आया हूं बल्कि जनता की समस्याओं को उठाने के लिए आया हूं। लेकिन, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अगर आपका यही रुख रहा तो पूरे सदन का हमेशा के लिए त्याग करना पड़ेगा, अगर यही आपकी मनोवृत्ति रही। इस समय तो आज पूरे समय के लिए सदन का त्याग करता हूं। लेकिन अपनी बात को मैं बार-बार कह रहा हूं और मेरा निवेदन है कि उस पर ध्यान दें।

(श्री श्याम नराय तिवारी सदन त्याग कर चले गये।)

1980–81 के आय–व्ययक पर माननीय वित्त

(समय अपराह्न 1.24 से)

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि चर्चा के लिए अगर सदन स्वीकार करे, तो समय निर्धारित कर दिया जाय। जहां तक समय निधारण का प्रश्न है मन्त्रिगण तथा दलों के नेताओं को 25-25 मिनट, माननीय सदस्यगण को 10–10 मिनट, मुख्य मन्त्री और नेता विरोधी दल के लिए मैं कोई समय निर्धारित नहीं कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि वह स्वतः से अपना समय निर्धारित करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 1980–81 के बजट पर अपना बजट भाषण दिया है। श्रीमन्, मैं एसा समझता हूं कि यह माननीय मुख्य मन्त्री जी का बजट भाषण नहीं था, न है, बल्कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति एक प्रशस्ति पत्र है। श्रीमन्, उन्हीं के भाषण से यह चीज स्पष्ट नजर आती है कि यह बजट मन्त्रि मण्डल का बनाया नहीं है। श्रीमन् यह बजट या तो ब्यूरोक्रेसी का बनाया हुआ है या उनको बनाने का समय मिला ही नहीं। श्रीमन्, मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ दो पर यह बात स्वीकार की है कि सरकार इस वर्ष जो कुछ भी कार्य करेगी, और अपने राजनीतिक उत्तरदायित्वों का पालन करेगी उसका नतृत्व श्रीमती गांधी करेंगी। श्रीमन्, इसलिए यह स्पष्ट है कि शायद इस प्रदेश में हमारे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्य मन्त्री नहीं बल्कि वह खाली मार्ग-दर्शन प्राप्त करेंग श्रीमती इन्दिरा गांधी से और जो कुछ बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है फिलहाल यह मुख्य मन्त्री का बजट नहीं है।

मैं इस बात को पुनः कहना चाहता हूं कि यह बजट श्रीमन्, किसान विरोधी बजट है, गरीबों का विरोधी बजट है। वैसे हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने श्रीमन्, कहा था,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इस बात का ढिंढोरा पीटा है कि कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। लेकिन श्रीमन्, इसके बावजूद आप देखें कि परोक्ष रूप से अप्रत्याशित कर लगाए गये हैं। बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है। इसका सभी पर भार पड़ेगा। कहा गया है कि किसानों पर नहीं लगाया गया है। सभी लोग और सभी माननीय सदस्य जानते है।

(इस समय 1 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।) किसान भी बिजली का इस्तेमाल करता है, चक्की से आटा पिसवाता है, ट्यूबवेल में बिजली इस्तेमाल करता है। श्रीमन्, बिजली का पैसा बढ़ाया गया, खाद का पैसा बढ़ाया गया सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। मेरा कहना है कि यह बजट विकासोन्मुखी नहीं है। बजट पर चर्चा हुई है, शायद सितम्बर के अन्त तक या अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में बजट पास हो पाएगा। इसके बाद यह वित्त विभाग जायेगा। कितनी ही इफीशियेंसी वित्त विभाग दिखाए अक्तूबर और नवम्बर से पहले स्वीकृति नहीं हो पायेगी। अगर वित्त विभाग की कैंची पुनरीक्षण पर चल गयी तो श्रीमन्, यह सैंक्शन्स जनवरी और फरवरी में जा पायगी। इसका असर होगा कि जो पैसा विभिन्न मदों में सदन स्वीकार करेगा वह वेतन पर तो चला जायेगा लेकिन विकास के कार्यों पर वह पैसा खर्च नहीं होगा और फिर शायद वह पैसा सरेण्डर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस साल का बजट उत्पादनोमुखी न होकर व्ययोमुखी होगा। बजट में 117.99 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया है और कहा गया है कि न हम कोई टैक्स लगायेंगे न कोई और तरह से उसको पूरा करेंगे बल्कि भारत सरकार से कुछ ग्रान्ट लेकर या कुछ पुराने ऋणों की वसूली करके उस घाटे को पूरा करेंगे। तो श्रीमन्, यह कभी सम्भव नहीं हुआ और न ऋणों की पूरी वसूली ही होगी। इसलिए यदि पैसा सरेण्डर होता चला जायेगा तो डिफिसिट बजट का समाप्त हो सकता है लेकिन जो सैंक्शन जायेंगे यदि पूरा पैसा उनका खर्च किया गया तो निश्चित तौर से नऐ करों को सरकार को लाना पड़ेगा। किन्तु नए करों को शायद इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि 5 विधान सभाओं के मध्यावधि चुनाव होने हैं इसलिए चुनावों के डर से सरकार शायद कांशस है। इसलिए सरकार जनता के सामने उन चीजों को नहीं लाना चाहती है और चुनाव के बाद में उनको लायेगी।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ कहा गया कि पर कैपिटा इनकम 509 से घटकर 485 रुपए रह गई है। इस बजट में यह भी कहा गया है कि पिछले गत वर्ष में चूंकि फसल सूखा और अतिवृष्टि से खराब हो गयी और इसलिए 30 प्रतिशत का नुकसान दिखाया गया है लेकिन उसके बावजूद इस ओर कोई प्रयास नहीं किया गया है। मुख्य मन्त्री का खरीफ फसल के सम्बन्ध में बयान आया है कि उत्पादन बढ़ायेंगे और इस साल जो फसल होगी वह 232 लाख टन होगी किन्तु मेरा कहना है कि खादों के दाम बढ़ गये हैं, इसलिए किसान उस रेशियो में खाद का उपयोग नहीं करेगा जिससे उत्पादन बढ़ सके। मान्यवर, पिछले तीन सालों से किसानों को खाद में 20 प्रतिशत की रिबेट दी गयी थी जनता सरकार द्वारा लेकिन इस सरकार ने उसको वापस ले लिया। कांग्रेस (आई) की सरकार ने इस प्रदेश के किसानों को तोहफा खाद की कीमतों को बढ़ाकर दिया।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ कई करोड़ का खाद सरकारी गोदाम में मौजूद था, कृषि और सहकारिता गोदामों में खाद था लेकिन जब कीमतें बढ़ी तो उसको ब्लैक में बेंच दिया गया और यह सरकार चुप बैठी है। पुरानी कीमत का खाद जो सरकारी गोदामों में मौजूद था सरकार यदि चाहती तो देश में प्रदश में उत्पादन बढ़े इसलिए उसी कीमत पर खाद हरिजनों और स्माल होल्डिंग फारमर्स को वितरित करा सकते थे लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसलिए स्पष्ट है कि यह सरकार किसान विरोधी नीति को प्रतिपादित करती है।

श्रीमन्, इस बजट के बारे में अखबारों ने भी एडिटोरियल्स दिए हैं। हमारी भावना यह नहीं है कि विरोधी दल के होने के नाते ही हम इस बजट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं

[श्री राजेन्द्र सिंह]

लेकिन इस प्रदेश के अखबार नवीसों ने भी, इन्टेलेक्चुअल्स ने भी, इकनामिस्टों ने भी इस बजट को क्रिटिसाइज किया है। थोड़ा सा मैं पढ़े देता हूं। अंग्रेजी में है बाद में ट्रान्सलेट कर दूंगा। 21 जुलाई के पाइनियर में लखनऊ यूनिवर्सिटी के डा0 सी0डी0 श्रीमाली ने कहा है—" "The Government sought to cover the deficit of Rs. 117.99 croes by seeking Central assistance and through the recovery of loans. Overdraft from the Reserve Bank of India could not also be ruled out. All this might add to inflationary trends." कहते हैं इनफ्लेशन होगा। इनफ्लेशन को बढ़ावा देने वाला बजट है, कम करने वाला नहीं।

इसी तरह डा0 रावत, जो इकोनोमिस्ट हैं, ने कहा है—expressed surprise that the budget surprisingly had not provided any relief to the farming community."

उन्होंने भी कहा है कि इस बजट में फारमर–कम्युनिटी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। पूरे बजट को आप श्रीमन्, पढ़ लें फारमर्स को कहीं पर भी कोई रिलीफ इस सरकार ने नहीं दिया है।

इस तरह से और भी हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा बल्कि आगे चलूंगा।

अब श्रीमन्, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई सुविधा नहीं दी गयी है। श्रीमन्, श्री सिंघानिया जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कहा है कि यह बजट किसी तरह से उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देगा। जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग है, ग्रामीण उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें कोई प्राविधान नहीं है।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ मैं मंडियों के बारे में कहना चाहूंगा जिसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी नें कहा। श्रीमन्, यह पुराना तजुर्बा है और मैं समझता हूं कि यहाँ के वित्त सचिव भी जब हमारे लोग उनसे बातचीत करेंगे सहमत होंगे कि मंडियों का जिस तरह से निर्माण हुआ है, हो रहा है, वह बहुत एक्सपेन्सिव है। यह ठीक है कि मारकेट रेगुलेट करने के लिए सुविधा होनी चाहिए लेकिन इन्टेशन इसके पीछे वह नहीं है। शायद व्यापारियों का इन्टेशन सरकार में बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि किसी मण्डी को आप देखें, राय बरेली की मण्डी है जिसमें डेढ़ करोड़ रुपया लगा है, फर्रुखाबाद के पास मण्डी है, अलीगढ़ की मण्डी है, जिसमें दो करोड़ रुपया लगा है, वे इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। बिजनेसमैन वहाँ नहीं जा रहा है। मेरा सुझाव है कि मारकेट को रेगुलेट करने के लिए मण्डी होनी चाहिए, किसान क सुविधा मिलनी चाहिए, उसके प्रोड्यूस को बेचने के लिए उसका इन्टेशन होना चाहिए, बिजनेसमैन का इन्टेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह के इन्टेंशन से यदि मण्डी बने तो अच्छा होगा कि हम उस धन को सड़क के निर्माण में लगायें। दूसरी चीज जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनका रेंट इतना हाई है, कन्स्ट्रेक्शन इतना पुवर है कि कभी भी आप जाँच करा लें। हमने भी जाँच कराई परिणाम जरूर उसका सही नहीं आया क्योंकि बड़ा लम्बा प्रोसीजर है लेकिन पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण करा लिया जाय निर्माण का तो सब-स्टैंडर्ड पाया जायेगा। इन बिल्डिगों का रेन्ट इतना हाई है कि जो व्यापारी पहले 50 और 100 रुपए दे रहा था उससे 600 रुपए रेन्ट माँगा जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार मंडियों पर धन व्यय न करे। सरकार अपने गोडाउन आवश्यक हो तो बना ले और जो भूमि है उसे व्यापारियों को दे दे तकावी पर या किसी और एग्रीमेन्ट के द्वारा। अगर भूमि व्यापारियों को दे दी जाय और वे अपना कन्सट्रक्शन उसमें करें तो खर्च से बच सकती है। वह अपने लिए पैसा खर्च करेंगे इस तरह का एग्रीमेन्ट हो सकता है। सरकार पूरा मण्डी यार्ड तथा दूकान बनाने में पैसा खर्च न करे बल्कि व्यक्तिगत व्यापारियों पर छोड़ दे कि वे अपना नक्शा दें और प्लानिंग के हिसाब से स्वयं बनवायें और अपना खर्च करें। व्यापारी वहाँ रहना चाहता है जहाँ व्यापार होता है। मण्डी यार्ड के लिए 80, 90 एकड़

जमीन दी जा रही है । लिहाजा व्यापारी बाजार से दूर पड़ जायेंगे । लिहाजा वहीं पर बैंक की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था तथा रहने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

हमारी सरकार ला एण्ड आर्डर का बड़ा ढिंढोरा पीटती रहती है । काशीनाथ जी बैठे हैं, बहुत पुराने आदमी हैं । ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था के लिए बड़े चिन्तित रहते हैं जो स्वाभाविक भी है। किस तरह से इस प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को जानबूझ कर बिगाड़ती जा रही है उसकी कई मिसालें सम्मानित सदन के सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं । कारण बाद में बताऊंगा, तथ्य पहले रखे देता हूं । 23 तारीख को अलीगढ़ में श्रीमती इन्द्रकुमारी एम0पी0 ने 400 आदमियों को लेकर सत्याग्रह किया । 6 बजे उनको अरेस्ट किया गया उनके साथ 199 आदमी और 31 महिलाओं को भी अरेस्ट किया गया और 6 बजे से ले कर 10 बजे रात तक उनको पुलिस लाइन में रखा गया। साढ़े 10 बजे उन सबको जेल में ले गए और डेढ़ बजे तक वे 230 व्यक्ति जेल के फाटक पर पड़े रहे, उनको अन्दर लाज नहीं किया गया । जेलर का कहना था कि वह सरकार को बहुत पहले लिख चुके है कि ओवर क्राउडिंग वहाँ हो चुकी है । 800 के स्थान पर 1600 बन्दी वहाँ हैं । सरकार के आदेश भी आ चुके हैं अगर आगे अरेस्ट होती है तो उनको बरेली जेल भेज दिया जाय । फिर पुलिस उनको रेलवे स्टेशन ले गयी बरेली ले जाने के लिए । 6 बजे से 2 बजे रात्रि तक औरतों के दैनिक कार्य के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी खाने की बात तो दरकिनार रही। इसी बीच एस0पी0 सिटी तथा ए0डी0एम0 सिटी आते हैं और कहते हैं कि जेल में व्यवस्था हो गयी है, उनको वापस ले चलो । महिला एम0पी0 ने कहा कि वह सुबह से काँफी थक चुकी हैं, अब गाड़ी ले आओ, अब मैं इस तरह से नहीं जा सकूंगी । पुलिस जो कुछ आज तक करती आई है इस प्रदेश में उसने उस समय भी वही किया ।

श्रीमन्, श्रीमती इन्द्रकुमारी, एम0पी0 का एस0पी0 सिटी ने हाथ पकड़ लिया और उनकी चड़ियाँ टूट गयीं । वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया । जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जायेंगे। चार बजे तक पुलिस ने उनको अपने पास रखा और उसके बाद कहा जाता है कि सबके सब 230 आदमी भाग गये। श्रीमन्, संसार के इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि सबके सब लोग ऐसी स्थिति में भाग जायं। मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता हूं । यह गलत है, यही भ्रष्टाचार है। झूठे आरोप लगाय गये हैं। मान्यवर, श्रीमती इन्द्र कुमारी एक फलांग भी नहीं चल सकती हैं हाँफ जाती हैं, डाइबीटिक हैं, ब्लैड प्रेशर की मरीज हैं, वह कभी नहीं भाग सकती हैं,। दी–एक लोग भाग सकते हैं लेकिन आपका यह प्रशासन और यह पुलिस जिस पर आपको नाज है, उनके हाथों से 230 पकड़े हुए आदमी भाग गये और फिर भी कोई ऐक्शन नहीं लिया गया यह कैसी बात है ? आपकी यह न्यायप्रिय सरकार जो पुलिस की दुहाई देती है, उसने इस पर एक भी सिपाँही को सस्पेंड नहीं किया। यह भी कहते हैं कि हमने 230 आदमियों को गिरफ्तार किया और सबके सब भाग गये। इनमें 31 महिलायें भी थीं। श्रीमन्, गजब हो गया। सत्याग्रहियों के भांगने का सवाल ही नहीं उठता है। वे तो स्वयं जेल जाने के लिये तैयार रहते हैं, कैसे भाग गये ? मान्यवर. मैं पूछता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ मानवता दिखायें, पौरुष दिखायें। जो हमारे मुख्य मन्त्री हैं, उनसे उम्मीद थी कि वे स्वच्छ और कुशल प्रशासन देंगे लेकिन इनको अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, इनकी नेता इन्दिरा गाँधी जो कहेंगी, जो आदेश देगी, वही होगा। इसलिए यह सरकार दिमाग से बैंक्रप्ट हो गई है, अक्षम हो चुकी है । जिस दिन यह घटना घटी उस दिन डी0एम0 एस0डी0एम0 आदि वहाँ पर थे। कहा जाता है कि डी0एम0 साढ़े ग्यारह बजे चले गये थे, वे लखनऊ आ चुके थे लेकिन जो भी लोग इसकें दोषी हों, जिनकी ड्यूटी थी, सबको तत्काल सस्पेण्ड किया जाय नेग्लिजेंस आफ ड्यूटी के अन्दर। यह कभी सम्भव नहीं हो सकता है कि सब के सब भाग जायं । यह इतिहास मे कभी नहीं हुआ है।

श्री राजन्द्र सिंह—

श्रीमन् डी0 पी0 गौड़ जो हैं, वे इस सरकार के मसीहा बने हुए हैं। सरकार की मजबूरी है। वह इस सरकार की प्रतिष्ठा है। कहा गया कि संयोजक को बुरी तरह से पीटा गया और उसकी पसलियाँ टूट गयीं। मैं कहता हूं कि एक कमेटी इस हाउस की बना दी जाय और वह बागपत जाय और पता लगाये। यह बड़े अफसोस की बात है कि बागपत काण्ड इतनी बड़ी घटना हो गयी लेकिन इस सरकार का एक भी मन्त्री वहाँ जाना पसन्द नहीं करता। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री को धन्यवाद दिया है, इसी तरह के एक केस के सम्बन्ध में कि उन्होंने अपने एक एस0पी0 को सस्पेण्ड कर दिया। ऐसा प्रशासन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुर्सी का डर है। वैसे आदमी वह सक्षम है उनको कुर्सी का डर नहीं होना चाहिए, असलियत से प्यार होना चाहिए। इतने बड़े प्रदेश को चलाना है तो उनमें दृढ़ता आनी चाहिए। लेकिन वह डिसिजन नहीं ले पा रहे हैं। श्रीमन्, मुझे खुशी है, अभी तक तो केवल लोकदल को बदनाम किया जा रहा था कि राजनीतिक लाभ उठा रहा है लेकिन अब हमारे युवा कांग्रेस के नेता श्री संजय सिंह ने जो बात कही है वह मैं आपके सामने रखूंगा यह दैनिक जागरण में 26 जुलाई को छपा है। युवा नेता श्री संजय सिंह ने बागपत के बारे में जो बात कही है वह मैं थोड़ा आपके सामने रख रहा हूं।"बागपत कांड मानवता विरोधी तो है ही साथ ही उत्तर प्रदेश पर लगा एक ऐसा कलंक है जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा। अच्छा यह है कि उत्तर प्रदेश मन्त्रि मण्डल के सभी सदस्य इसे महसूस करें और बागपत काण्ड के अधिकारियों को गिरफ्तार करें। यह अजीब बात है कि अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यह अपने आप में इतना बड़ा अपराध है कि अगर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो प्रकृति अपने रौद्र रूप द्वारा दण्ड देगी। उनके हाथ में सत्ता की बागडोर है और उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब प्रकृति दण्ड देने पर उतारू होती है तो उसका प्रलयंकारी स्वरूप समस्त देश में आता है।"

श्रीमन्, मैं तारीफ करता हूं कि माननीय सदस्य ने इतनी हिम्मत के साथ यह बयान दिया। अब बागपत काण्ड लोकदल का नहीं रह गया है। इसकी भर्त्सना जितने भी अखबार हैं वह पाक्षिक हों या दैनिक या मासिक सभी अखबारों ने इस बात को कहा है कि पुलिस कर्मियों ने जो कार्य वहाँ किया है वह कभी भी इतिहास में नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश की कांग्रेस (आई) भूतपूर्व अध्यक्ष, श्रीमती मोहसिना किदवई भी पार्लियामेन्ट में कह चुकी हैं कि उनको चूड़ियां पहननी चाहिए थी। मन्जूर भाई यहाँ नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह आपके नेता श्री संजय सिंह का बयान है। अब आपको इसमें क्या कहना है? लेकिन फिर भी सरकार को यह नहीं दिखाई दे रहा है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे नेता विरोधी दल ने जो बात कही कि संजय सिंह हमारे नेता हैं, वह नेता नहीं हैं साथी है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अगर वह आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं बोल सकते हैं। आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

आपको बोलने का मौका मिलेगा। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बलात्कार की बात होती है तो हमारे साथी चौंक पड़ते हैं। हमारे साथी नौजवान मोहन सिंह जी ने कहा अनेक महिलाएं ऊपर बैठी हैं। बी०पी०ओ० मौड़ के साक्षात्कार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उन्हें उसे गम्भीरता से लेना चाहिए। इस बात को सब महसूस करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वह मौन बैठे हैं। ऐसा क्या हो रहा है अभी-अभी आगरा में एक जर्मन युवती के साथ बलात्कार हुआ है अब देश के ही नहीं, विदेशी भी नहीं बच रहे हैं। देखते चले जाइए आगे आगे क्या होता है ? यहां नियम 301 में एक प्रश्न उठाया गया था अलीगढ़ के दो नौजवान एक मेटाडोर खरीदने के लिए सहारनपुर पहुंचे, अपने रिलेशन के यहाँ वे गये थे। दोनों जवान बी०ए०, एम०ए० थे, ऐसे वैसे नहीं। उनके पिता ने उन को मेटाडोर खरीदने के लिए कहीं से रुपया दिया था। वह अभी नौजवान थे, स्कूल से निकले थे, कोई उनके खिलाफ कहीं से भी कोई खराब रिपोर्ट नहीं थी, कालेज के प्रिंसपल भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन सहारनपुर में नाँगल की पुलिस ने उनसे सारा रुपया छीन लिया और उन्हें गोली मार दी और कह दिया कि यह बदमाश थे और मुठभेड़ में मार दिये गये हैं। तो यह कौन सी सुरक्षा है। इस प्रदेश की पुलिस प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं रही यह हालत हो रहा है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा, जो कभी नहीं हुआ वह अब इनके शासन में हो रहा है—बी०एच०यू० कैम्पस में डकैती। नई-नई बातें हो रही हैं। अलीगढ़ के अन्दर एक मैजिस्ट्रेट यूनिवर्सिटी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गये। लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। मैं मानता हूं कि नकल उसने वहाँ किया, लेकिन यह देखने की बात है कि उस मजिस्ट्रेट का चरित्र क्या है? यह सरकार को देखना चाहिए था कि क्या वह मजिस्ट्रेट इस प्रदेश की जनता के साथ कोई भलाई कर सकेगा। यह श्रीमन्, एक नई बात है। मन्जूर भाई आप उस दल के हैं, जिसके एक एक्स एम०एल०सी०, श्री शिवहर्ष उपाध्याय की गोली मार कर हत्या कर दी गयी। वह कांग्रेस पार्टी के थे। यह श्रीमन्, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी क्या रक्षा करेंगे ? मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश की पुलिस को हो क्या गया है ? मैं चाहूंगा कि माननीय सदन के सभी सदस्य कम से कम दो दिन की चर्चा पुलिस के कारनामों के लिए यहाँ रखें। भले ही अभी आप इसे गम्भीरता से न लें, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जो छत्तरपुर में जनता ने पुलिस के एस०आई० के साथ किया, वही यहाँ भी होने वाला है, यदि सरकार पुलिस को नहीं रोक पायेगी, उसकी उदण्डता बढ़ती जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को स्वयं निर्णय करना होगा और वही करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जैसा छत्तरपुर की जनता ने वहाँ के दरोगा को नंगे करके घुमाया। मैं इन सब चीजों का हामी नहीं हूं,लेकिन आप जब उसे बचाते चले जायेंगे, सरकार उन्हें प्रोत्साहन देती चली जायेगी, तो इस प्रकार का निर्णय जनता को करना होगा और कानून व्यवस्था को उसे अपने हाथ में लेना होगा। एक और अजीब घटना यहाँ हुई है। जिला गोरखपुर के थाना पुरन्दरपुर में दो भैंसें चोरी हो गयी थीं, वह एक आदमी की सुपुर्दगी में दे दी गयीं डूरिंग दि पेंडेन्शी आप दि केस। थानेदार ने सुपुर्दगी किसी के नाम लिख दी और अपने पास रख ली। अदालत ने कहा भैंस कहाँ है, तो उस पर उस व्यक्ति ने वहाँ कहा कि भैंस तो पुरन्दरपुर के एस०ओ० के पास ही है। एस०ओ० ने कहा कि हमारे यहाँ पर भैंसें नहीं हैं। फिर हमारे यहाँ के एक लोकदल के कार्यकर्ता ने कहा कि चलिए और देखिए ये वहीं पर हैं। जब वहाँ पर एडिशनल एस०पी० गये तो उन्होंने उन भैंसों को वहाँ पर पकड़ा। यही नहीं, यदि केवल भैंसे ही मिलती तो कोई बात नहीं थी लेकिन उसके यहाँ से 99 किलो गांजा भी मिला। जब इस प्रदेश की पुलिस के एस०ओ० का यह हाल है और वह ये कर्म कर सकता है तो फिर क्या प्रदेश का हाल होने वाला है ? सस्पेण्ड तो हो गया, ठीक है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही बना हुआ है। उसके लिए तो ये आदेश होने चाहिए थे कि "ट्रांसफर्ड-एण्ड-सस्पेन्ड"। उसे 200 मील की दूरी पर पटकना चाहिए था। जब एडीशनल एस०पी० ने पकड़ा तो उससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए ?

[श्री राजेन्द्र सिंह]

इसके अलावा श्रीमन्, हमारे सदन में एक माननीय सदस्या, कुमारी सुमन लता दीक्षित हैं। उन्होंने कानपुर में एल0आई0सी0 के एक मकान पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है। हाई कोर्ट से एल0आई0सी0 की फेवर में वह मामला हो गया था। कुमारी सुमन लता दीक्षित ने स्वयं कन्फेस किया है और डी0एम0 को लिखा है कि इस मकान पर मैंने कब्जा कर लिया है। आप इसको रेगुलर इज कर दीजिए।

3 अगस्त को समाचार पत्र "Patrika" में जो समाचार छपा है वह इस प्रकार से है :—

"The case against the young Congress (I) MLA was registered on July 31 on a complaint from the Life Insurance Corporation authorities alleging that Miss Dixit had forcibly and illegally broken the locks of the Bhargava Estate premises building owned by them and occupied it.

Section 448 of the IPC under which the case against the M.L.A. has been registered provides...."

एल0आई0सी0 के अधिकारियों ने शिकायत की लेकिन वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। कैसे कर सकती है? माननीय सदस्या यूथ काँग्रेस से कनेक्टेड हैं, किस की हिम्मत है जो मदाख्लत कर सकें? इसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी के भी बस की बात नहीं है। इस प्रदेश के विधायक, जो इस प्रदेश के भाग्य निर्माता हैं जिनको यहाँ पर चुन कर भेजा गया है, उनकी ये एक्टीविटीज़ हैं। तो प्रदेश का क्या हाल होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है।

अब मैं टेक्सट-बुक्स के बारे में आता हूं। प्रदेश में सारे कालेजेज खुल चुके हैं। रोजाना अखबारों में निकलता है कि टेक्सट-बुक्स अवेलेबिल नहीं ह। यहाँ पर शिक्षा मन्त्री जी भी गायब हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये भी नौजवान हैं, पता नहीं किस दिन क्या कर डालेंगे? इसलिए, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वे व्यवस्था को सुधारें वरना ये भी इस कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के हक-दार हो जायेंगे।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बात यह कही कि हम डेफिसिट को मितव्ययिता से पूरा करेंगे। और क्या कहते, उनके पास उसके सिवा और कुछ कहने के लिए था ही नहीं। मैं नहीं समझ सकता कि वे मितव्ययिता से कैसे पूरा करेंगे? अभी जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था तो माननीय राज्यपाल महोदय के आफिस के लिए, यहाँ कैबिनट रूम का रिनोवेशन किया गया, उसको सजाने आदि पर 2 लाख रुपया व्यय किया गया। कैबिनेट रूम तो पहले से ही एयर कन्डीशन्ड था, पता नहीं वह उनके लिए क्यों उपयुक्त नहीं था? यह मितव्ययिता है?

यही नहीं, जब यह महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ आये तो राज भवन का भी रिनोवेशन किया गया और उसका एक कारण था और वह यह कि उनके पहले जो राज्यपाल महोदय थे वे एक हरिजन थे। रिनोवेशन न होता तो यह वर्तमान राज्यपाल महोदय कैसे उन पुराने परदों आदि का इस्तेमाल करते? यह है मितव्ययिता का दूसरा नमूना। हरिजन राज्यपाल के जाने के बाद एक सवर्ण के आने पर उसका रिनोवेशन तो होना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, चूंकि राज्यपाल महोदय की उम्र बहुत ज्यादा है, उनको कोठे पर चढ़ने उतरने में असुविधा हो सकती है, इसलिए उनके नीचे ही रहने की व्यवस्था की गयी थी यह कारण हरगिज नहीं था कि वहाँ कोई हरिजन राज्यपाल रहता था। मैं माननीय नता, विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वे भ्रमात्मक बात न कहें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मन्त्री जी स्वयं भी उसके बारे में कन्फर्म नहीं हैं। कहते हैं "हो सकती है"।

गंगा कैनाल का रिमाडलिंग होना है। इस प्रदेश के इंजीनियरों में उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। इन लोगों ने बड़े अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट बनाये हैं, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को बनाने का 80 लाख का कन्ट्रैक्ट दिया गया है दिल्ली की एक Webcos इंजीनियरिंग कारपोरेशन को और इस सिंचाई विभाग के जो एस0ई0 हैं जिनको शायद 2-3 हजार रुपए माहवार वेतन मिलता होगा इन्हीं को दिल्ली वाली कम्पनी से डेपुटेशन पर 6 हजार रुपये वेतन पर भेजा गया है। तो करेंगे इस तरह इस प्रदेश के इंजीनियर ही, लेकिन काम दिल्ली की कम्पनी को दिया गया। क्यों? क्या इस तरह से आप मितव्ययता कर पायेंगे? यह तो सरकार पुलिस के हाथों गिरवीं रखी जा चुकी है। कैपेबिलिटी नहीं। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहूंगा। मेरी भी इच्छा है श्रीमन् कि इस प्रदेश का उत्थान हो। हमारे यहाँ के नागरिकों का, हमारे भाइयों का, हमारे साथियों का जन-जीवन सुखी हो। देश उन्नति करे। बजट में प्राविजन दिया गया है। मैं चाहता हूं कि टैक्सेज न लगें। हमको टैक्सेज न देना पड़े। होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया।

श्रीमन्, इस प्रदेश में निर्माण कार्य सम्पादित करने के जो भी विभाग हैं, सिंचाई विभाग, पी0डब्लू0डी0, स्वायत्त शासन विभाग हैं। मेरा सुझाव है श्रीमन्, कि ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त किया जाय। ठेकेदारी में करप्शन बढ़ा है, पैसा ज्यादा लगता है। यहाँ पर प्रदेश में एक निर्माण निगम है पी0डब्लू0डी0 के अन्दर। निर्माण निगम सरकारी कन्ट्रैक्ट लेता है। यह परम्परा सही नहीं है। उस निर्माण निगम के अन्दर इस प्रदेश के इन्जीनियर्स डेपुटेशन पर जाते हैं। श्रीमन्, डुप्लीकेसी होती है। वहाँ पर सिंचाई विभाग का कार्य है, सिंचाई विभाग का जैसा कार्य है, तो वहाँ के इंजीनियर्स भी वहाँ पर जायेंगे इस चीज को सुधारना चाहिए। डुप्लीकेट आफिसर्स क्यों रखे जाते हैं? कोई तरीका निकाल लें। लेकिन आफिसर्स की चेन को कम करने का एक सुझाव देता हूं। श्रीमन्, मुझे कुछ दिन इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। बहुत से लोग हैं, जो इसी चीज को देख कर बलिया और रायबरेली दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर टेंडर्स को लेने के लिए गन-प्वाइंट पर केसे हुए हैं। रास्ते में गोलियाँ मारी गयी हैं। वहाँ के कुछ बड़े-बड़े कन्ट्रैक्टर्स जिनको राजनैतिक प्रश्रय मिला हुआ है रायबरेली और बलिया में, श्रीमन, वहाँ के ठेकेदारी पर कार्य न करा कर सरकार खुद कराए। हमारी भावना है कि नव जवानों को कार्य मिले। अगर ठेकेदारी को समाप्त कर के सरकार खुद कार्य को अपने हाथ में ले ले, तो लाखों-लाखों लोगों को रोजगार मिल जायगा और करप्शन समाप्त होगा। कन्ट्रैक्ट्स मे जो कमीशन मिलता है, वह बन्द हो जायगा। बोरे और लोहे को कौन कहाँ ढोता फिरेगा।

रामगंगा इसी तरह से निर्मित हुआ। श्रीमन, यह निर्णय प्रदेश के हित में होगा। लाखों-लाखों लोगों को मजदूरी देने के लिए इस तरह की कार्यवाही की जाय ताकि अनइम्प्लायमेंट को हटाया जा सके। श्रीमन, है थोड़ी कठिनाई जिम्मेदारी की लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मितव्ययिता की बातचीत हम करें और हमारे सेक्रेटरियट के अधिकारी लोग इस बात का सुझाव दें, तो पहले घर से ही होना चाहिए।

श्रीमन, यहाँ परम्परा है हर विभागाध्यक्ष को और सचिव को स्टाफ कार देने की मैं इसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन आज से 15–20 साल पहले जो 100 रुपया कार मेन्टिनेंस के दिये जाते थे, वे ही आज भी दिये जाते हैं। अब चूंकि कार की कीमतें भी बढ़ी हैं और पेट्रोल भी मंहगा हुआ है, इसलिए इस एलाउन्स में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए इस दिशा में मेरा सुझाव है कि अच्छा होगा यदि आफिसर्स को जो स्टाफ कार दी जाती है, वह न देकर, उन्हें उन्हीं की कारों का एलाउन्स दे दिया जाय। इससे वे अपनी कारों को भी

[श्री राजेन्द्र सिंह]

मेन्टेन रखेंगे। इस प्रकार का सुझाव इससे पूर्व भी दिया गया था, जिससे वित्त मन्त्री भी सहमत थे। और जिन अधिकारियों के पास कार न हो, उन्हें सुविधानुसार ऋण दिया जाय इससे मितव्ययिता हो सकती है। ऐसा मेरा ख्याल है इसके अतिरिक्त और भी कई बाते हैं। अधिष्ठान में कार्य-प्रभारी और दैनिक वेतन भोगी हजारों की संख्या में कार्य कर रहे हैं। मितव्ययिता की दृष्टि को ध्यान में रखकर भर्तियाँ नहीं की जाती हैं कि किस कार्य के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है। आज लगभग 2 या 3 हजार व्यक्ति ऐसे होंगे जो कार्य-प्रभारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं जो 3 साल बाद यह कहने लगते हैं कि उन्हें कन्फर्म कर दिया जाय। इसलिए इस प्रकार की उत्पन्न स्थिति पर अकुश रखने की जरूरत है। मितव्ययिता को ध्यान में भी रखकर चलना चाहिए। श्रीमन्, सबसे बड़ी बात जो मैं जानना चाहता हूं कि जो भी सरकारें आती हैं, वह अपनी योजनाएं बनाकर उसे पूरी करने का प्रयास करती हैं, परन्तु फिर भी यदि पूरी नहीं होती तो दूसरी सरकार जो आये, उसे पूरा करना चाहिए, उसमें निर्धारित समय से अधिक समय न लगना चाहिए। श्रीमन्, इस प्रदेश की जितनी भी योजनाए हैं जिस समय उसके प्रारूप तैयार होते हैं तो श्रीमन्, उसकी कीमत कुछ करोड़ों में होती हैं, परन्तु निर्धारित समय के अन्दर पूरा न करके अनावश्यक समय बर्बाद किया जाता है तो उसकी कीमत 4 से 10 गुना तक अधिक हो जाती है। ऐसे मामलों से सम्बन्धित अधिकारियों के प्रति आपको निर्णय लेना होगा और ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाय तभी मितव्ययिता सम्भव हो सकेगी।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि लाटरी निदेशालय के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन इस सदन में आ चुका है। जिसमें सन् 1975 में उन्होंने एतराज किया है कि वित्त विभाग के अधिकारियों को उपहार के रूप में जो दिया जाता है, वह सही नहीं है। उन्हें उपहार के रूप मे सोफ-सेट्स, मशीन, मोटर के पुर्जे, खाद्य, मसाले, वस्त्र तथा आभूषण मान-देय के रूप में दिये जाते रहे हैं, वह गलत है। श्रीमन, यह सन् 1975 के एक शासन के आदेश हैं, जिनके माध्यम से ऐसा हुआ है। इस तरीके को निकालना चाहिए जो पब्लिक सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स के विरुद्ध हैं जिसमें ऐसी परिभाषा है कि ऐसी चीजें लेना भ्रष्टाचार है। जबकि श्रीमन्, शासन ने इसको रेगुलराइज कर दिया है। इसलिए इस ओर मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाय और इसे समाप्त कर दिया जाये।

श्रीमन्, मैं दो एक बातों पर और बोलना चाहूंगा हमारे यहाँ जो निगम हैं, पब्लिक अण्डर टेकिंग्स हैं, सबसे अधिक संख्या में हैं, लगभग 87 हैं, श्रीमन्, मैं सब पर तो नहीं बोल सकता केवल 2–3 पर बोलूंगा। माननीय सदस्यों को बोलना है। श्रीमन्, एग्रो के बारे में कुछ बोलूंगा। एक एग्रो कारपोरेशन हैं। श्रीमन, वहाँ राष्ट्रपति शासन के अन्दर एक श्री श्रीवास्तव को प्रबन्ध निदेशक बना कर भेजा गया। प्रबन्ध निदेशक बनाया गया ठीक है लेकिन श्रीमन्, यह जान के दुख होगा माननीय सदस्यों को कि उन्होंने 10 में से 9 व्यक्तियों को श्रीवास्तव डेपुटेशन पर लिया। विभिन्न विभागों से 9 श्रीवास्तव थे 10 में। एक था कोई बरनवाल। जिस आर0बी0एल0 श्रीवास्तव को सन् 76 में ऐग्रो से निकाला गया था करोड़ों लाखों का घपला किया था। श्री नवाब सिंह यादव ने एक प्रश्न किया था कौंसिल के अन्दर और कौंसिल की एक समिति बनी थी। समिति की जाँच रिपोर्ट के बाद श्रीमन्, जो निदेशक मण्डल था ऐग्रो का एक समिति बनी और मुझे खुशी तो इस बात की है कि समिति के सदस्यों मे जो थे उनमें से दो माननीय सदस्य इस सदन के माननीय सदस्य है। एक श्री चंचल सिंह और दूसरे थे श्री सोमाँश प्रकाश जी। उस समिति ने निर्णय लिया था निर्णय बहुत बड़ा है। उन्होंने निर्णय लिया था कि इस अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, एग्रो को कई करोड़ का नुकसान पहुंचाया है और जान-बूझकर एक फर्म को पैसा दे दिया जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं थी। उनकी सेवाएं समाप्त

की गयीं। श्रीमन्, सूचना हमको यह है कि हमारे जो सलाहकार थे राष्ट्रपति शासन में श्रीमन्, उन्होंने एक लाख रुपया लेकर पुनः उनको सेवा में भेज दिया, ज्वाइन करा दिया। इससे बड़ा दुष्कर्म नहीं होगा। उनको ज्वाइन कराने से पहले सरकारी वकील इलाहाबाद, विधि परामर्शी लखनऊ, एग्रो के वकील सबने लिखा था कि इनको ज्वाइन न कराया जाय मेरा केस बहुत मजबूत है। सन् 1976 में निकले हुए व्यक्ति को जिसके बारे में कांग्रेस के सदस्य ने कहा था एग्रो को नुकसान पहुंचाया है, उसको पुनः सेवा में लिया गया। यह है कर्मठता और यह है, श्रीमन्, इस प्रदेश के प्रशासन को चलाने की क्षमता और राष्ट्रपति शासन में महामहिम राज्यपाल के समय की यह एक मिसाल दिया है। श्रीमन्, यह प्रदेश कैसे चलेगा जहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों को प्रश्रय दिया जाता है भ्रष्टाचार का सहारा लेकर।

श्रीमन्, इसके बाद राज्य विद्युत् परिषद् के बारे में कहूंगा। बहुत बड़ा स्टैब्लिशमेंट है। राज्य विद्युत परिषद में ढाई सौ करोड़ का घाटा है। यह घाटा क्यों आया है? बगैर सोचे समझे प्रदेश की सरकार ने दरें बढ़ा दीं और यह जानने की कोशिश नहीं की। मेरी सूचना के अनुसार मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा चार्ज बिजली की उत्तर प्रदेश के अन्दर है। किसी प्रदेश में इतनी नहीं है। इन्होंने रेट बढ़ा दिया। भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो सदन के सामने रखी जा चुकी है उसके अनुसार श्रीमन्, इलाहाबाद में एक कन्सर्न को बिजली का कनेक्शन दिया गया। जो कण्डीशन थी वह यह थी कि जो वोल्टेज दिया गया है वह एक हजार के 0वी0 का उसी चीज यानी फैक्ट्री के लिए होगा। जैसी आदत होती है, व्यापारियों की, मैं सबको नहीं कहूंगा, उन्होंने कालोनी में उसी से कनेक्शन ले लिए। लाइट फैन का खर्चा ज्यादा होता है। इस तरह से बिजली की चोरी कर रहे थे। एक इंजीनियर ने उसे पकड़ा। एक लाख 4 हजार का अनुपूरक बिल बना कर भेजा। एक आफिसर यहाँ से गये। नाम लेना सम्भव नहीं है लेकिन पृष्ठ 15 पर लिखा हुआ है कि व्यापारी ने कहा कि हम जेनरेटर से बिजली देते हैं। उन्होंने भी यही कहा लेकिन पाया यह गया कि बिजली उसी से दी जा रही थी। श्रीमन, राज्य विद्युत परिषद का दिवाला तो पिटना ही पिटना है। श्रीमन्, यह नइफीशियंसी की वजह से हुआ है। चार्जेज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। वहां पर नियन्त्रण नहीं हो पा रहा है। श्रीमन्, यह है हमारे राज्य के सबसे बड़ अण्डरटेकिंग्स के बारे में।

(इस समय 2 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्रीकृष्ण गोयल पीठासीन हुए)

सड़क परिवहन निगम के बारे में कहना चाहूंगा। हम इस ट्रांसपोर्ट के व्यापार में न हों लेकिन जानते हैं जिसको ज्ञान थोड़ा सा भी है, हम सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास एक गाड़ी आज थी 3 साल बाद दूसरी गाड़ी खरीद लेता है। चाहें तो आप आर0टी0ओ0 आफिस से पता लगा लें। हमारा निगम लास में चलता जा रहा है। बसेस भी उपलब्ध नहीं करा सके। एक नया तरीका और निकाला। प्राइवेट बसेस को इसमें ले लें। श्रीमन्, अगर आप कैपेबिल नहीं हैं तो व्यापार बन्द कर दें। जो प्राइवेट आपरेटर्स हैं उन्हें ज्यादा फायदा होता है तो क्यों गाड़ियाँ चलाते हैं? सरकार सक्षम न हो, इफीशियेंट आफिसर न हों तो क्यों हम इस पब्लिक मनी को एक वसूल के नाम पर बरबाद करें, नहीं करना चाहिए। मेरी दृष्टि में तो है अगर इनकी दृष्टि में भी केपेबिल न हों, इफीशियेंट न हों तो छोड़ दीजिए। मिस-मैनेजमेंट हो रहा है। बस खड़ी है हार्न की वजह से। आफिसर कितने हैं? इम्प्लायमेंट देना है, लेकिन कम से कम मुनाफा तो कमाइए, वह नहीं होगा। सभी ने अपने घरों पर आफिसेस बना रखे हैं। चाहे उसे घर समझें या आफिस। स्टेशन इंचार्ज कभी स्टेशन नहीं जाता। जी0एम0 कभी वहाँ नहीं जाता। मैं निवेदन करता हूं आप के माध्यम से कि आप इस व्यवस्था को सुधारें।

(समय अपराह्न 2.30 से)

[राजेन्द्र सिंह]

अगर इस प्रदेश को उठाना है तो इस व्यवस्था को सुधारें। इसके साथ-साथ कुछ और भी चीजें हैं। मैंने पहले ही कहा कि यह बजट किसान विरोधी है, कोई सुविधा इसके अन्दर नहीं दी गयी है। फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ा दी गयी तो उसमें सब्सिडी पर देने का कोई प्राविजन होना चाहिए। सरकार के पास एक निधि है, किसान निधि। एक बार प्रश्न आया था कि किसानों को जो खाद बेची जाती है उस पर जो सेल्स टैक्स आता है वह किसान निधि में डाल दिया जाय। किसान निधि समाप्त होती जा रही है, सरकार उसको बढ़ाने की बात नहीं सोच रही है।

मैं भूल गया था, एक चीज और कहूंगा विद्युत के बारे में। पिछली सरकार, लोक दल सरकार की अन्तिम कैबनेट मीटिंग 14 फरवरी को हुई थी, उसमें यह तय हुआ था, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा था कि सूखे के कारण किसानों को सही मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। 4-4 दिन तक बिजली नहीं जाती है। किसानों की फसल सूख गयी। कैबिनेट डिसीजन हुआ था कि पिछले तीन वर्षों में किसान को जितनी बिजली दी गयी, उन तीन सालों का एवरेज ले लिया जाये। गत वर्ष जितनी कम बिजली किसान को मिली है, उसी हिसाब से चार्जेज विद्युत के कम कर दिए जायें। इस सरकार ने उस निर्णय का पालन नहीं किया और आज भी किसान को कोई राहत नहीं दिलाई गयी। मैं तो कहूंगा और आप भी इस बात को मानते हैं कि खरीफ में किसान की फसल खराब हो गयी। 80 प्रतिशत नुक्सान हुआ, कहीं-कहीं 100 प्रतिशत नुक्सान हो गया है। 87 प्रतिशत, 100 प्रतिशत नुकसान हो गया, बिजली को माफ कर देना चाहिए। अगर आपकी नियत है, 87 प्रतिशत जनता के बारे में, किसानों के बारे में कुछ सोचते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई न कोई राहत मिलनी चाहिए किसानों को।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने बड़ा साहसिक कदम उठाया है पुराने ऋणों को राइट-आफ करने का। जब किसान की बात करते हैं तो चौंक जाते हैं। प्रदेश की इनकम का तीन चौथाई भाग कृषिजन्य फसलों से आता है किसान पर भी इसी हिसाब से खर्च होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सबको माफ किया जाये। मैं मानता हूं हमारी एकोनामिक कण्डीशन जर्जर हो गयी है। मैं विरोध में बोल रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर चीज का विरोध करूं। लेकिन जो चीजें देश की गरीब जनता के लिए अच्छी हैं, लाभ के लिए हैं, उनको कहना हमारा कर्तव्य है। माननीय मुख्य मन्त्री जी विचार करें हमारे प्रदेश के किसानों पर हरिजन किसानों पर जितना ऋण बकाया है उसको राइट-आफ करने के बारे में। यह साहसिक कदम उठाएं जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने उठाया। इतना नहीं कर सकते तो जो बकाया ऋणों पर कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट होता चला जा रहा है उसको तो माफ कर दें अगर उसको माफ कर दें तो मैं कहता हूं कि पुराने ऋणों की वसूली हो सकती है। अगर सरकार निर्णय ले ले कि जो पुराने कर्ज हैं, उसको मूलरूप में ही लेकर व्याज को माफ कर दें तो इस सरकार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और समस्या हल हो सकती है। मान्यवर, जो एडीटोरियल में बयान आया है, यह कहना पूरा करने का समय नहीं है। आज स्थिति यह है कि जो बैंकों से कर्जा है, 50 प्रतिशत से अधिक रिपे नहीं हो पा रहा है। तो जो पुराने कर्जे हैं, उनमें मूल रूप में उनको लेकर व्याज माफ कर दें, वह मेरा सुझाव है।

जहाँ तक विद्युत् चार्जेज के बारे में है, इस सम्बन्ध में एक चीज और कहना चाहता हूं कि जब कभी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नान-पेमेन्ट के कारण विद्युत् कनेक्शन की कटौती होती है तो अधिकारी जाकर उस कनेक्शन को काट देंगे और यदि वह किसान 2/3 या 4 महीने तक सक्षम नहीं हो पाता कनेक्शन कराने के लिए तो 3/4 महीने का बिल उसके पास जायेगा और उससे वसूली करेंगे। ऐसी अंधी सरकार बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेगी। जब आपके विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों ने उसके ट्यूबवेल के कनेक्शन को काट दिया

और केबिल को निकाल ले गये तो वह ट्यूबवेल तो चलायेगा नहीं, उससे चार्जेज नहीं लिए जान चाहिए--उस समय तक, जब तक कि कनेक्शन दुबारा नहीं जुड़ जाता। मैं तो कहता हूं कि कनेक्शन जोड़ने का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। किसानों के साथ थोड़ी बहुत हमदर्दी बरती चाहिए। लेकिन इसकी कल्पना हम कभी नहीं करते। आज किसान कितना गरीब है, उसको कितना दर्द है, उसके बारे में हम यहां एयर कण्डीशन में बैठकर विचार नहीं कर सकते। तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा मानवता के नाम पर उसके बारे में विचार करें जो सम्भव हो, जो उसको ड्यू हो, उसको देने के बारे में विचार करें।

इसी तरह से, एक निर्णय और था पूर्ववर्ती सरकार का लेकिन यह सरकार तो पूर्ववर्ती सरकार के निर्णयों को अन-डू करने में लगी है। निर्णय था कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को वजीफा दिया जायेगा। श्रीमन्, लास्ट डिसीजन जब हुआ था, तो उसमें कह दिया गया था कि पिछड़े वर्ग में जो लोग इनकम टैक्स पेयी नहीं हैं, उनके बच्चों को वजीफा दिया जायेगा। मैं नहीं कहता कि दायरा बढ़ा दें। लेकिन जो गरीब हैं, उनको वजीफा दें। चाहे किसी भी जाति के हों, जो लोग सक्षम नहीं हैं, चाहे वे किसी भी बिरादरी के हों, उनको सरकार वजीफा दे और पढ़ाए। लेकिन जिनको देने की बात है, उनका काटना तो कोई अच्छी बात नहीं। जिस को मिल रहा है, उसके काटने से कभी अच्छा नहीं कर पायेंगे। मेरा निवेदन है कि उनका मत काटिये बल्कि इसमें एकोनामिक बैकवर्ड को और जोड़ दें ताकि उन गरीबों की सहायता हो। श्रीमन्, मेरा निवेदन है और आपके माननीय तिवारी जी का बयान भी आया है कि इस प्रदेश में 31 करोड़ आदमी, श्रीमन्, गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। सोच लें। शायद यह फीगर 3 करोड़ कुछ है। मैं भूल रहा हूं। यानी 50 प्रतिशत से ज्यादा गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इस तरह का उनका बयान है। जिस प्रदेश में गरीबी की ऐसी स्थिति हो, वहाँ की सरकार को उनके बारे में कुछ कदम उठाने चाहिए। तो जो बैकवर्ड लोगों के बच्चों को जो कुछ फीस या वजीफा दे रहे थे, वह बरकरार रखा जाय और दूसरे बच्चों को भी जो गरीब हैं, और पढ़ नहीं सकते, या सक्षम नहीं हैं, उनको भी सरकार राहत दे।

मान्यवर, और भी बहुत सी चीजें कहना चाहता था, लेकिन समय नहीं है। एक सेल्स टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। यह टैक्सेज के बारे में है। शायद वित्त मन्त्रालय में पहले भी विचार हुआ है। मान्यवर, टैक्सेशन में, इस प्रदेश में इवेजन बहुत होता है।

मैं नहीं कहता हूं कि टैक्सों की चोरी व्यापारी के जरिये होती है, कन्ज्यूमर्स भी कभी-कभी उसमें शरीक होते हैं। आज व्यापारी पर मल्टिपिल टैक्सेज हैं, नियमावली के अनुसार अलग-अलग सभी के रेकार्ड्स रखना पड़ता है। मण्डी शुल्क, सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स सभी का रिकार्ड्स रखना पड़ता है जिससे उसको दिक्कत होती है। तो कोई ऐसी प्रणाली बनायी जाय जिससे सिम्प्लीसिटी इन-सेल्स टैक्स हो सके। जो नम्बर दो का काम करते हैं, ईमानदार व्यापारी उनको कंपटीट नहीं कर पाते हैं इसलिए सेल्स टैक्स में सिंपलीसिटी करके कोई ऐसी प्रक्रिया निकालें जिससे टैक्स की चोरी न हो सके। गाजियाबाद आउट पोस्ट है, हर आदमी गाजियाबाद जाना चाहता है, वहां पर बड़े नियन्त्रण की आवश्यकता है। क्योंकि वहां बहुत सेल्स टैक्स की चोरी होती है। वहां से बहुत बड़ी तादाद में माल आता है। तो रिकार्ड्स को रखने में सिम्प्लीसिटी होनी चाहिये, व्यापारी भी इस देश का नागरिक है, उसमें एक भावना आनी चाहिए कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है, यह तभी सम्भव होगा जब आप उसको कुछ राहत दिलायें।

अब मैं कुछ छोटी-छोटी बातों के सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इस तरफ सरकार को कदम उठाने चाहिये। बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन अगर सरकार उस ओर कुछ कदम उठाना चाहे तो इस प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिये थोड़ा बहुत किया जा सकता है। देहात से बहुत से लोग आते हैं, सभी जानते हैं। वहां कुम्हार रहते हैं जो मिट्टी से बरतन बनाते हैं। उनको एक खास किस्म की मिट्टी की

[श्री राजेन्द्र सिंह]

आवश्यकता होती है। पिछले दिनों एलाटमेंट आफ लैंड्स किया गया है, मैं हरिजनों को जमीन देने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतना अवश्य होना चाहिये, ऐसा आदेश होना चाहिए कि जिन गांवों में कुम्हार रहते हैं उनके लिए खास किस्म की मिट्टी के लिये जमीन अरक्षित रखी जाय ताकि वह अपना रोजगार चला सकें। मैं चाहता हूं कि बरतन आदि बनाने के लिये, इनके लिये जमीन सुरक्षित रखी जाय।

श्रीमन्, लैण्ड एक्वीजीशन की बात है। यह एक बहुत बड़ी प्राब्लम है। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, प्रदेश की बहुत सी स्कीमें, बहुत से प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक्वीजीशन आफ लैण्डस नहीं हो पाता है। जमीनें नहीं मिल पाती हैं, लिटीगेशन शुरू हो जाता है तो प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं। इस सम्बन्ध ने कोई विचार वित्त मन्त्रालय को करना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस मामले में सरकार ने दो स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। जब जमीन की बिक्री होती है, सेल डीड लिखी जाती है तो उसके लिए कुछ नार्म्स बने हुए हैं, कि चाहे बिक्री कितने की क्यो न हो इतने वैल्यूयेशन का स्टाम्प लगाना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि कम्पेंसेशन देने में दूसरे नियम क्यों सरकार चाहती है। सरकार किसान की जमीन की वैल्यूयेशन का आधार बना चुकी है तो कम्पेंसेशन देने के लिए वह दूसरा आधार क्यों पकड़ती है? मैं कहता हूं हरियाणा की सरकार ने, भजन लाल की सरकार नहीं, जनता पार्टी की सरकार में, देवीलाल जी की सरकार ने, एक बहुत बड़ा ड्रेन बनाने की आवश्यकता थी तो वहां जमीन बाद में ली गयी और कम्पेंसेशन पहले दिया। ऐसे बहुत से केसेज थे। हर विभाग में कम्पेंसेशन की प्राब्लम है, सड़क निकाली गयी लेकिन कम्पेंसेशन नहीं मिला नहर निकल गयी लेकिन किसानों को कम्पेंसेशन नहीं मिला है। इसलिए प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि किसान की जमीन तब ली जाय जबकि उसे पहले कम्पेंसेशन दे दिया जाये। इसलिए नियमों में हमको थोड़ा एमेंडमेंट करना चाहिए। इससे प्रोजेक्ट टाइमबाउन्ड बनेंगे, किसानों से जमीन भी मिल जायेगी और गरीब किसानों को जो पैसा पहले मिलेगा उससे वह दूसरा उद्योग कर सकेगा और अपना जीवन निर्वाह कर सकेगा। इस प्रकार लैण्ड एक्वीजीशन के बारे में जो प्राब्लम है उसको साल्व सरकार कर ले तो अच्छा होगा। मान्यवर, मथुरा के अन्दर रिफाइनरी के लिए जमीन भारत सरकार ने लिया तो तुरन्त कम्पेंसेशन 15 हजार रुपए दे दिया। लेकिन उसी जिले में उत्तर प्रदेश की सरकार को जमीन की जरूरत पड़ी तो 2-3 साल हो गये हैं और आज तक लिटीगेशन चल रहा है। तो यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार पैसा देना नहीं चाहती है। जबकि भारत सरकार ने खराब जमीन के पैसे ज्यादा दिए और तुरन्त दिए। इसलिए एक्वीजीशन आफ लैण्ड के लिए कोई सरल तरीका बनाना चाहिए और जो मैंने सझाव दिया है कि आपने जमीन की जो वैल्यूएशन बना रखी है उसमें 10–20 प्रतिशत बढ़ाकर तुरन्त दे दें तो आपके प्रोजेक्ट जल्दी चल जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट से इस गरीब जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है यह किसान विरोधी बजट है। इस बजट से किसानों को कोई सुविधा नहीं मिली है। ढाई घंटे में बजट को पढ़ा गया था, और जिसमें 49 पृष्ठ हैं लेकिन उसमें किसानों की सुविधा के लिए कोई चीज नहीं है। इससे दुर्भाग्य की चीज जनता के लिए क्या हो सकती है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री धर्म्मन सिंह––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें किसी प्रकार की प्रदेश की आर्थिक उन्नति की स्फूर्ति नहीं मिलती है। बजट को पढ़ने से ऐसा प्रतीत नहीं होता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि सरकार कोई नया काम बड़े उत्साह से करने जा रही है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुरानी रिवाज या परिपाटी को निभाया गया है। मगर केवल इतनी ही नवीनता रही है कि वित्त मन्त्री जी की जगह पर मुख्य मन्त्री जी ने बजट को बड़े धैर्य से करीब ढाई घंटे पढ़ कर सुनाया। लेकिन इससे विकास की दिशा नहीं प्रतीत होती है। इसलिए विकास करना ह तो उसके लिए हिम्मत के साथ कुछ कठोर और क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे जिनका बजट भाषण मे कहीं प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देत है। जो काम पिछले दिनों मैं हुए हैं, चाहे जिस सरकार ने किए हों, यदि अच्छे काम हैं तो उनको फिर से शुरू करने की आवश्यकता है।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जिला बिजनौर किसी समय में बरेली मण्डल की कमिश्नरी के अन्दर था। विकास के कामों में ध्यान ठीक न दिए जाने के कारण सरकार ने निश्चय किया और मुरादाबाद में एक नई कमिश्नरी बनाई जिसमें मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर जिले सम्मलित किए गये। यह बहुत अच्छा कदम था। कमिश्नर महोदय के लिए बड़ी सविधा थी। वह समय-समय पर स्वयं जाकर विकास कार्यों का अवलोकन करते। लेकिन बाद में यह व्यवस्था तोड़ दी गयी और बिजनौर मेरठ मण्डल में मिला दिया गया पहले रेल से बरेली जाने की सुविधा थी, मेरठ के लिए यह सुविधा भी समाप्त हो गयी। वह मण्डल स्वयं ही इतनी समस्याओं से ग्रस्त है कि वहां के कमिश्नर महोदय को बिजनौर के पिछड़े और छोटे इलाकों को देखने का अवसर नहीं मिलता। सरकार के काम करने का क्या तरीका है हमारी समझ में नहीं आता।

मेरे पास में मुरादाबाद जिला है जहां बर्तनों का बड़ा व्यापार होता है। लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा बर्तनों को विदेशों में भेजने से प्राप्त की जाती है। उस मरादाबाद की आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई सरकार ने मान रखा है लेकिन बिजनौर जिले को पिछड़ा हुआ नहीं माना गया है जिसके कारण हमारा विकास अवरुद्ध हो गया है। जो लोग नये कारखाने लगाना चाहते हैं वे बिजनौर की अपेक्षा दूसरी जगहों में जाकर कारखाने लगाते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करे।

अभी हाउस में कुछ समय पहले यह कहा गया कि पुलिस का व्यवहार इस प्रदेश के अन्दर बहुत खराब है। बड़े दुःख की बात है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने वित्त मन्त्री के रूप में बड़ा भाषण पढ़ा है, उसमें पुलिस की बड़ा प्रशंसा की गयी है दूसरे किसी विभाग के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी। इसे श्रद्धांजलि ही कहना चाहिए केवल पुलिस विभाग की ही तारीफ की है।

मैं समझता हूं पुलिस का निरंकुश और भद्दे व्यवहार का कुछ कारण है। शासक दल से पुलिस को इन बातों के लिए बढ़ावा मिलता है और अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए पुलिस के संरक्षण की आवश्यकता होती है। एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिले के विधायक हैं। इसी 26 जुलाई को उनकी कन्या एक डिग्री कालेज में नकल करते हुए पकड़ी गयी। प्रोफेसर ने अपने पद की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए उसको ऐसा काम करने के लिए मना किया और जब वह नहीं मानी तो उसके नोट लगा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि शाम को ही विधायक महोदय के पुत्र अनेक गुण्डे लेकर प्रोफेसर के मकान पहुंच गये और उनको गालियाँ दीं, मारने की धमकी दी। थाने में रिपोर्ट मौजूद है इस सारे घटना के सम्बन्ध में। विधायक बिजनौर में मौजूद थे। समझाने के बजाय उन्होंने शह दी और परिणाम यह हुआ कि रात को फिर एक दल लेकर उनके पुत्र प्रोफेसर के घर पर पहुंचे और गालियाँ देते हुए उनके दरवाजे को पीटते रहे। बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर ने रात बिताई और अपनी जान बचाई प्रोफेसर ने थाने में रिपोर्ट दी है। स्थिति की गम्भीरता का इससे अनुमान लगा सकते हैं

[श्री थम्मन सिंह]

कि अध्यापकों में अधिक असुरक्षा व्याप्त हो गयी है। उन्होंने यह निर्णय किया है कि जब तक हम लोगों को सुरक्षा प्रदान न की जाय हम परीक्षा में काम नहीं करेंगे, इनविजीलेशन नहीं करेंगे और उस कारण 28 और 29 को परीक्षा नहीं हो सकी। किसी का अपराध और सारे बच्चों को उसका कितना दण्ड मिला इसी स अनुमान लगा सकते ह जब संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। पुलिस कुछ करना चाहती थी लेकिन खुल्लम-खुल्ला एम0 एल0ए0 धमकी दे रहे हैं कि विधायक हैं उनके बच्चों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते। यदि इस प्रकार पुलिस का संरक्षण चाहेंगे तो पुलिस भी अपनी मर्जी माफिक बहुत सारे काम करेगी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह परम्परा डालने का समय है। सत्तारूढ़ दल सामयिक लाभ के लिए इस तरह से पुलिस को संरक्षण न दे वर्ना इसका परिणाम हम सभी को भुगतना होगा। पुलिस में कितनी गिरावट आ गयी है। थानेदार घूमघूम कर आज रिश्वत लेता है। शिकायत की जाती है तो ऊपर का अफसर अनुभव करता है कि अगर कोई कदम उसने उठाया तो हो सकता है कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने लगे, लिहाजा वह आँख मूंद लेता है।

हमें विकास कार्यों की ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। जहाँ आर्थिक विकास ज्यादा होता है वहाँ देखने में यह आता है कि लड़ाई झगड़े कम होते हैं। मेरा इस दृष्टिकोण से यह विचार है कि इस प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। 10 करोड़ की इसकी आबादी है और इस कारण कोई मुख्य मन्त्री या मन्त्री इतने बड़े प्रदेश पर नियन्त्रण नहीं रख सकता। भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाय तो जो पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति है वह मैदानी क्षेत्र की स्थिति नहीं है और जो पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों की स्थिति है वह बीच के इलाके की स्थिति नहीं है। अलग-अलग भौगोलिक स्थितियाँ हैं। अब समय आ गया है हम इस ओर ध्यान दें। हमारे सामने उदाहरण मौजूद है। हमारे देखते-देखते पंजाब तथा हरियाणा हुए और दोनों काफी आगे निकल गये हैं कृषि में भी तथा कारखानों के उत्पादन में भी श्वेत क्रान्ति भी कर डाली है। हमारे प्रदेश में गन्ना मुख्य फसल होती है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसमें किस प्रकार परेशानी होती है। गन्ना विकास की दृष्टि से सरकार ने इस प्रदेश को चार हिस्सों में बाँटा है। एक भाग पश्चिम प्रदेश है जिसका हेडक्वार्टर मेरठ है। मेरठ मण्डल में वह क्षेत्र आ गया है जो अधिक गन्ना उत्पादित करता ह। एक डिप्टी केन कमिश्नर वहाँ रहता है। उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इतने बड़े क्षेत्र का निरीक्षण कर सकें। मुझे एक डिप्टी केन कमिश्नर से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि अधिकाँश समय तो मीटिंग्स करन तथा मिनिस्टर्स की हाजिरी में लग जाता है लिहाजा वह किसी केन्द्र पर जाकर गन्ना विकास का कार्य नहीं देख सकते। मेरा सुझाव है कि छोटे-छोटे क्षेत्र बनाये जायें जिससे अधिक प्रभावी रूप से दृष्टि रखी जा सके। लिहाजा मेरठ मण्डल की जगह मुरादाबाद कमिश्नरी बनाई जाय। मैं इस माँग को सरकार के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से ध्यान देगी।

श्री धरमपाल—

मान्यवर, 1947 से पहले एक नारा अक्सर सुनाई देता था कि फिरंगी जायेगा तो स्वराज्य आयेगा और स्वराज्य आयेगा तो राम राज्य आयेगा। एक दिन अचानक देखा कि इस देश से फिरंगी चला गया, स्वराज्य आ गया और इसके लिए मिठाई खिलाई गयी कि स्वराज्य आ गया। छोटे-छोटे हम थे और कल्पना करने लगे कि राम राज्य आयेगा तो ज्यादा मिठाई मिलेगी। वक्त बीतता गया। राम राज्य की बात तो हम भूल गये, कामराज आ गया। उनके आने के बाद राम राज्य और समाजवाद का नारा लगाया गया। हमारे दोस्तों ने सोचा कि इसी के जरिए से हमारे देश का भला होगा। समाजवाद की पहली सीढ़ी काँग्रेस के बंटवारे के समय बैंकों को राष्ट्रीयकृत करके की गयी। हमने

सोचा कि इससे देश में समाजवाद आ रहा है और हमारा भला होगा लेकिन हम देखते क्या ह कि समाजवाद का रास्ता काँग्रेस के लोगों ने छोड़ दिया और सामन्तवाद का रास्ता अप-नाने लग जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक मुख्य मन्त्री के रूप में ताल्लु-केदार घराने से हमारे सामने आ गये। इसी तरह से हमारे संजय सिंह जी हैं जो रजवाड़ों के साथ इस सदन की शोभा बढ़ा रहें हैं। अगर हमारे ये समाजवादी भाई समाजवाद का बजट लाते तो शायद हम भी उनका समर्थन करते। महामहिम राज्यपाल न इस सरकार के कार्यकलापों के लिए कहा था कि इस प्रदेश के अन्दर युवकों के माध्यम से, युवा शक्ति के माध्यम से हम यहाँ पर समाजवाद लाना चाहत हैं लेकिन खेद है कि इस बजट में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा होता इस बजट के अन्दर नवयुवकों को, पढ़े लिख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिए जान की व्यवस्था होती। लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहें हैं। देखा जाता है कि हर चुनाव के समय शुगर मिलों के खिलाफ एक आवाज उठती है कि इस प्रदेश की चीनी मिलों के जो मालिक हैं वे हमारे नेताओं को गुमराह कर रहें हैं, गरीबों को लूटते हैं इसलिए चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आता हैं कि बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। इस सम्बन्ध में तब कोई बात नहीं कही जाती ह और न ही बजट में प्राविधान किया जाता है।

इसी तरह से मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि पूर्वांचल के विकास के बारे में विशेष ध्यान दिया जायगा। लेकिन हम देख रहें हैं कि इस बजट के अन्दर पूर्वांचल के विषय में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। सारा पूर्वांचल का इलाका पिछड़ा हुआ है। यह सारे प्रदेश से अलग हैं। वहाँ की स्थिति यह है कि यदि प्रदेश की पूरी 10 करोड़ की जन संख्या में 6 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं तो उसमें से 80 प्रतिशत लोग पूर्वांचल के ह। यह बड़े शर्म की बात है। महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा था कि पूर्वांचल का विकास होगा लेकिन वहाँ के घाघरा घाट के एक पुल के लिए जो बहुत दिनों से वहाँ की माँग चली आ रही है, एक पैसा भी इस बजट में उसके लिए नहीं दिया गया है। इस सरकार की कथनी कुछ है और करनी कुछ और ही है। हमारे स्वायत्त शासन विभाग को देख लीजिए, उसका किसी भी दूसरे दफ्तर से कोई तालमेल नहीं है। वहाँ पर नगरपालिका कुछ कहती है, जल निगम कुछ कहता है और आपका स्वायत्त शासन विभाग कुछ और ही कहता है। हमारी नगरपालिका बहराइच एक जैनरेटर खरीदने के लिए बहुत दिनों से माँग करती आई है; फाइलों में आर्डर हो जाते हैं लेकिन अभी तक वह नहीं खरीदा गया है, न जाने वह कब तक आयेगा ? यह गरमी निकल गई और इसी तरह से अगली गरमी भी निकल जायेगी किन्तु वह जनरेटर कब खरीदा जायगा, नहीं बताया जा सकता।

कहाँ गया है कि हम टैक्सेज नहीं लगा रहे हैं और दूसरी ओर 178 करोड़ रुपया का घाटा दिखाया जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि यह घाटा कहाँ से पूरा किया जायगा। इसके बाद भी सप्लीमेंटरी बजट लाया जायगा लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता से वाहवाही लूटने के लिए यह कहा जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहें हैं। यदि यह सरकार वास्तविक समाजवादी तरीकों से काम करना चाहती है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के अन्दर जो अरबों रुपयों के प्रोजक्ट ठेकेदारों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं उनको तुरन्त बन्द कर दें। मेरा दावा है कि ये सारे ठेके 18 प्रतिशत कमीशन पर चल रहे हैं।

एक लाख पर 18 हजार रुपए सरकारी कर्मचारी कमीशन के रूप में ले लेता है और ऐसे ही 10-15 प्रतिशत ठेकेदार की जेब में जा रहा ह। इसका साफ-साफ अर्थ है कि कोई काम नहीं हो पाता है। माननीय मन्त्री जी बात कर रहे हैं, कृपया बात बन्द करें। डिस्टर्ब हो रहा है....

श्री अधिष्ठाता—

यह काम चेयर का है, आप अपना भाषण जारी रखें। माननीय मन्त्री जी माननीय सदस्यों से कहें कि शान्ति रखें।

श्री धरम पाल—

मैं कह रहा था कि 100 करोड़ की योजना पर हमारी सरकार की लापरवाही से, 30 करोड़ रु0 भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। यह नहीं होना चाहिए, समाजवाद की बात करने वाली सरकार पूंजीपतियों और भ्रष्ट अधिकारियों को शह दे रही है। ऐसे ही पी0डब्लू0डी0 तथा अन्य विभागों में हो रहा है। अगर सरकार ईमानदारी से कहती है कि 178 करोड़ के घाटे को बगैर टैक्स के पूरा करना है तो प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करें खासकर निर्माण विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला है उसको बन्द करें।

यहाँ बिक्री-कर की बात उठाई गयी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बिक्री-कर के लिए व्यापारी हमेशा दोषी रहा है। कहा जाता है कि व्यापारी चोर है, यह सच है कि वह टैक्स चोरी करता है। आखिर उसका क्या कारण है? यह कार्य सरकार का है कि वह टैक्स ले लेकिन उसे व्यापारी के माध्यम से वसूल किया जाता है। बड़ी-बड़ी फर्म हैं जो लाखों करोड़ों रुपये का टैक्स देते ह लेकिन उसकी वसूली ईमानदारी से नहीं होती है। उसे वसूल करने की जिम्मेदारी सरकार की है व्यापारी उसे वसूल करते ह। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ईमानदार व्यापारी भी हैं लेकिन वह बिक्री-कर दफ्तर के चक्कर लगाते रह जाते हैं, ऐसा कोई व्यापारी नहीं होगा जो अपना रिटर्न ठीक करा ले। जब तक बिक्री-कर अधिकारी की जेब में पैसा नहीं जायेगा वह मानता नहीं है। और व्यापारी परेशान हो जायगा। इसलिए बिक्री-कर समाप्त करके केवल उत्पादन कर लगे।

श्री अधिष्ठाता—

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

माननीय सदस्य, जब तक वह बोल रहे है आप खड़े न हों।

श्री धरम पाल—

प्रदेश के अन्दर इतने कर हैं उनमें तालमेल बैठाना व्यापारी के लिए कठिन है। लोकल-बाडीज का अलग कर है, जिला परिषद् का अलग कर है, सेल्स टक्स और इनकम टैक्स अलग हैं। इन सब को वह नहीं सम्भाल पा रहा है और करों की चोरी हो रही है।

ऐसे ही पी0डब्लू0डी0 के माध्यम से पुल बनते हैं उसके लिए टोल टैक्स लिया जाता है, प्राइवेट बस और कार वाले दो चार रुपया पुल पर टैक्स वसूल करने वाले कर्मचारियों को देकर निकल जाते हैं और वह पैसा सरकार की जेब में नहीं जाता है। वह पैसा उन कर्मचारियों की जेब में जाता है जो वहाँ पर रात दिन ड्यूटी देते हैं। मरा सुझाव है कि ऐसे पुलों का आक्शन किया जाय ताकि सरकार को सही रकम मिल जाय और जनता को जल्दी से राहत मिल जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बजट के सम्बन्ध में जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें मुझे आपके सामने और आपके माध्यम से शासन से कुछ कहना है। जो हमारे सामने बजट है, उससे हम लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के विकास का एक चित्र खिचता है और एसा लगता है कि हमारे प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या-क्या होने वाला है और कौन सी योजनाएं ऐसी हैं, जिनसे जनता को दिक्कतें दूर होंगी। कुछ योजनाएं एसी थीं, जो पिछली सरकार ने चलाई थीं, उससे जनहित में काफी लाभ हुआ है और विशेषकर ग्रामीण जनता को लाभ मिला है। लेकिन देखने में यह चीज आती है कि शासन अपनी कुर्सियों के साथ

मापदण्ड बदलता जाता है और समय के साथ अफसरों के चश्मे बदलते जाते हैं। तो इसे देखकर बड़ी दिक्कत हो जाती है। पिछली सरकार ने दो योजनाएं बड़ी अच्छी चलाई थीं- एक खाद्यान्न योजना और दूसरी इंन्स्टीट्यूट योजना। खाद्यान्न योजना में तमाम लोगों को काम मिला और उसके अन्तर्गत राष्ट्रहित में, सार्वजनिक हित में तमाम निर्माण कार्य हुए। इससे अच्छी योजना आज तक हिन्दुस्तान में नहीं चल सकी है। इसको बनाए रखना प्रदेश की सरकार के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी योजनाँएं प्रदेश में चलती हैं, वह जिनके लिए चलती हैं उनके पास तक नहीं पहुंचती हैं, उसका लाभ न तो उन लोगों को मिलता है और न सरकार को ही उससे कोई लाभ होता है। वर्तमान सरकार ने एक पुष्टाहार योजना चलाई है। इसका क्या रूप है, इस पर अगर आप सोचें तो मालूम होगा कि इसमें इतना अधिक भ्रष्टाचार है कि यह कुछ लोगों के लिए पुष्टाहार के बजाय दुष्टाहार योजना बन कर रह गई है इसमें कुछ दुष्ट लोग मनमाना खा-पी रहे हैं। जिनके लिए यह योजना थी उनको तनिक भी फायदा नहीं हुआ है, केवल प्रशासन के कुछ अधिकारी और निहित स्वार्थी लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। मानता हूं कि इस योजना का धन इस सरकार का नहीं है. फिर भी यदि इस योजना का सारा धन केवल उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यय किया जाय, जिसके लिए इसका संचालन किया गया था, तो बहुत अच्छा होता। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके विभाग के अन्तगत एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है---ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवकों की भरती हो रही है, इसमें प्रधान स्वयं अपने आप स्वास्थ्य सेवक बनते जा रहे हैं। इसके अलावा वे ही काम्पीटेंट हैं कि वे चाहें जिसको स्वास्थ्य सेवक बना दें। मैं पूरे प्रशासन को चुनौती देना चाहता हूं, इसमें एक भी हरिजन उम्मीदवार को भी नहीं लिया गया है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)---

मान्यवर, यह योजना श्रीमन् की ही चलाई हुई है। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं वह बिल्कुल निकम्मे हैं। यदि आप लोग सदन में पारित कर दीजिए कि उनको हटा दिया जाय, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, खुशी होगी . . . .

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन---

मैं मन्त्री जी के आश्वासन से सहमत।

श्री अधिष्ठाता---

वह यह कहते हैं कि यदि सारे तैयार हों तो वह उसे मुल्तवी कर दें।

श्री मित्रसेन---

मन्त्री जी द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, भविष्य में उसमें सुधार करने की बात उनके विचार,धीन है, तो यह बड़ी अच्छी बात है। इसको समाप्त कर दीजिए, इससे किसी की रक्षा नहीं होगी। इससे सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म दिया गया है।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे प्रदेश के अन्दर एक प्रौढ़ शिक्षा की योजना चलाई जा रही है लेकिन न कहीं लालटेन जलती है, न कहीं पर टाट-पट्टी बिछती है और न कहीं पर बूढ़े लोग शिक्षा ही पा रहे हैं। मुझे बड़ा ही दुख होता है यह कहते हुए कि इस योजना में जो धनराशि खर्च की जा रही है, वह बिल्कुल ही व्यर्थ जा रही है। अभी हम अपने प्रदेश में जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके पढ़ाने की तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं तो इन बड़े-बूढ़े को पढ़ाने की बात कब से सोची गयी? आज हमारे लाखों बच्चे चिल चिलाती धूप में बैठकर शिक्षा पाते हैं, उनके लिए हम साया तक भी नहीं दे पाए हैं और प्रौढ़ शिक्षा की बात करने लगे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा शासन से अनुरोध है कि जितनी भी धनराशि इस योजना पर खर्च की जा रही है उसको हम प्राइमरी विद्यालयों के और स्कूलों के भवनों के निर्माण में यदि लगा दें तो यह सबसे सुन्दर

[श्री मित्रसेन]

योजना होगी उनसे जिनका कहीं पर उपयोग नहीं हो रहा है । बुनियादी तौर से हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे निर्माण कार्य किए जाते जो समाज, जनता और राष्ट्र के हित में होते तो ज्यादा उचित होता ।

नियोजन के सम्बन्ध में हमारे मन्त्री जी ने कहा है कि जो रूपरेखा है उससे प्रदेश में 50 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, 30 वर्षों में उसके लिए कुछ नहीं किया जा सका है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस अवधि में हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी कांग्रेस सरकार में रह ह और यहाँ के मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया ? आज देश की जो परिस्थिति है जिसकी नब्ज को पकड़ कर उन्होंने कहा है कि इस मर्ज का इलाज हम स्वत: करेंगे । लेकिन वह मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों उसका इलाज होता गया । आज भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, बेकारी अपनी चरम सीमा पर है । भूमि व्यवस्था में कोई क्रान्तिकारी सुधार ला नहीं सके हैं । बेरोजगारी और रोजी रोटी की समस्या को हम हल नहीं कर सके हैं । जहाँ तक ला एण्ड आर्डर की बात है, ला तो जज के पास चला गया और आर्डर पुलिस के कप्तान के पास चला गया । डी0एम0 न इधर का रहा और न उधर का । हमारे पुलिस कप्तान जहाँ चाहें गोली चलवायें । हमारी पुलिस आज निर्मम हत्याएं करवा रही है । जिस प्रकार का रुख इस समय यह पुलिस अपना चुकी है उनके साथ भी जब वे विरोध पक्ष में आकर बैठेंगे यही कर सकती है । आज शान्ति व्यवस्था रखना इस सरकार के बस के बाहर की बात है । तो आज जो सदन में बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें हमारे कुछ ऐसे सुझाव हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी, हमारी सरकार, स्वीकार कर ले जिससे देश और प्रदेश के लिए कुछ उपलब्धियाँ हो सकें और जनता को कुछ रचनात्मक चीजें मिल सकें । हमारे प्रदेश की जनता आज हर तरह से पीड़ित है और बाढ़ और सूखे से जिस प्रकार प्रभावित है वह पहले कभी नहीं रही । आपने इन 30 वर्षों में बाढ़ और सूखे से राहत कार्यों के लिए अरबों रुपया खर्च किया लेकिन कहीं कोई रचनात्मक रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ी । आज अगर गोमती नदी पर बाँध न बनाया गया होता तो सारा लखनऊ शहर डूब गया होता । यही काम और जगह भी करना चाहिए था.....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिए, कृपया बैठें ।

श्री मित्रसेन--

इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री ए0 सी0 ग्राइस--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । मुझे अफसोस यह है कि जब जब बाढ़ आती है तो लोग उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, मगर जब बाढ़ खत्म हो जाती है तब लोग उसे भूल जाते हैं । पहले बाढ़ आने पर नावें चलायी जाती थीं, अगर वैसा हो तो उससे काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है ।

दूसरी बात मुझे शिक्षा के बारे में कहना है । हायर एजूकेशन के लिए हिन्दुस्तान भर में थ्री इयर डिग्री कोर्स के लिए सोचा जा रहा है । मेरा सुझाव है कि आप आटोनामस कालेज खोलें और थ्री इयर्स आनर्स कोर्स की व्यवस्था करें ।

स्लोगन फ्री कम्पलसरी एजूकेशन का दिया जाता है, यह आप नहीं कर पाओगे । उत्तर प्रदेश का सारा बजट भी अगर शिक्षा में आप खर्च कर दें तब भी यह सम्भव नहीं होगा । आप गांवों में फ्री कम्पलसरी एजूकेशन कर दें और शहरों में फीस हर स्टूडेंट पर 5-6 रुपए बढ़ा दें । उस रुपए से देहातों में आपकी शिक्षा फ्री हो सकेगी । देहातों

में इकोनामी में बहुत फर्क है। आज शहरों में फ्री एजूकेशन खत्म कर दो, फीस चार्ज कर लो। मैं स्कूल बोर्ड में जब घूमा हूं, तो वहां पर देखा है कि देहातों में पेड़ की छाया भी कहीं-कहीं पर नहीं है। हाई स्कूल में साइन्स के लिए कुल्हड़ में मिक्सिंग करते हैं। यह कैसे हो सकता है? वहा से लड़के शहर में आ जाते हैं, वह कहते हैं बी0एस-सी करेंगे। एजुकेशन शुड बी ओरियन्टेड टु दि विलेज इम्प्लायमेन्ट देहात मे वह क्या करेंगे यूजफुल एण्ड प्रोडक्टिव वर्क वह कसे करेंगे? उनके पास गया है। एनीमल हस्बेंडरी अगर स्कूलों में सिखा दिया जाय, तो वह फार दि इम्प्रूवमेंट आफ दि एग्रीकल्चर आफ दि विलेजेज हो सकती है तो यह सब हो सकता है जब आप सोचें। परन्तु जब सोचने की गुन्जाइश नहीं रहती है तो कुछ हो नहीं सकता है।

ला एण्ड आर्डर पर मुझे शिकायत है। मैंने अपना एक बंगला कानपुर में बेंचा। मुझे स्टाम्प खरीदना पड़ा। हमने डी0एम0 से कहा कि मुझे स्टैम्प दे दिया जाय। तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे को आ जाइए। मैं खुद ट्रेजरी आफिसर के पास चला गया तो उन्होंने कहा कि आप जाइएगा तो आपको स्टैम्प मिलेगा ही नहीं। आप मुझे एक रुपया फी सैकड़ा के दे दीजिए तो मैं ला दूंगा। तो श्रीमन्, यह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे और नीच से ऊपर है। सरकार को इसमें सख्त होना चाहिए तब जा कर यह टूट सकता है, वरना नहीं। एक लड़के का पिथौरागढ़ में झगड़ा हुआ, उस झगड़े से उसको ट्रान्सफर कर दिया और उसको उस जगह ट्रान्सफर कर दिया जहां पर हमारा एक क्रिश्चियन लड़का था जिसको दो साल ही हुआ था, उस जगह पर ट्रान्सफर कर दिया मैंने आज मुख्य मन्त्री जी से कहा भी था कि इसको देख लो। जब किसी को पकड़ा जाय तो ट्रान्सफर करने से कोई नतीजा नहीं निकलता। उसे हटा देना चाहिए या सस्पेंड कर देना चाहिए।

(समय अपराह्न 3.30 से)

श्री विद्या सागर नौटियाल––

अधिष्ठाता महोदय, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे आज मौका दिया, जिससे मैं अपने कुछ विचार रख सकूं। मान्यवर, सरकार की गलत नीतियों के कारण पहाड़ों के अन्दर पिछले कुछ वर्षों से लगातार भू-स्खलन हो रहे हैं जिससे हमारी अर्थ व्यवस्था बहुत बुरी तरह से डगमगा गयी है। मान्यवर, टिहरी तथा उत्तरकाशी जिले में इस साल इतने भू-स्खलन हो रहे हैं जिनके बारे में इस माननीय सदन को पहले भी बताया जा चुका है। अगर, मान्यवर, वन विभाग द्वारा तुच्छ स्वार्थों के लिए वन की कटाई न हुई होती तो आज जो हमें देखने को मिल रहा है,जगह-जगह भू-स्खलन न होते, न इतनी लोगों की जानें गयी होतीं। मान्यवर, आज से 9 साल पहले उत्तरकाशी के ज्ञानसु गांव के बहुत से वृक्षों को वन विभाग द्वारा केवल 5 लाख रुपए के मुनाफे के लिए कटवा दिया गया जिसका नतीजा आज यह निकला कि दर्दनाक तरीके से वहां के आदमियों की मेरे अनुसार 47 तथा सरकार के अनुसार 24 मौतें हुईं। इसके अतिरिक्त आज सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना पुनः न हो और इसके अलावा वहां पर जगह-जगह पर दरारें पड़ गयी हैं, जिसमें 4–5 मोटे-मोटे आफिसर घुसेड़े जा सकते हैं और वन विभाग के आदमी कहते हैं कि वहां कोई दरारें नहीं पड़ी हैं। मैं जब वहां देखने गया तो उस समय मेरे साथ श्री बलदेव सिंह आर्य, कुंवर सिंह नेगी तथा डाक्टर शिवानन्द नौटियाल थे। हमने वहां देखा कि वहां न केवल दरार थी बल्कि दरारें देखीं। वहां से लौटकर मैं रंगड़ गांव सकलाना पट्टी जो टिहरी गढ़वाल में है, गया। वहां चूने का पहाड़ है, जिसकी लगभग 16 कि0मी0 लम्बी खुदाई ब्लास्टिंग के द्वारा की गयी चन्द चांदी के टुकड़ों के लिए। जिसकी वजह से पूरा रंगड़ गांव ही धंस गया और ऐसा दर्दनाक उत्पात मचा कि वहां की स्थिति को देखकर मेरे आंसू आ गये। इसलिए मेरा यहां के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वहां चल कर वहां की हालत को देखें और मैं समझता हूं कि जिस भी व्यक्ति को अपने देश और प्रदेश के प्रति थोड़ा भी प्यार है तो वहां की हालत को देखकर उसे अवश्य रोना आ जाएगा। रंगड़ गांव, में हुए लगातार 16 कि0मी0 लम्ब

[श्री विद्यासागर नौटियाल]

ब्लास्टिंग से जो धमाके हुए हैं, उससे 4 आदमी मरे। श्रीमन्, भविष्य में इसको रोके जाने की आवश्यकता है। श्रीमन्, जनता के तमाम विरोधों के बावजूद टिहरी बांध का निर्माण जारी है। टिहरी बांध के वहां पर निर्माण के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया और भारत के वैज्ञानिकों ने भी इसका विरोध किया परन्तु सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स ने कुछ मुनाफे के लिए, बिजली की भूख को मिटाने के बहाने टेहरी बांध का निर्माण शुरू किया और निर्माण किया जा रहा है। टैहरी बांध की बाई व्यावर्तन सुरंग बुरी तरह क्षति ग्रस्त हो गयी है जोकि वैज्ञानिकों का कहना था कि वहां की जमीन ठीक नहीं है, वहां पर्याप्त रूप से ड्रिल कराकर भी नहीं देखा गया। मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि जो शायद माननीय सदन को पता नहीं है कि वहां एक ही रात के अन्दर 19 तारीख को टेहरी बांध जो टूटा है, उससे सरकार का लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ माननीय सदस्यों के लिए तो यह एक मजाक हो सकता है। इस टेहरी बांध का कितना भाग टूट चुका है, इसके बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस सदन को नहीं बताया है और इसके आगे क्या होगा इसके बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता हूं। टेहरी बांध की बाई व्यावर्तन सुरंग क्षेत्र में एक भी ड्रिल होल खोदे बगैर काम शुरू कर दिया गया। मैं इस सदन की सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर वहां पर एक भी ड्रिल होल बता दिया जाय। जब मैं टेहरी के मुख्य अभियन्ता से मिला और पूछा कि बिना ड्रिल होल किए, जमीन की जांच किये काम कैसे शुरू कर दिया गया तो मुख्य अभियन्ता ने कहा कि जियोलोजिस्ट की रिपोर्ट ऐसी थी। जियोलोजिस्ट की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार पहाड़ कमजोर है। जो पहाड़ टूट रहा है, धंस रहा है वह पौन किलोमीटर टूट चुका है।

इसमें हमारे देश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई पूरी की पूरी ध्वस्त हो रही है। इसके बारे में जियोलोजिस्ट ने कहा था कि अण्डर ग्राउन्ड फाल्ट है। जमीन जगह-जगह कमजोर है। इसके नीचे फाल्ट है। जमीन में बिना रोक मिले शार्टकीड नहीं किया जाता। शार्टकीड में जमीन को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट और मसाले का स्प्रे कर दिया जाता है। जिससे जमीन न टूटे और मजदूर नीचे काम कर सकें। श्रीमन्, पहाड़ पर 50 सड़कें बनाई जाती हैं जो जनता की मांग पर होती हैं परन्तु कुछ सड़कें अफसरों के लिए होती हैं। सुरकंडा के मन्दिर के लिए सड़क बनाई जा रही है। चन्द्रदनी के मन्दिर के लिए भी बनाई जाने वाली है। कुजापूर के लिए एक सड़क बनाई जा रही है जिसके कारण हरिजनों का बडेड़ा गांव दब गया। मैंने पहले कहा था 10 जुलाई को बाढ़ नियन्त्रण समिति की बैठक में जिसकी अध्यक्षता जिलाधीश, टेहरी कर रहे थे कि बडेड़ा में खतरा होने वाला है। श्रीमन्, 2 किलोमीटर की दूरी को पार करने के लिए 9 किलोमीटर लम्बी सड़क बनी। कुजापुरी मन्दिर में सभी लोग चले जाते थे किन्तु कुछ हाकिम हैं जिन्होंने अपने मुनाफे के लिए 9 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाई। मैंने इसका विरोध किया, मेरी पार्टी ने विरोध किया और जिला परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष ने विरोध किया वे इस माननीय सदन के इस समय सदस्य हैं। वहां की स्थानीय जनता ने विरोध किया लेकिन वह सड़क बनाई जा रही है और जिन सड़कों की मांग जनता करती आ रही है वे सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। जहां 40 किलोमीटर जनता को पैदल चलना पड़ता है और इस कुजापुरी सड़क की वजह से बडेड़ा गांव दब गया। मुझे तो आंसू आते हैं। मैं वहां पर श्रीमन् गया था। पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियर, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां नहीं गए। मैंने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से बात की। सिवाय अवर अभियन्ता के वहां कोई नहीं भेजा गया।

श्रीमन्, नौकरशाही राज्य कर रही है हमारे कांग्रेस के भाइयों को गलफहमी है कि हमारा राज्य है, राज्य नौकरशाही चला रही है। उत्तरकाशी जिले के बजरी गांव में एक हरिजन महिला के साथ पुलिस के दो सिपाहियों ने बलात्कार करने का प्रयास किया, उनके

खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस के आतंक के मारे गांव के लोग भागे हुये हैं जनता की लगातार मांग के बावजूद वहां के प्रभारी पुलिस अधिकारी, डी0एस0पी0 का स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है। और जो जनता की मांग उठाता है उसे पुलिस बल से दबा देते हैं। तिलेरथ की जनता पर हुए जुल्मों का विरोध करने के फलस्वरूप उत्तरकाशी नगर पालिका के भूतपूर्व चेयरमैन कामरेड कमला राय नौटियाल के खिलाफ गुण्डा ऐक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। उत्तरकाशी में पुलिस का आतंक है। पुलिस को कण्ट्रोल करने की कोशिश कर। धन्यवाद।

*श्री प्रभु नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। वैसे सचमुच में यह वर्ष 1980-81 का जो बजट माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए बनाया गया बजट है। हर दृष्टिकोण से इस प्रदेश के विकास की योजनाएं बनाई गयी हैं। अगर देखा जाय तो इससे अच्छा कोई बजट नहीं बन सकता था और न कभी देखा गया जिसमें किसी प्रकार का कर भार इस प्रदेश की जनता पर नहीं लादा गया। इसके बावजूद अधिक से अधिक जनता को राहत देने की कोशिश की गयी है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इससे कोई भी साथी असन्तुष्ट नहीं होंगे।

मैं जौनपुर जिले से आया हूं। इसमें जौनपुर के लिए मात्र 2 परियोजनायें हैं। एक सड़क भड़ियाहूं से जाती है और दुसरी बाबतपुर से बसही रोड। जबकि अपेक्षा थी कि जौनपुर जिले का भीषण बाढ़ से जिसमें पूरा जिला तबाह है, सई और गोमती नदी से पूरा नगर डूबा हुआ है, कुछ अधिक होगा। जलालपुर स्थान जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है, आवागमन अवरुद्ध हो गया है। बरगुदर स्थान है जहाँ सई का पानी पुल से काफी ऊपर बह रहा है। इसलिए इलाहाबाद जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इसमें संशोधन किया जायगा और इन दो स्थानों पर नया और काफी ऊंचा पुल बनाने की कोशिश की जायगी। वहाँ वाटर लागिंग हो जाता है। यह बरसात का समय ह बड़ा ही उत्तम ह। इन दिनों में एक दल भेज दिया जाय जो इसकी जाँच करे। वहाँ त्रिलोचन महादेव का स्थान है वहाँ ड्रेनेज का दृश्य है। वहाँ पर ड्रेनेज बनाया जाय इस से पानी का निकासी हो सकेगी तथा सिंचाई भी हो सकेगी और बाढ़ के समय में भी पानी काम दे सकता है।

जौनपुर जिला मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। वहाँ पर एक जाति परिगणित में आती है मुसहर। यह पत्तल बनाते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इतने दिन देश को आजाद हुए हो गए वह मुसहर जाति के लोग किसी भले अदमी के यहाँ जब भोज होता ह तो पत्तल देते हैं तो लोग जो झूठन छोड़ देते हैं पत्तलों पर जो झूठा खाना बचता है उसके लिए एक तरफ कुत्ते दौड़ते हैं, दसरी तरफ मुसहर जाति के लोग दौड़ते हैं उस पत्तल को उठाने के लिए और पेट भरने के लिए। कोई भी जाकर देख सकता है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में यह दृश्य। इतना पिछड़ा हुआ इलाका है पूर्वी उत्तर प्रदेश। एक और उदाहरण दें दूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का। पशुओं के गोबर में दाने का अंश चला जाता है। जब रबी की फसल कटती है, भड़ाई होती ह तो उस गोबर में गये बीज को सुखाकर खाने वाले भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इतना गरीब इलाका है अगर उसके विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई गयी तो यह निश्चित है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला जायगा। वहाँ के लाखों गरीब पिछड़ते चले जायेंगे। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले अगर और जगह 60 प्रतिशत हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ी प्रभुनारायण सिंह]

श्रीमन्, थोड़ा सा शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। आज हमारे साथी जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, वह भी समय आया था जब निगेटिव पोलिंग से सन् 1977 में इस प्रदेश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया था, शासन इनके हाथ में आया था। नई दिल्ली में महात्मा गाँधी की समाधि पर खड़े होकर इन्होंने जनतन्त्र की बड़ी दुहाई दी थी। वह सारा वक्त याद है। इन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी रीविलीव्ड, डेमोक्रेसी-री-गेन्ड, जनतन्त्र की पुनःस्थापना हो गयी है। उस समय गरीब और अमीर के लिए एक तरह की शिक्षा व्यवस्था की बात की गयी थी। मन्त्री हो या हो दरबान शिक्षा होगी एक समान। पूरे देश में हर नागरिक को एक तरह की शिक्षा पाने का अधिकार है चाहें वह अमीर हो या गरीब। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की माँग को लेकर प्रदेश के एक लाख माध्यमिक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया उन शिक्षकों को जेलों में बन्द कर दिया गया। आजमगढ़ और गोरखपुर में जिस तरह से आन्दोलनकारियों के साथ व्यवहार किया गया, लाठी और डण्डों से पीटा गया, शिक्षकों का लहू जमीन पर वहाँ कुत्तों से चटवाया गया वह बेमिशाल है, कई-कई दिनों तक उन्हें जन-प्रतिनिधियों से नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद भी सरकार को सन्तोष नहीं हुआ यह कानून पास हुआ कि फलाँ तारीख तक जो हड़ताल नहीं समाप्त करेगा उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। यह जनतन्त्र के रक्षक बनते है। इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था भी की। इतना ही नहीं एक काला कानून पारित किया जिसके तहत प्रदेश के 40 हजार शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं। मूर्ख कैसे कहूं असंसदीय भाषा होगी। वैकल्पिक व्यवस्था के अध्यापकों को भी वेतन दिया गया। नो वर्क नो पे, जिन अध्यापकों को निकाला गया उन्हें भी वेतन दिया गया। इतना रुपया बर्बाद किया गया। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बदल नहीं पा रहे हैं आज भी मेरी यह स्पष्ट राय है।

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। चूंकि मैं एक शिक्षक हूं इसलिए शिक्षा की बात कर रहा था। शिक्षा के सम्बन्ध में, मान्यवर, स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज गरीब के लिए गरीब विद्यालय और अमीर के लिए अमीर विद्यालय इस देश के लिए कलंक बने हुए हैं। आज गरीब का बच्चा नगरपालिका के टाट-पट्टी वाले स्कूलों में, साधन विहीन स्कूलों में पढ़ने जाता है और जिनके पास जितना अधिक पैसा है, उनका लड़का उतने अच्छे स्कूलों में जाता है। इसका नतीजा होता है कि आई0 ए0एस0 का बच्चा आई0ए0एस0 बनता है। जो ब्लैक मनी पैदा करता है, उनका लड़का पब्लिक स्कूलों में जायेगा। वे 200 रुपए से लेकर 1100 रुपए महीने खर्च करेंगे। लेकिन जो गरीब का बच्चा है वह बिना साधन वाले, टाट-पट्टी वाले स्कूलों में जायेगा। क्या इसी आजाद हिन्दुस्तान की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। अगर हैवी इंडस्ट्री और कल-कारखाने लगाने हैं, इनके बारे में प्रशिक्षण होना चाहिए। लेकिन इन फैक्ट्रीज और कल कारखानों के लिए टेक्नीशियन्स पैदा करने की जिम्मेदारी इन विद्यालयों की है, तो अगर इन विद्यालयों को सर्वोच्च बजट नहीं देंगे तो निश्चय है कि देश और प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस देश में एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहें गरीब हो या अमीर हो। जब तक इस तरह का प्राविधान इस बजट में नहीं कर दिया जाता ह, तब तक इस देश में सही आजादी नहीं आ सकती है।

*श्री ध्रुप राय---

मान्यवर, यह वार्षिक बजट है। जो इस तरह का बजट होता है, उसके द्वारा हम प्रान्त के आर्थिक स्वरूप को देख सकते हैं। ऐसा समझिए की उसकी एक झांकी देख सकते हैं। यह देश या प्रदेश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक उन्नति के लिए परमावश्यक है। आजादी के 33 साल गुजर चुके हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

माननीय, ये पढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना बयान कृपया जारी रखें।

श्री रियासत हुसैन—

लेकिन, श्रीमन, ये अपने बयान को यहाँ पढ़ नहीं सकते।

श्री धु्प राय—

मान्यवर, मैं नोट कर के लाया हूं।

श्री अधिष्ठाता—

तो आप उसे अपनी सीट पर रख लें और जहाँ जरूरत पड़े प्वाइन्ट देख लें।

श्री धु्प राय—

मान्यवर, पांच पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं और बड़े-बड़े कल कारखाने लगाये गये और ऐसा हुआ कि हमारा देश विश्व के 7वें इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में आ गया। हेवी इन्डस्ट्रीज लगायी गयीं। स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल प्लान्ट, बड़े-बड़े फर्टिलाइजर्स के कारखाने और बड़े-बड़े डैम और सिचाई के साधन—वे सभी उपलब्ध कराये गये। इन बड़े उद्योगों का गौरव हमारे प्रथम प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू को है। वह हमारे देश के ही महान नेता नहीं थे, बल्कि विश्व के भी महान नेता थे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने संजय की जगह पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद किया।

श्री धु्प राय—

लेकिन इन हेवी इंडस्ट्रीज को बढ़ा देने की बात को आपके नेता बहुत बुरी तरह से देखते हैं और यहाँ तक कह चुके है कि केवल इसी से देश को आर्थिक प्रगति रुकी हुई है। शायद आपका ष्टिकोण आगे नहीं देख सकता है। उसमें यही कमी है। मान्यवर, मेरा कहना है कि हेवी इन्डस्ट्रीज के बिना कोई भी देश कोई भी प्रान्त, आगे नहीं बढ़ सकता है। यह बेस है। इसी से जनता की आर्थिक उन्नति होती है। परन्तु इसके बावजूद आप देखेंगे कि हमारी इतनी बड़ी इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस के बाद भी हमारा देश गरीब रह गया। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कुछ आँकड़े हैं मैं उनको पढ़कर सुना देता हूं। मान्यवर, आप देखेंगे कि अमेरिका की परकैपिटा इनकम 8520 डालर है। यह रुपयों में 68160 रुपए आती है। वेस्ट जर्मनी की 8160 डालर है जो पयों में 65280 रुपए आती है। जापान की पर कैपिटा इनकम 5670 डालर है जो पयों में 43360 रुपए आती है। ईस्ट जरमनी की 4680 डालर है जो पयों में 3724 रुपए आती है। इंगलैन्ड की 4420 डालर है जो पयों में 35360 रुपए आती है। रूस (यू0एस0एस0आर0) की 3020 डालर है जो रुपयों में 24160 रुपए आती है। चीन की 390 डालर है जो रुपयों में 3220 आती है। हिन्दुस्तान की पर कैपिटा इनकम 150 डालर है जो पयों में 1200 रुपए आती है। मान्यवर, यह आँकड़े हमको बताते हैं कि हम गरीब हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे है। गाँवों में पर कैपिटा इन्कम 15 रुपए प्रति व्यक्ति पर महीने शहरों में 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीने है। परन्तु हमारे प्रान्त में आमदनी इससे भी कम आती हैं। 100 रुपए प्रति माह कमाने वाला आदमी भी आज के भाव में अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है। हम गरीब हैं, इसका कारण क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि घूस ली जा रही है, बहुत से लोग कहते हैं इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यह बात नहीं है।

आप जरा देश और विदेश की तरफ देखें। आप जापान की तरफ देखें वहाँ पर औद्योगिक उन्नति तेजी से हुयी है। वहाँ शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है और डिसिप्लिन है। आर्थिक उन्नति वह गति है जिसके द्वारा एक गरीब देश एक-एक सीढ़ी द्वारा

[श्री ध्रुप राय]

समृद्धिशाली देश में उभर जाता है। जिसमें एक निर्माण के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और फिर अनेक निर्माण होते चले जाते हैं। जापान जैसा देश जो युद्ध में मिट चुका था और जर्मनी जैसा देश जो युद्ध में खत्म हो चुका था आज उन्नति के शिखर पर है। वहाँ पर आर्थिक उन्नति बड़ी तेजी से हुयी है और वह देश प्रगति कर गये हैं। वहाँ पर शिक्षा 80 प्रतिशत के ऊपर है इसलिये वह देश तेजी से आगे बढ़ पाये हैं। हमारे यहाँ शिक्षा केवल 30 प्रतिशत है और डिसिपलन भी नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापक विस्तार पर जोर दिया है। अनौपचारिक शिक्षा के लिये 100 केन्द्र खोले जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य भाषण पढ़ें नहीं। नोट्स देखकर भाषण दें।

श्री ध्रुप राय—

मैंने नोट किया है उससे बोल रहा हूं। हमारी शिक्षा जाब ओरियेंटेड होनी चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने कोई नया कर नहीं लगाया है। क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और आर्थिक प्रगति में कमी होती है। नया कर न लगाने से इन्फ्लेशन रुकेगा और हमारी आर्थिक प्रगति आगे बढ़ती चली जायगी। इसके बाद सरकार ने कानून और व्यवस्था के बारे में भी कहा है। इसमें हमारी कानून व्यवस्था ठीक है और आगे बढ़ रही है। परन्तु आप जानते हैं कि पुलिस के खिलाफ अनेक अभियोग हमारे अपोजीशन वाले ला रहे हैं। इसमें आप ध्यान दें तो देखेंगे कि बहुत से अभियोग ऐसे हैं जो ठीक नहीं हैं। पुलिस ने उन्हीं लोगों को मारा है जो ला एन्ड आर्डर को खराब करते थे, डकैती डालते थे। लोकदल के समय में यह काफी आगे बढ़ गया था इसलिये मुख्य मंत्री जी ने पुलिस डिसिपलिन के बारे में कहा है कि पुलिस को एक नई शिक्षा दी जायेगी कि जिससे पुलिस ट्रेन्ड हो सके। इसमें मेरा निवेदन है कि इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड की तरह पुलिस को ट्रेन्ड किया जाय।

मान्यवर, खेती में आप देखेंगे और कानून और व्यवस्था में, आर्थिक स्थिति में देखेंगे कि पिछली सरकार के समय में यह सब चीजें नीचे गिरती चली गयीं क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आपसी झगड़े में लगा रखा था जिसके कारण प्रान्त की हालत खराब होती गयी और 1979–80 के एकाउन्ट में 145.84 करोड़ रुपये का शेष दिखाया गया परन्तु वास्तविक शेष केवल 131.15 करोड़ ही रहा जो 14.69 करोड़ से कम रहा। पिछली सरकार की अवधि में चारों तरफ गिरावट आयी खेती में 10 प्रतिशत गिरावट और पूरे प्रोडक्शन में 30 प्रतिशत की गिरावट आयी जिसका नतीजा प्रान्त के आमदनी पर पड़ा जो 15 प्रतिशत से नीचे हो गयी। इस संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि इस सरकार का यह धर्म है कि वह खोई हुई स्थिति के ऊपर उठती हुई प्रगति करती हुई आगे बढ़े। यह बजट खेती के पैदावार में 10 प्रतिशत खोई हुई स्थिति को पार करता हुआ 14 प्रतिशत उन्नति के तरफ अग्रसर है। जिससे पूरे खेती का उपज 232 मेट्रिक टन होगा जिससे स्थिति में सुधार होगा और मंहगाई में रूकावट आयेगी।

मान्यवर, खेती के उपज को बढ़ाने के लिये बिक्री के साधन होने चाहिये और इसके लिये हमारे गाँवों की सड़के ऐसी होनी चाहिये जो बिक्री के स्थानों को एक दूसरे से जोड़ती हों। हमारे क्षेत्र में 360 गाँव है जिसमें 300 गाँव ऐसे हैं जहाँ ठीक से सड़कें नहीं है जिससे उपज की बिक्री में रुकावट होती है। इसलिये बिक्री के साधन होना बहुत आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। अब श्री दयाल कृष्ण बोलेंगे

*श्री दयाल कृष्ण—

अधिष्ठाता जी, नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में सबसे अधिक बल कानून और व्यवस्था के ऊपर दिया है और उन्होंने अनेक दृष्टान्त भी कुछ पुलिस जनों के सदन के सामने प्रस्तुत किये थे। मैं यह उन्ही से पूछना चाहता हूं कि आज जो वह कानून और व्यवस्था की बात कर रहे है, सड़कों पर अव्यवस्था खुद फैला रहे हैं और फैलवा रहे हैं। इस संदर्भ में एक मुद्दे को लेकर आपने प्रदेश भर में एक आन्दोलन छेड़ दिया जबकि आज देश बाढ़ से ग्रस्त है। लाखों लोगों के मकान टूट गये हैं। तमाम सरकारी तंत्र बाढ़ राहत में लगा हुआ है और आप एक आन्दोलन को छेड़े चले जा रहे हैं। आपको क्या हक है? आप किसी मान्यता में विश्वास नहीं रखते। आप जरा विचार करें कि आपने इस देश के अन्दर ऐसी कानून व्यवस्था बनायी जिसके अन्दर हर नागरिक को अपील के अधिकार से वंचित किया गया।

(इस समय 4 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह हमेशा से मान्यता रही है कि जब किसी बात को लेकर कोई न्यायिक जाँच का आदेश होता है तो न्यायाधीश की फाइनडिंग्स का इन्तजार करते हैं और आप इस व्यवस्था को भी मानने के लिए तैयार नहीं है? आप स्वयं इस निर्णय को अपने हाथ में लेकर सड़कों पर कहना चाहते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि आपने एक सुनियोजित कुचक्र चलाया है जिससे सरकार बाध्य होकर कुछ और कदम उठाये जिसके अन्तर्गत कुछ सख्ती की जाय। इसकी जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था जो पिछले डेढ़ महीने के अन्दर जितनी ठीक की जा सकती है वह की जा रही है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में जो भाषण दिया है, जो तथ्य रखे हैं, वे पर्याप्त हैं। यह जरूर है कि थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है जो कि समय के अनुकूल आ जायेगा। इसके साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पुलिस के मनोबल को गिरा दिया जाय जिसकी एक मिसाल हमें पूर्व में मिली है सुन्दर काण्ड के अन्दर जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, उनको अपमानित किया गया, जिससे प्रदेश में, हिन्दुस्तान में पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिरा दिया गया। इस तरह की गलतियाँ पुनः न दोहरायी जायं इस बात का पूरा ध्यान रखा जायगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था में यह जरूर है कि कुछ सुधार आना चाहिये, पुलिस में सुधार की आवश्यकता है, सतर्कता में इसकी जरूरत है लेकिन अगर डकैत मारे न जायं, चोर पकड़े न जायं और तमाम जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर सख्ती न की जाय और उनके लिए हम जन आन्दोलन शुरू कर दें तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक हो पायेगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जहां तक एक महिला का मामला आपने उठाया कि अलीगढ़ में गिरफ्तार हुई और उसे जेल नहीं भेजा गया, मैं आपको स्वयं अपना अनुभव बताता हूं। आपके शासन में आपने हम को जेल भरो आन्दोलन में 9 बजे दिन में गिरफ्तार किया और 2 बजे रात तक किसी जेल नहीं में भेजा। इधर उधर फिराया करते थे, कभी बस में कहीं भेजते थे, कभी कहीं भेजते थे, 2 बजे तक किसी जेल में नहीं ले जा पाये थे। यह आपने जो तथ्य रखे हैं यह अखबार में पढ़ कर रखे हैं जहाँ तक बागपत की बात है उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उसके बारे में काफी हो चुका है। लेकिन जो लोग उस समय मौजूद वहाँ थे वे सुनी हुई बातों को बार-बार दोहरा कर उन्हें सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उसके तथ्य तभी सामने आयेंगे जब एक शाँतिपूर्ण वातावरण हो। उसकी न्यायिक जाँच हो रही है और जाँच आयोग के सामने तथ्य सही रूप में संकलित कर प्रस्तुत किये जायं। उसके बाद जो भी उस का निर्णय होगा वह हम सभी को स्वीकार करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

[श्री दयाल कृष्ण]
चाहिए। उस सम्बन्ध में बार बार चर्चा करना उचित नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल द्वारा इस पर चर्चा करना केवल गुमराह करना मात्र हो सकता है। कानून व्यवस्था पर इससे कोई प्रकाश नहीं पड़ता है।

दूसरा मुद्दा जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है शिक्षा पद्धति। उसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है। तीस वर्ष के अन्दर विभिन्न सरकार रही है और उन्होंने शिक्षा पद्धति में बहुत से प्रयोग किये लेकिन अब तक सही दिशा हमको नहीं मिल पाई। उसको ढूंढ़ना नितान्त आवश्यक है। शिक्षा के अन्दर बड़ी असमानता है हर स्तर पर। जो प्राइमरी स्कूलों के बच्चे हैं उनके ऊपर क्या व्यय होता है और जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं उन पर क्या व्यय आता है। इन दो तरह की पढ़ाई से समाज में बड़ी असमानता पैदा हो रही है। अगर हम समाजवादी समाज का गठन करना चाहते हैं तो हम को शिक्षा पद्धति में देश व्यापी परिवर्तन करना होगा ताकि विभिन्न प्रकार के लोगों के अन्दर अलग अलग विचारधारायें न उत्पन्न हों। पब्लिक स्कूलों के अन्दर जो बालक पढ़ते हैं उनको एक विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है। या तो हम उस प्रकार की सुविधा प्रत्येक बालक को दें, अगर नहीं दे सकते तो फिर एक असमानता का वातावरण बढ़ता जा रहा है। दूसरे शिक्षा जो हो वह जाब ओरियेन्टेड हो। हाई स्कूल के बाद एम0ए0 करने के लिये एक छात्र को 5, 6 वर्ष लगाने होते है फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल पाता है और ये डिग्रियां उनके पास बेकार हो जाती है। डिग्री के महत्व को हमें संतुलन करना होगा। मेरा विचार है कि उत्तर प्रदेश की सेवाओं में शैक्षिक योग्यता जो डिग्री रखी गयी है उसे हटा कर हाई स्कूल अथवा इंटरमीडियेट रख दिया जाय। इससे डिग्री की होड़ समाप्त हो जायेगी। यह डिग्री उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाय जो इसके लायक हों। लिहाजा इस शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि इस शिक्षा पद्धति को किसी समय में मैकाले ने चालू की थी और मूलतःवही आज तक चल रही है जिससे देश व प्रदेश का कोई कल्याण नहीं हो सकता।

श्री अमर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जनपद सहारनपुर को लोग बहुत समृद्ध मानते हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा भाग पिछड़ा हुआ भी है। पूर्वी और पश्चिमी भाग गंगा और जमुना की लपेट में हर साल आ जाता है जिससे बहुत सारे किसान और मजदूर बेघरबार हो जाते हैं। उत्तरी भाग जो गंगा से लेकर जमुना तक शिवालिक पर्वतश्रृखंला के साथ-साथ फैला है उसमें 20 मील की एक ऐसी चौड़ी पट्टी है जो न पहाड़ है, न पठार, वह घाड़ नाम से मशहूर है। वहां की जमीन रेतीली, पथरीली तथा ऊबड़ खाबड़ है। नदी व नालों से भरा हुआ है वह क्षेत्र। उसमें समस्याएं ही समस्याएं है। यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़े क्षेत्र में बुन्देलखंड और पर्वतीय क्षेत्र जहां पाये गये हैं वहां सहारनपुर के पिछड़े क्षेत्र का हवाला नहीं दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सहारनपुर का यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहां पर हर साल बरसात में बहुत सारे गांव और वहां की कृषियोग्य भूमि नदियों के पानी से कट कर बह जाती है। वहां पर आवागमन के साधन नहीं है। बीस-बीस किलोमीटर से बीमारों को लेकर लोग सड़कों तक जाते हैं। ऐसी हालत में सड़कों के ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जहां तक पीने के पानी की बात है वहां पर 90 सिंचाई के ट्यूबवेल सन् 1972 में स्वीकृत हो चुके थे लेकिन एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा है। जबकि यह प्राविधान है कि एक ट्यूबवेल 6 महीने में लग जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र की ओर ट्यूववेल के विषय पर विशेष ध्यान दें और उसका प्राविधान बजट में किया जाय।

जहां तक सिंचाई की बात है, इस क्षेत्र का हर हिस्सा असिंचित है। इस साल सूखे से पीड़ित किसानों और मजदूरों में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। सिंचाई के साधनों के अभाव में वहां लोग बहुत परेशान हो गये। इसलिये बजट में इस क्षेत्र के लिये समुचित व्यवस्था की जाय। यहां की जमीन रेतीली है, जिससे दीवारें खड़ी नहीं रह सकती हैं। लोग छप्पर बनाकर ऊपर चढ़ाते हैं और अपनी गुजरबसर करते हैं। हर वर्ष गर्मियों में छप्पर जलकर खाक हो जाते है। इसलिये सरकार टीन खरीदने हेतु ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने की व्यवस्था करे। सरकार बड़े-बड़े शहरों में आग बुझाने के लिये फायर ब्रिगेड का प्रबन्ध करती है। इसलिये वहां पर भी पुलिस स्टेशनों पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जरूर करे।

जहां तक सहकारिता की बात है, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां लोग बहुत गरीब हैं और वे सहकारी ऋण से दबे हुये हैं इसलिये मेरा अनुरोध है उस कर्ज पर जो सूद है उसको आप हटा दें। इसके अलावा जहां तक जरूरी उपभोग की जो चीज है जैसे चीनी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं यह बताना चाहता हूं कि लेवी की चीनी जो आप सरकारी दुकानों से वितरित कराते है वह नहीं मिलती है और 35 प्रतिशत खुली बिक्री की चीनी आम दुकानों में जगह-जगह नजर आती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस चीनी के उचित वितरण की व्यवस्था करें।यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मेरी मांग है कि आप चीनी को डी कंट्रोल कर दें।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा की बात है आप निरक्षर को साक्षर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन में निवेदन करूंगा कि जो मौजूदा तालीम आप दे रहे हैं उन बच्चों की ओर आपने क्या कभी ध्यान दिया है कि वे किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से बैठते हैं, उनके लिये टाट-पट्टी की व्यवस्था है अथवा नहीं है। मेरी माँग है कि इन प्रारम्भिक पाठशालाओं के लिये आप टाट पट्टियों की तुरन्त व्यवस्था करा दे ताकि बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर सकें। जिस क्षेत्र का मैने अभी हवाला दिया उस क्षेत्र में 50 हजार गरीब मजदूर है जो भावड़ से बाण बटाई का काम करते हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में भावड़ मूंगफली और काष्ठ पर आधारित उद्योग लगाय और बजट में उसका प्रोवीजन जरूर रखें। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। मैंने आइटम नम्बर 25 में एक सूचना..

श्री अध्यक्ष--

वह बाद में आयेगा। पहले चर्चा समाप्त होने दें। जब वह मद आयेगी, तब कहें।

*श्री दल गंजन सिंह--

मान्यवर, आपने जो सदन में बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस बजट को देखने से स्पष्ट होता हैकि यह वास्तव में कोई बजट नहीं है। ऐसा लगता है कि इसकी कुछ ब्योरोक्रेसी ने जोड़ घटा कर इसकी मीमांसा तैयार कर दी है। इसमें सूबे के विकास की कोई योजना नहीं है। सूबे में जो गरीब है, इसकी जो पावर्टी लाईन हैउसके लिए कोई दिशा नहीं है और न उन गरीबों को रोटी और तरक्की का प्राविधान नहीं है। यह बजट कुछ लोगों के लिए है उसमें हम सदस्य भी शामिल है, मंत्री भी शामिल है और आपके गवर्नर भी शामिल हैं कुल मिलाकर 20 प्रतिशत लोग इसमें शामिल है जिनको इस बजट से लाभ मिलेगा।

आज हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश अंग्रेजों के समय में आगे था वह आजादी के बाद हर साल पिछड़ता चला जा रहा है। हमारी पर कैपिटा इनकम 555 से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दल गंजन सिंह]

485, 1980 में रह गई है। मैं कहना चाहता हूं वास्तव में देखा जाय तो पर कैपिटा इनकम इस सूबे की 485 भी नहीं है बल्कि 50 रु0 है क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे रुपये की कीमत 20 पैसा रह गई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बजट में ड्रास्टिक कदम उठाने की आवश्यकता थी। यह सदन जो यंगस्टर से डामिनेटेड है उसमें यह आशा नहीं थी कि इस सदन के सामने पूंजीपतियों का बजट प्रस्तुत किया जायेगा। हम देख रहे हैं कि सरकार ने तमाम कारपोरेशन बना रखे हैं और तमाम स्वायत्तशासी संस्थाएं बना रखी हैं उनके द्वारा जिस पेड़ पर यह बैठी है उसे ही काटती जा रही है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी सत्ता को हथियाती चली जा रही है। चाहे मुख्य मंत्री हों या मंत्री हों या विधायक हों सही माने में शासन उनका नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी का है। आप पंचायतों को ले लें वहां पर पंचायत सेक्रेटरी शासन करता है इलेक्टेड सदस्य नहीं। इसी प्रकार जिला परिषदों और नगर पालिकाओं में एक्जीक्यूटिव आफिसर शासन करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं। ठीक इसी प्रकार सूबे में भले ही कुछ लोग इसे बुरा माने सही माने में शासन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है और उन्होंने ही इस तरह का बजट प्रस्तुत किया है जिससे उन्हीं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, अधिक से अधिक शक्ति मिल सके। वह सारी शक्तियां अपने में समेटते चले जा रहे हैं और दिन प्रति दिन शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं। इस तरह से इस सूबे का कोई भला होने वाला नहीं है और न ही इस प्रदेश को कोई दिशा मिलने वाली है। हम किसी भी स्वायत्तशासी संस्था को देखें, कोई भी आप संस्था उठाकर देख लें, सभी लाखों-करोड़ों रुपयों के घाटे में चली जा रही है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को जनता की परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो अपना भला देखना है, शासन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाये रखना है। आज यंगस्टर्स और विधान सभा के सदस्यों से मैं इस बात का आग्रह करूंगा कि हम इस बात का प्रयास करें कि हम किसी प्रकार से अपने आपको और प्रदेश को ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे से निकाल सकें।

अब मैं पहाड़ी इलाके और बुन्देलखंड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पहाड़ी इलाके के बारे में तो सभी प्राविधान किये गये हैं, लेकिन बुन्देलखंड के विकास के लिए कहा गया है कि वहाँ संतरे, नीबू और करील लगाये। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि बुन्देलखंड का विकास इस तरह से होगा? बुन्देलखंड का अध्ययन करे, तो सूबे में सबसे अधिक गरीबी वहाँ है, जहाँ पठार हैं और सिंचाई के साधन नहीं है, जहाँ दिन भर भयंकर लू चला करती है, जो फसलों को नष्ट-भ्रष्ट कर देती है। जालौन जिले का आधे से अधिक भाग सूखे से प्रभावित है। वर्षों से इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है, लेकिन उस ओर शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके कारण से वहाँ पर किसी तरह की फसल दीवाली के पहले होली तक बोना सम्भव नहीं होता है। इसके कारण से वहाँ का किसान दिन प्रति दिन कर्ज में डूबता चला जा रहा है। हमें प्रदेश के सभी क्षेत्रों से विकास का समुचित अवसर देना चाहिए। अगर हमको आगे बढ़ना है, और हमें सूबे को आगे ले जाना है तो इसके लिए ड्रास्टिक कदमों की आवश्यकता है, जो इस बजट में दूर तक नहीं दिखाई पड़ते हैं।

विद्युत परिषद् एक सफेद हाथी है। मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम उत्पादन के लिए एक अलग से कम्पनी बना दी है। मेरा तो सुझाव यह है कि विद्युत परिषद् और जल-संस्थान को तुरन्त ही समाप्त कर दिया जाय। हमारे बुन्देलखंड के साथ इस विषय में बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है, लेकिन फिर भी उस तरफ बैठे वहाँ के सदस्य इस बारे में मौन हैं। वहाँ के निवासियों को जल संस्थान द्वारा बहुत मंहगा पानी दिया जा रहा है, जबकि वह अधिक गरीब हैं। हमारे यहाँ की जिला

परिषद को देखिए, वहाँ पर अपने कर्मचारियों को बाँटने के लिए तनख्वाह का पैसा तक नहीं है। अप्रैल माह से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली है। माधोगढ़ में एक जालौन तहसील से, यह बहुत बड़ी तहसील है, उसकी आबादी करीब दो लाख है, उसके बारे में शासन से आग्रह किया गया है कि माधोगढ़ को अलग से एक तहसील बना दिया जाए, जिससे छोटा भाग होने के कारण वहाँ का विकास हो सके। लेकिन शासन ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा शासन से अनुरोध है कि वह शीघ्रातिशीघ्र माधोगढ़ को तहसील घोषित करके उस क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र को प्रगति करने का अवसर प्रदान करे। जितनी भी इस सूबे में मिलें है, बीमार मिलें हैं, वे अपनी क्षमता अनुसार उत्पादन नहीं कर रही है। हमने इन बीमार मिलों के लिए कोई भी समुचित प्लानिंग नहीं सोचा है। सबसे बड़ा उद्योग हमारे प्रदेश में चीनी का है लेकिन इसकी भी हम उपेक्षा कर रहे हैं। उसके लिए हमने आज तक भी कोई रास्ता नहीं खोजा है। एक दिन किसानों का गन्ना बेकार चला जायेगा और उसे उसकी पैदावार के दाम भी नहीं मिल पायेंगे।

(समय अपराह्न 4.30 से)

जहाँ तक मौजूदा शिक्षा का सवाल है, उससे प्रदेश का कोई विकास नहीं हो सकता है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह मौलिक रूप से गलत है। इसे हमने बेसिक शिक्षा परिषद् को देकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। न उनके पास बैठने को स्थान है और न टाट पट्टी ही है। जिला परिषदों के पास पैसा भी नहीं है। इस प्रकार की गलत नीतियाँ अपना कर हम अपने प्रदेश को बुराई की ओर ही ले जा रहें हैं। मेरा सुझाव है कि इनको नगर पालिकाओं को वापस दिया जाय ताकि शिक्षा में कुछ सुधार लाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आग्रह करता हू कि जो पिछड़ा हुआ बुन्देलखंड क्षेत्र है उसके विकास के लिए जो वहाँ पर जल संस्थान है और जल निगम हैं, उनको समाप्त किया जाय।

*श्री सुन्दर सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में हमारे नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री ने जो अनुमान रखे हैं, वास्तव में वे तथ्यपूर्ण है और प्रदेश के अन्दर विकास की जो जो संभावनायें है, उनको देखकर ही रखे गये है। जहाँ तक विरोध पक्ष का प्रश्न है सरकार कितनी ही अच्छी योजना बनाये उनके लिए उसकी बुराई करना बड़ा आसान काम है। जिस प्रकार से एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाये और किसी से यह कहा जाय कि वह बताये कि इसमें क्या क्या कमियाँ है तो उसके लिए बड़ा आसान है यह कहना कि ये ये कमियाँ हैं लेकिन अगर उसे यह कहा जाय कि वह कोई उससे अच्छी नयी मूर्ति बनाये तो यह करना उसके लिए बड़ा ही कठिन काम होगा। आज हमारा प्रदेश जिस स्तर से गुजर रहा है, जिस प्रकार से प्रदेश में नीतिहीन और आर्थिक बिखराव आ रहा है, पिछले 3 साल के शासन काल में, जनता और लोकदल की सरकार के समय में, जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट होगयी, उससे हम कहीं के नहीं रह गये हैं, न कोई आर्थिक योजना ही हमारे सामने आ रही है। आज हमारे विरोधी पक्ष के भाई हमारे स्वायत्त शासन मंत्री से पूछते हैं कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के कब चुनाव करायेंगे। मैं उनसे जानना चाहता हू कि उन्होंने 3 वर्षों के अन्दर साहस तक नहीं किया कि वे एक भी चुनाव करा सकते। यह हमारा ही दल है, हमारी सरकार की ही नीतियाँ है जिसने लोकतंत्र में विश्वास करके चुनाव कराये हैं। यह काँग्रेस पार्टी की ही देन है कि हम लोक तंत्र को यहाँ देख सके हैं। आज विरोधपक्ष का कार्य केवल यह रह गया है कि जो हमारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर सिंह]

दल और शासन करना चाहता है उसकी ये आलोचना करें, बुराई करें और शासन तंत्र को रोकें। आज जिस तरह से प्रदेश की स्थिति है, पूरा प्रदेश बाढ़ से ग्रस्त है। हमारा बहराइच जिले में घाघरा, सरजू और राप्ती से घिरा हुआ होने के कारण बाढ़ की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। मैने स्वयं वहाँ का दौरा किया है, हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले भी हैं, काफी मदद वहाँ के लिये दी गयी है, गल्ले का वितरण भी किया जा रहा है, राहत के कार्य भी हो रहे हैं, सरकार हर तरह से जागरुक है, इस सब कार्य में हमें दुख है कि विरोध पक्ष का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर कोई मीटिंग बुलाते हैं तो विरोध पक्ष वाले उसमें नही आते।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारी यह सरकार उत्तर प्रदेश के बहुमुखी विकास की ओर बढ़ रही है। पिछले सालों में राजनैतिक अस्थिरता के कारण प्रदेश काफी पिछड़ गया है। दुर्भाग्य से पिछले वर्षों में, 3 वर्ष तक जो जनता पार्टी का शासन रहा उसमें राजनैतिक अस्थिरता आ गयी, प्रशासन चौपट हो गया। आज जो लोग पुलिस पर प्रहार करते है उन्होंने ही इस प्रदेश के विकास को चौपट कर दिया। आज बड़ी-बड़ी कठिनाईयाँ हमारे सामने हैं, मगर हमें विश्वास है कि हमारी यह सरकार इस प्रदेश को आगे ले जाने मे सफल होगी।

अब मैं कुछ बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा बहराइच जिला काफी पिछड़ा हुआ है। वहाँ वन सम्पदा है, कृषि सम्पदा है, गेहूं और तिलहन की पैदावार काफी होती है, फिर भी वहाँ पर विकास की गति बहुत धीमी है? वहाँ पर एक राजकीय डिग्री कालिज की बहुत आवश्यकता है, इसके अलावा महिला कालिज भी एक वहाँ पर होना बहुत जरूरी है।

हमारे जिले में एक ही केवल शुगर फैक्टरी है। गन्ना हमारे यहाँ कई जिलों से अधिक पैदा होता है। मैं माँग करता हूं कि हमारे यहाँ एक सहकारी शुगर मिल स्थापित की जाये।

औद्योगिक विकास के लिये हमारे यहाँ बड़े उद्योग लगाने की भी आवश्यकता है। हमारे यहाँ खनिज सम्पदा, वन सम्पदा और कृषि सम्पदा काफी पायी जाती है। फिर भी हमारे जिले की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। धन्यवाद।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध पक्ष से जो बातें कही गयी है वे केवल विरोध और आलोचना करने के लिये ही कही गयी हैं। आज जो लोग विरोध पक्ष में बैठे है वे यह नहीं कह सकते कि वे शासन में नहीं रहें। कुछ दिन पूर्व वे भारी बहुमत से जीतकर आये थे और शासन में रहे, मगर उन्होंने इस प्रदेश की कोई प्रगति नहीं की। कानून और व्यवस्था की हालत जो उनके शासन काल में बिगड़ी है। उसकी कोई मिसाल नहीं है। (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठें। वह तो खड़े हैं। वह बैठ नहीं रहें हैं तो आप क्यों खड़े हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी––

मान्यवर, मैं आभारी होता उधर के माननीय सदस्यों का अगर वह एक-एक करके कोई बात कहत, तो मैं उसका जवाब देता। [× × ×] सब लोग खड़े हो गये, तो मैं क्या जवाब दूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी––

मान्यवर, जनता की अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता पार्टी और लोक दल की पार्टी में उसका विश्वास नहीं रहा है। कानून और व्यवस्था की बात मैं कह रहा था, बड़ा आरोप लगता है कि इस दो महीने में बहुत खराब हुई कानून और व्यवस्था की हालत। मान्यवर, सत्य यह है कि कानून और व्यवस्था की हालत उस समय खराब हुई जब जनता पार्टी और लोक दल की सरकार थी, जब खुले आम जुर्म हो रहे थे। आज भी वह अराजक तत्वों से मिल कर कानून और व्यवस्था को खराब करा रहे हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए कि कहाँ तक विरोधी पक्ष के लोगों का इसमें हाथ है।

एक सदस्य––

मान्यवर, इसकी जाँच कराई जाय कि किस पक्ष के कितने डकैत हैं।

(व्यवधान)

एक अन्य सदस्य––

मान्यवर, स्पष्ट जाँच होनी चाहिए कि किस दल में कितने डकैत हैं।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठ जाइये।

श्री विमल प्रसाद तिवारी––

मान्यवर, स्पष्ट कहना कि यह बजट किसान विरोधी है, सत्य नहीं है। मान्यवर, मैं नहीं जनता कि किसान विरोधी काम जितना जनता पार्टी और लोक दल के शासन काल में हुआ, वह किसी शासन काल में हो नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य बैठें। आपको जवाब देने का अवसर मिलेगा। हर बात पर, किसी के बोलने पर जवाब देना ठीक नहीं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी––

मान्यवर, सत्य कटु होता है। ये लोग सत्य को सुन कर बौखला जाते हैं।

(व्यवधान)

आप यह बताने की कृपा करें कि आपके शासन काल में गन्ना उत्पादकों, आलू उत्पादकों का, आम किसानों का क्या हाल हुआ। पिछले दो महीनों में कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के फायदे के लिए जितना कदम उठाये है, उतना आप 3 साल में नहीं कर पाये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

कृपया शान्त रहें।

नोट––[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप तो इतना नकारा निकले कि 3 साल लगा दिये आपस की लड़ाई के अखाड़े में। लेकिन आप पंचवर्षीय योजना को भी कार्यान्वित नहीं कर पाये आपकी नकारात्मक रवैया का यह नतीजा निकला। मान्यवर, इस बजट के द्वारा किसानों के जो लाभ की बात हुई, अभी दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनी, कुछ वक्त भी नहीं बीता, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 खाद के कारखाने उत्पन्न कर दिये हैं। जिनका उत्पादन आने पर यह प्रदेश और दश को गल्ला देने लगेगा और देश में एक अच्छा गल्ला भंडार बन जायेगा। आपने अपने कार्य काल में क्या किया। चीनी मिलों का करोड़ों रुपया बकाया रहा। किसान कराहते रहे, चिल्लाते रहे। (शोर)

एक सदस्य—

आपके 30 साल के शासन में भी किसान चिल्लाता रहा और अब भी चिल्ला रहा है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय सदस्य मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सत्य हमेशा कटु होता है, जिसको हर आदमी आसानी से सुन नहीं सकता आप अब भी वही कर रहे हैं, जो इससे पहले करते आये हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से जब आप लोग बोलेंगे तो अवरोध उत्पन्न होगा ही। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, पहले उनकी बात को शाँति से सुन लें।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

ओझा जी आप बैठ जाएं। जब तक वह अपनी बात पूरी न कर लें तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

अब आप लोग किसान हितैषी बनने का दावा करने लगे हैं। आपके किसान हितैषी होने का एक उदाहरण यह है कि जब देश और पूरे प्रदेश का किसान सूखे से तृस्त था तो उस वक्त आपने जान बूझकर डीजल ही बाजार से गायब करा दिया और साथ ही कीमत भी काफी बढ़ा दी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कब से किसान हितैषी बन गये और अगर आप किसान के हमदर्द होते और किसान के साथ हमदर्दी की होती तो इस जून के चुनाव में इतनी बुरी तरह से पराजय न हुई होती और अगर हम किसान के विरोधी होते तो यह किसान और जनता आज हमें इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर न देती। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि आप लोग किसानों के विरोधी हैं और इधर के बैठने वाले किसानों के हितैषी हैं।

(शोर)

आप माननीय सदस्य कुछ सुनना ही नहीं चाहते। मान्यवर, यह बजट इस प्रदेश को हर मायने में आगे ले जाने वाला है।

एक सदस्य—

बजट पढ़ते भी हैं ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

आप तीन सालों के अन्दर इस प्रदेश को जितना पीछे छोड़ आये हैं उसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार निश्चय ही प्रदेश की जर्जरता को खत्म कर एक ही साल के अन्दर ही प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जायेगी। मान्यवर, अब आप तो जानते हैं कि यह लोग 5 साल के लिए जनता द्वारा चुन कर भेजे गये थे ताकि प्रदेश और देश की प्रगति के लिए यह कुछ करें, परन्तु इन लोगों ने कुछ काम करने के बजाय अपने अपने दल को अखाड़ा बना लिया और उस अखाड़े में पहलवान चौधरी चरण सिंह, पहलवान राजनारायण और पहलवान अटल बिहारी जी अपने

अपने दाँव पेंच चलाते रहे, और हरेक ने हरेक के टुकड़े-टकड़े करके रख दिए जहाँ तक हमारे दल का प्रश्न है, माननीय सदस्य इत्मीनान रखें जनता की अदालत ने काँग्रेस को 5 साल के लिये चुनकर भेजा है, पूरे 5 साल तक जनता के हुकम को मानते हुये इस प्रदेश की खिदमत करूंगा। उसके पहले काँग्रेस में बिखराव नहीं होगा। वह गलतफहमी में हैं वह अपनी तरह से हमको न आँके। काँग्रेस पार्टी एक संगठित पार्टी है। इसके अन्दर विरोध नहीं है, हम हर कीमत पर प्रदेश की भलाई का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आपके 8 मिनट हो चुके हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, समय निकल गया। सारा समय टोकाटाकी में निकल गया। जिन मुद्दों पर मैं कहना चाहता हूं वह नहीं कह पाया। यह प्रदेश की भलाई की बात इस सदन में होने ही नहीं देना चाहते हैं। जिस तरह से 3 सालों में प्रदेश को पीछे ढकेला है काँग्रेस की हुकूमत में जनता की भलाई न हो पाये ताकि जनता की अदालत में सफाई दे सकें। प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य काँग्रेस के हाथ में सुरक्षित है। मान्यवर, एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा की योजना पर मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने जनता पार्टी और लोकदल की सरकार में प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर करप्शन किया है। अब यह सरकार उसमें आमूल चूल परिवर्तन करें। ऐसे हाथ में इसको दे ताकि उसका उद्देश्य पूर्ण हो सके। इसे आर0 एसे0 एस0 के हाथ सेउसके चंगुल से निकाली जाना चाहिये। बिजली विभाग ने बिजली में कुछ सराहनीय कार्य किया है। इसे 2 हिस्सों में बाँटा गया। सरकार बिजली की वितरण प्रणाली को सुधारने के लिये अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे। मैं फर्रुखाबाद से आता हूं। वहाँ पर 8–8, 10–10 दिन तक बिजली कटी रहती है, बिजली नहीं मिलती है। वहाँ पर सदवाड़ा औद्योगिक केन्द्र है, तीन-तीन दिन तक बिजली नहीं ठीक की जाती हैं। वहाँ के अधिकारी चाहते हैं कि वहाँ के उद्योगपतियों से उनको मासिक कुछ रुपये मिलने लगें तो ठीक करें। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस भ्रष्टाचार की परम्परा को जो पिछले 3 साल में जोरों से पनपी है दूर करने के लिये सरकार कदम उठाये। जनता पार्टी और लोकदल की हुकूमत ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि हम सेल्स टैक्स माफ कर देंगे लेकिन सेल्स टैक्स माफ करने के बजाय व्यापारियों को गोलियों का शिकार बनाया गया। सेल्स टैक्स माफ करना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसमें राजस्व का प्रश्न है। किन्तु सरकार व्यापारियों के साथ बैठकर सेल्स टैक्स देने पर विचार करे ताकि वह महसूस करे कि जिन मुद्दों को जनता पार्टी और लोक दल की सरकार छोड़ गई थी, जिसके बदले में गोलयाँ दी थी, जो काँग्रेस के घोषणा-पत्र में भी नहीं था, उन कठिनाइयों को काँग्रेस ने हल किया। मैं इन शब्दों के साथ बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री शम्भूनाथ—**

मान्यवर, आज मैं आजमगढ़ जनपद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजमगढ़ जनपद में शासन के निदेशानुसार लघु सीमान्त कृषकों को खाद और सहायता वितरण करने की बात कम रेट पर थी जिसको जिलाधिकारी कतई नहीं मान रहे हैं। और वहाँ तहसीलदार के आदेश होने के बावजूद भी गरीबों को सहायता नहीं दे रहे हैं। सूची बनाने के लिए, वह न बनानी पड़े इसलिये लिख दे रहे हैं कि वहाँ पर 50 फीसदी से कम सूखा पड़ा है। जब कि वहाँ पर 75 फीसदी फसल सूखे से समाप्त हो गयी है। गरीबों में हाहाकार है। धान की फसल, गेहूं की फसल 60 फीसदी तक खतम हो गयी है। लेकिन अधिकारी सूची न बनाने के लिए लिख कर दे रहे हैं कि वहाँ पर केवल 50 फीसदी से कम सूखा पड़ा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

सूखा पड़ा है या बाढ़ आयी है ?

श्री शम्भूनाथ—

पिछले साल सूखा पड़ा था। हमारी सरकार का आदेश है कि पिछले साल जो नुकसान हुआ है उसकी सहायता की जाये। सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि गरीबों को सहायता दी जाये। लघु सीमान्त कृषकों को छूट दी जाये लेकिन तहसीलदार केवल सरकार को बदनाम करने के लिए, गरीबों को खाद न दी जाये, इसलिए लिख रहे हैं कि 50 फीसदी से कम नुकसान हुआ है। मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तुरन्त निर्देश दे कि 75 फीसदी जो नुकसान हुआ है वह लिखें ताकि गरीबों को सहायता मिले। वास्तविक बात यह है कि आज गाँवों में डीजल नहीं मिल रहा है सारी फसलें जल गयीं।

(व्यवधान)

इसलिये जल गयीं कि आपकी सरकार सब डीजल पी गयी। जो मोहन सिंह जी हैं वे भूतपूर्व मंत्री थे ? मैं चाहता हूं कि शासन से कि आजमगढ़ जनपद में 75 फीसदी फसल को जो नुकसान हुआ है गरीबों को तथा 5 और 3 एकड़ के कास्तकारों को खाद का वितरण अविलम्ब किया जाये। ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिले। आजमगढ़ जनपद पूर्वांचल का पिछड़ा हुआ जनपद है। वहाँ पर कोई उद्योग धन्धे नहीं हैं। सड़कें नहीं हैं। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष से चाहूंगा कि शासन के माध्यम से कि आजमगढ़ जनपद में शाहगंज से बलिया तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए केन्द्र सरकार से माँग की जाये। आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाये। यह एक एसा क्षेत्र है जिसका सारा सामान देश में ही नहीं बाहर के देशों में भी जाता है लेकिन आवागमन की असुविधा के कारण सारा कार्य ठप्प पड़ गया है। उत्तर प्रदेश में जो 4–5 खाद कारखाने खुलने हैं उसमें कम से कम एक आजमगढ़ में खोला जाये। आजमगढ़ में एक गन्ना मिल की स्वीकृति भी दी जाये। दूसरी बात आजमगढ़ जनपद में सिकन्दरपुर नरियांव, कूढनपुर में 1976 से दो सड़कें निर्माणाधीन ह उन पर जनता पार्टी ५ शासन काल में दो पुलों का निर्माण होना था, नहीं हुआ। इन लोगों ने पूरे प्रदेश में सड़कें मंजूर किया पुल मन्जूर किया लेकिन उस क्षेत्र में न सड़कें मन्जूर हुई और न पुल बनें। पहले जो कुछ था वह भी बेंच दिया। मैं चाहता हूं कि अतरौलिया क्षेत्र में से अतरौली से हदरैली आदि सड़कों को अविलम्ब पूरा किया जाये। इन सड़कों पर पुल का निर्माण किया जाये।

दूसरी बात मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुतली काफी पैदा होती है मैं चाहता हूं कि वहाँ पर कालीन उद्योग की स्थापना की जाये और सूत का कारखाना खोला जाये जिससे वहाँ के लोगों का विकास हो। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और मैं सदन का आभारी हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष—

अब यह चर्चा स्थगित की जाती है।

बागपत काण्ड के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 को लेने के पहले एक सूचना दे दूं। मद संख्या 26 में जो बागपत पर चर्चा होनी थी 45 मिनट की जिसमें 30 मिनट और जोड़ा गया, सवा घण्टे की चर्चा थी। कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया है कि वह आज के बजाये कल होगी।

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 की 11 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक सूचना माननीय सदस्य माता प्रसाद पाण्डेय की, जो बस्ती जिले के भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद् व कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता श्री शिव हर्ष उपाध्याय की हत्या किये जाने के सम्बध्ध में है, उसको स्वीकार किया । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हैं ।

लखनऊ नगर के कैन्टोमेन्ट क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब मद संख्या 25 जो लखनऊ कैन्ट में गंदगी के संबंध में है, उसको लेता हूं ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

केन्टोनमेन्ट क्षेत्र भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय के अधीन है तथा इस क्षेत्र में सफाई आदि की व्यवस्था कैन्टोनमेन्ट बोर्ड करता है । केन्टोनमेन्ट बोर्ड के कार्यों पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । अतः राज्य सरकार द्वारा इन्हें, सफाई आदि के लिए कोई निर्देश दिया जाना सम्भव नहीं है । इस क्षेत्र की सफाई आदि का कार्य अविशासी अधिकारी, कैन्टोनमेन्ट बोर्ड द्वारा कराया जाता है ।

जहाँ तक लखनऊ नगर की बाढ़ की समस्या से निपटने का सम्बन्ध है, उसके बारे में नगर महापालिका द्वारा बाढ़ क्षेत्र व जल भराव के क्षेत्रों के लिए गैंग बना दिए गए हैं, जिनसे उन क्षेत्रों में कार्य लिया जा रहा है । नगर में तीन कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं जिनमें एक महापालिका भवन में, दूसरा बाल्दा अशर्फीबाद में तथा तीसरा मवैया में है । स्वास्थ्य सम्बन्धी जो भी शिकायतें यहाँ प्राप्त होती हैं उन पर तुरन्त कार्य आरम्भ कर दिया जाता है । अतिसार, हैजा आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए क्षेत्र के निरीक्षकों को दवाइयाँ वितरित कर दी गई हैं जो सूचना मिलते ही पीड़ितों को प्रदान कर दी जाती हैं । जल प्रभावित क्षेत्रों में महापालिका द्वारा पम्पों से पानी निकालने की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं अगर आप आज्ञा दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप जो प्रश्न पूछना चाहती हैं स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकती हैं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

पहले तो आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि यह जो पहले पैरा में उन्होंने कहा है कि कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है तथा इस क्षेत्र में सफाई आदि की व्यवस्था कैन्टोनमेन्ट बोर्ड करता है । इसमें कहीं न कहीं कोई गलती अवश्य हो गयी है जिस क्षेत्र के बारे में मैंने जिक्र किया है कैन्ट क्षेत्र उसका नाम है । बोर्ड छावनी क्षेत्र का है । उसके अलावा जिस वार्ड का जिक्र किया है, जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, वह छावनी क्षेत्र से सम्पर्क नहीं रखता है । कैन्टोनमेन्ट नाम है क्षेत्र का, लेकिन जो नोटिस मैंने दिया है, शायद, माननीय मंत्री जी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और मान्यवर, मैं उसकी ओर उनका ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

श्री मोहन सिंह—

तो फिर माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य वापस लें अगर उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

कृपया हमको अपनी बात पूरी करने दें । यह मेरा भोलापन है ।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन अब तो वह सदन की प्रापर्टी हो गया। केवल आपका मामला नहीं रहा।

श्रीमती प्रभवती तिवारी—

मान्यवर, इनके तो दो ही सिद्धान्त हैं—सारे मुखौटों को इकट्ठा किया और ऊपर से डाला एक नकाब और एक शक्ल में आ गये और जब नकाब खोला और कुर्सी पर चढ़े तो धम्म से गिर गये। तो, मान्यवर, इनकी तो इकट्ठा बोलने की आदत है, और इकट्ठा कुर्सी पर चढ़ने की आदत है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, ये तो कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के बारे में कहना चाहती थीं ?

श्रीमती प्रेभवती तिवारी—

मान्यवर, यह रक्षा मंत्रालय की बात मैंने नहीं कही। उसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से है।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहती क्या हैं ?

श्रीमती प्रेभवती तिवारी—

मान्यवर, आलमबाग गन्दगी का साम्राज्य बना हुआ है। वहाँ के किसी क्षेत्र को देखना चाहें तो 3/4 विभागों से सम्पर्क करना पड़ता है। वहाँ के किसी क्षेत्र की समस्या के लिये 3/4 जगहों पर जाना पड़ता है और कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि जिस क्षेत्र आलमबाग का मैंने जिक्र किया है, वहाँ जल भराव की जो स्थिति है, उसके बारे में कुछ किया है।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, जहाँ-जहाँ दिक्कत हो, बता दें तो उसको दूर करवा दूंगा।

श्रीमती प्रेभवती तिवारी—

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूं कि जो वहाँ समस्या है, जो वहाँ की गंदगी से संबंधित है, क्या उसके लिये सरकार के पास धन की योजना है जिससे वहाँ के काम पूरे हो सकें ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया है कि नगर में कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं जिसमें से एक महापालिका भवन में है।

श्रीमती प्रेभवती तिवारी—

नगर के कन्ट्रोल रूम तो बाढ़ की समस्या के लिये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब क्या है ?

श्रीभती प्रेभवती तिवारी—

मान्यवर, कन्ट्रोल रूम दो और हटा लें, कोई बात नहीं है। सवाल है कि वहाँ के लिये कौनसी योजना बनी है जिस योजना के बनने की वजह से जो वहाँ निरन्तर पानी का भराव का संकट चल रहा है, उसको दूर किया जा सके ?

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री जी से) कोई योजना है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मैंने जिक्र कर दिया। आज जितने जरूरी काम हैं, सभी कराये जा रहे हैं और फ्लड आने के बाद जो पानी के भराव की तकलीफ है, मैंने जाकर देखा था और जहाँ-जहाँ तकलीफ है, उसको देखकर उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैंने तो, मान्यवर, पूरा ब्योरा दे दिया है। वह भी बता दिया है जिसके बारे में पूछा भी नहीं गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ——

माननीय तिवारी जी कोई वैसा न महसूस करेंगी, चूंकि अब यह सदन की प्रापर्टी हो गयी है इसलिये इस पर कुछ कहना चाहता हूं। उनका आशय कैन्टोनमेन्ट बोर्ड से न होकर पूरे कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र से है। माननीय मंत्री ने जो सीमित उत्तर दिया, मेरी बात का संबंध उससे है। यह बात सही ह कि कैन्टोनमेन्ट बोर्ड केन्द्र सरकार के अधीन है। मान्यवर, वहाँ पर जो बड़े पैमाने पर गंदगी है उस गन्दगी के कारण बीमारियाँ पदा हो सकती हैं। इसीलिये राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। इस तरह से अगर गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिलाधिकारी, लखनऊ को यह जानकारी है कि वहाँ बड़े पैमाने पर गंदगी है और कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के जो प्रभारी अधिकारी हैं क्या उनसे जिलाधिकारी की कोई वार्ता हुयी है? अगर हुयी है, तो वह क्या है?

श्री राम सिंह खन्ना——

जिस दिन मैंने दौरा किया था तो उसी दिन प्रशासक से कहा कि जितनी आपकी सीमा है वहाँ काम कराएं और उन लोगों से बात करके तकलीफों को दूर करायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

मान्यवर, क्या मंत्री जी ने कोई आदेश जिला अधिकारी को दिया था और क्या जिलाधिकारी ने कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के प्रभारी अधिकारी से कोई बातचीत किया है? यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या हुआ?

श्री राम सिंह खन्ना——

ऐसा है कि लोग फलड का काम कर रहे है। फलड के काम को छोड़कर और अन्य काम में लगाना ठीक नहीं ह। सहायक चीजों का काम हो रहा है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष——

माननीय सदस्य कुछ प्रबन्ध हो गया है। आय-व्ययक पर सामान्य आज जो चर्चा थी वह कल जारी रहेगी अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
4 अगस्त, 1980।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ617 पर)

सूची

क्रम-संख्या नाम विकास खण्ड	स्वीकृत सम्पर्क मार्ग जो पूरे हुए		स्वीकृत सम्पर्क मार्ग जिस पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है	
	नाम सम्पर्क मार्ग	लम्बाई कि0मी0	नाम सम्पर्क मार्ग	लम्बाई कि0मी0
1—माधोगंज	1—सदरपुर से लालपुर	0.5	1—भटियामऊ से तेरवा कुल्ली	5.0
	2—नोभलिक से हरदोई उन्नाव रोड।	1.0	2—करनपुर मार्ग से अब्दुल्लापुर	3.0
	3—लखवाइ से सिधरौली	3.905	3—सड़क से सरफुनदीनपुर	0.5
	4—बघौली मार्ग से शुक्लापुर पिलखता।	3.589	4—भल्लावाँ मार्ग से शाहपुर वसुदेव।	4.0
	5—उन्नाव रोड से रोशनपुर	0.150	5—खुदामंदारपुर से गौसगंज	1.0
	6—उन्नाव रोड से हीरापुर	0.124	6—शाहपुर वसुदेव से इसारा बाजार।	10.0
	7—गौतरा से कुरसठ वाया से उढई।	5.0	7—सिधरौली सम्पर्क मार्ग	7.0
	8—माधोगंज से शाहपुर वसुदेव।	3.0	8—उन्नाव सेड से अब्बूल्लापुर रुकनापुर।	1.5
			9—ज्योटी ख्वाजगी लिक मार्ग	0.75
2—बिलग्राम	1—रडेना से हबीबपुर	2.0		
	2—निजामपुर से चाँदपुर	1.5		
	3—चाँदपुर चुंगी से निजामपुर	1.0		
	4—बिलग्राम रोड से लाल-पुर कन्हरी।	3.0		
	5—निजामपुर से गुजरई वाया बरगवाँ।	4.00		
	6—चचरापुर से धुवरई	1.0		
3—भल्लावाँ	1—मथुरा हलवाई की दुकान से गंजजलालाबाद	0.80	1—हरदोई उन्नाव रोड से इश्वरपुर साई।	3.0
	2—नरौकी से गंजजलाला-बाद।	0.8	2—रावोपुर लिक रोड से भूल मवानीपुर।	1.0
	3—गोसपा से बीकापुर	2.5	3—रावोपुर लिक रोड से कल्यानपुर।	0.75
	4—देवी पुरवा से जलाला-बाद।	3.0	4—महिनपुर से बेरिया नजीरपुर	3.0
	5—भगवन्त नगर से तेजीपुर	3.0	5—गंज जलालाबाद से तिवारी टोला।	0.5
			6—गंज जलालाबाद से जू0हा0 खेतहरा।	0.75

पी0एस0यू0पी0—एल0 199 वि0सभा (339)—1982—813